



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939

No. 546]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 683(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1), की धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 20 के खंड (iii) और खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति पर, जो स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सेवाओं के वर्गीकरण स्कीम के अध्याय, खंड या शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट दर पर एकीकृत कर उद्गृहीत किया जाएगा,—

सारणी

क्र. सं.	अध्याय, खंड या शीर्ष	सेवा वर्णन	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अध्याय 99	सभी सेवाएं		
2	खंड 5	संनिर्माण सेवाएं		
3	शीर्ष 9954 (संनिर्माण सेवाएं)	(i) परिक्षेत्र, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः या भागतः क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिक्षेत्र या भवन भी है, सिवाय	18	-

		<p>वहां के, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् या उसके प्रथम अधिभोग के पश्चात्, जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है। (इस सेवा के मूल्यांकन के लिए इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपबंध लागू होंगे)</p>		
		(ii) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 119 में यथापरिभाषित संकर्म संविदा का संयुक्त प्रदाय	18	-
		(iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न संनिर्माण सेवाएं	18	-
4	<b>खंड 6</b>	<b>वितरणात्मक व्यापार सेवाएं ; आवास, खाद्य और सुपेय सेवा ; परिवहन सेवा ; गैस और विद्युत वितरण सेवाएं</b>		
5	<b>शीर्ष 9961</b>	<p>थोक विक्रय व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत मालों का विक्रय या क्रय नहीं है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित है — -कमीशन अभिकर्ताओं, दलालों और नीलामीकर्ताओं तथा टनय सभी ऐसे व्यापारियों की सेवाएं, जो किसी फीस या कमीशन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच थोक वाणिज्य संव्यवहारों का मोल भाव करते हैं; -इलेक्ट्रॉनिक थोक अभिकर्ताओं और दलालों की सेवाओं ; -थोक दलाली गृहों की सेवाएं</p>	18	-
6	<b>शीर्ष 9962</b>	<p>फुटकर व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत माल का क्रय या विक्रय नहीं आता है।</p>	18	-
7	<b>शीर्ष 9963 (आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं)</b>	<p>(i) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में न तो वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है और न ही मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।</p> <p>(ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो।</p> <p><b>स्पष्टीकरण :</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर</p>	12	-
			12	-

	प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		
	(iii) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ।	18	-
	(iv) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है ।	18	-
	(v) बाह्य कैटरिंग में, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, कोई पूर्ति, जिसमें माल, ऐसी बाह्य कैटरिंग के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) और ऐसी पूर्ति या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है ।	18	-
	(vi) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो । <b>स्पष्टीकरण :</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।	18	-
	(vii) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, परिसरों (जिनमें होटल, कन्वेंसन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना या कोई अन्य स्थान, जहां विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है),	18	-

		को किराए पर देने के साथ-साथ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जाती है।		
		(viii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो। <b>स्पष्टीकरण :</b> “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।	28	-
		(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं।	18	-
8	<b>शीर्ष 9964</b> <b>(यात्री परिवहन सेवाएं)</b>	(i) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच में रेल द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल के संबंध में प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) निम्नलिखित के द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन- (क) मोटर कैब से भिन्न वातानुकूलित संविदा गाड़ी ; (ख) वातानुकूलित मंजिली गाड़ी ; (ग) रेडियो टैक्सी ; <b>स्पष्टीकरण :</b> (क) संविदा गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है। (ख) मंजिली गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है। (ग) “रेडियो टैक्सी” से ऐसी टैक्सी, जिसके अंतर्गत कोई रेडियो कैब भी है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ द्विमार्गी रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या साधारण पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) का प्रयोग करते हुए ट्रैकिंग के लिए समर्थ है।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) इकोनोमी श्रेणी में वायुयान द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट

				कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम विमानपत्तन से यात्रा प्रारंभ करते या वहां समाप्त करते हुए, सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(v) इकोनोमी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।	12	-
		(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	18	-
9	<b>शीर्ष 9965</b> <b>(माल परिवहन सेवाएं)</b>	(i) रेल द्वारा माल का परिवहन (इस शीर्ष के अधीन नीचे क्र.सं. (iv) पर विनिर्दिष्ट सेवा से भिन्न)	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में माल की बाबत प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) जलयान में माल का परिवहन, जिसके अंतर्गत किसी गैर-कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी से सीमाशुल्क केंद्र तक परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाई गई सेवाएं भी हैं।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल (पोतों, जलयानों, जिनके अंतर्गत माल जहाज और टैंकर भी हैं, पर से भिन्न) पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। <b>स्पष्टीकरण :</b> यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां सेवा का पूर्तिकार गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए	5	बशर्ते माल की पूर्ति

		उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अधिकरण की सेवाएं। <b>स्पष्टीकरण</b> : “माल परिवहन अधिकरण” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।		करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन।	12	-
		(v) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	18	-
10	<b>शीर्ष 9966 (परिवहन यानों की भाटक सेवा)</b>	(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना।	5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न प्रचालकों के साथ या उनके बिना परिवहन यानों के भाटक सेवा	18	-
11	<b>शीर्ष 9967 (परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं)</b>	(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। <b>स्पष्टीकरण-</b> “माल परिवहन अधिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और पारेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं	18	-
12	<b>शीर्ष 9968</b>	डाक और कुरियर सेवाएं	18	-
13	<b>शीर्ष 9969</b>	विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं	18	-
14	<b>खंड 7</b>	<b>वित्तीय और संबंधित सेवाएं; भू-संपदा सेवाएं और भाटक तथा पट्टा सेवाएं</b>		
15	<b>शीर्ष 9971 (वित्तीय और संबंधित सेवाएं)</b>	(i) किसी चिट के संबंध में चिटफंड के फोरमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं <b>स्पष्टीकरण-</b> 1. “चिट” से संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे चिट, चिटफंड, चिट्टी, कुरी के नाम से ज्ञात हो या किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिसके अधीन व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के साथ करार करता है कि उनमें से प्रत्येक निश्चित अवधि में आवधिक किस्तों के माध्यम से कतिपय धनराशि का अभिदाय करेगा (या उसके स्थान पर निश्चित मात्रा में अनाज) और प्रत्येक अभिदाता उसकी बारी में जिसका लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या ऐसी रीति में जो चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाए, इनामी रकम का हकदार होगा। 2. “चिटफंड का फोरमैन” का वही अर्थ होगा जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड (ज) में “फोरमैन” पद का है।	12	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		(ii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iii) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iv) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संब्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना। <b>स्पष्टीकरण-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है; (ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती है, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; (ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। <b>स्पष्टीकरण :</b> यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां पट्टा सेवा का पूर्तिकार गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(v) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न वित्तीय और संबंधित सेवाएं	18	-
16	शीर्ष 9972	भू-संपदा सेवाएं	18	-
17	शीर्ष 9973	(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	12	-
		(ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	18	-
		(iii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iv) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-

		<p>(v) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संब्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।</p>	5	<p>बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। स्पष्टीकरण : यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां पट्टा सेवा का पूर्तिकार गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है।</p> <p>(कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)</p>
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं	एकीकृत कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्बलित है।	-
18	खंड 8	कारबार और उत्पादन सेवाएं		
19	शीर्ष 9981	अनुसंधान और विकास सेवाएं	18	-
20	शीर्ष 9982	विधिक और लेखांकन सेवाएं	18	-
21	शीर्ष 9983 (अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं)	(i) प्रिन्ट मीडिया के लिए विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय	5	-
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं	18	-
22	शीर्ष 9984	दूरसंचार, प्रसारण और सूचना पूर्ति सेवाएं	18	-
23	शीर्ष 9985 (समर्थनकारी सेवाएं)	(i) दूर प्रचालक सेवाओं की पूर्ति <p><b>स्पष्टीकरण-</b> "दूर प्रचालक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दूरों की योजना बनाने, उनकी शेड्यूलिंग, आयोजन, प्रबंध करने (जिसके अंतर्गत आवास, दर्शनीय स्थल या अन्य वैसे ही सेवाएं हो सकेंगी) के कारबार में परिवहन के किसी ढंग द्वारा लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत दूरों के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है</p>	5	<p>1. बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)</p> <p>2. इस सेवा की पूर्ति के लिए जारी किया गया बीजक यह उपदर्शित करता है कि इसमें ऐसे किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार सम्मिलित हैं</p>



				और बीजक में प्रभारित रकम ऐसी किसी यात्रा के लिए प्रभारित सकल रकम है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार भी हैं।
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न समर्थनकारी सेवाएं	18	-
24	शीर्ष 9986	<p>(i) कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाएं</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> “कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-</p> <p>(i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालनपोषण से -पोषण के सिवाय पालन-संबंधित सेवाएं—</p> <p>(क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, श्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ;</p> <p>(ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं ;</p> <p>(घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना ;</p> <p>(ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;</p> <p>(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।</p> <p>(ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल</p>	कुछ नहीं	-

		लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं। (iii) पादपों की बुआई और अश्वों के पालनके पोषण-पोषण जैसे -सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।		
		(ii) खनन, विद्युत, गैस और जल वितरण के लिए समर्थनकारी सेवाएं	18	-
25	शीर्ष 9987	अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं	18	-
26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं)	(i) निम्नलिखित के संबंध में जाबवर्क के माध्यम से सेवाएं (क) समाचार पत्रों का मुद्रण (ख) टैक्सटाइल सूत (मानव निर्मित फाइबर से भिन्न) और टैक्सटाइल फैब्रिक (ग) कर्तित और पालिश किए हुए हीरक; मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्न, या स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ाउ आभूषण जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं (घ) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण (ङ) खाल, चर्म और चमड़ा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आते हैं, का प्रसंस्करण <b>स्पष्टीकरण-</b> "मानव निर्मित फाइबर" से स्टेपल फाइबर और या तो विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जैविक पालिमरों के फिलामेंट अभिप्रेत हैं : (क) पालीएमाइड्स, पोलिएस्टर, पोलिओलेथिन्स या पोलिउरेथेन्स उत्पादित करने के लिए जैविक मोनोमरों का पालिमराइकरण या इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पालिमरों का रासायनिक उपांतरण (उदाहरणार्थ पालीफिनायल एल्कोहल जो पोलिविनायल एसिटेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है); या (ख) पालीमरों का प्राकृतिक जैविक पालिमरों को घोलने या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादन करने के लिए (उदाहरणार्थ सेलुलोस) जैसे कुपराममोनियम रेयान (कुपरो) या विस्कोस रेयान या प्राकृतिक जैविक पालीमरों के रासायनिक उपांतरण द्वारा (उदाहरणार्थ सेलुलोस, केसीन और अन्य प्रोटीन या अलजीनिक अमल पैकेज सेलुलोस एसिटेट या अल्जीमेट्स का उत्पादन किया जा सके (ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं	5	-
27	शीर्ष 9989	अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	18	-
28	खंड 9	सामुदायिक, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं		

29	शीर्ष 9991	सामुदायिक और समग्र रूप में उपलब्ध कराई गई लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं	18	-
30	शीर्ष 9992	शैक्षिक सेवाएं	18	-
31	शीर्ष 9993	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख सेवाएं	18	-
32	शीर्ष 9994	मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं	18	-
33	शीर्ष 9995	सदस्यता संगठनों की सेवाएं	18	-
34	शीर्ष 9996 (मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं)	(i) सर्कस, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जिसके अंतर्गत लोक नृत्य, थियेटर में प्रदर्शन, ड्रामा है, में प्रवेश या पहुंच के माध्यम से सेवाएं	18	-
		(ii) सिनेमा फिल्मों में प्रवेश प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, जहां प्रवेश टिकट की कीमत एक सौ रुपए या कम है	18	-
		(iii) मनोरंजन आयोजनों में प्रवेश या मनोविनोद सुविधाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन, थीम, पार्क, वाटर पार्क या जाय-राइड, मैरी-गो राउंड, गो-कार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, कोई क्रीड़ा समारोह जैसे इंडियन प्रीमियर लीग और सदृश हैं, के माध्यम से सेवाएं	28	-
		(iv) टोटेलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा किसी रेस क्लब में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	28	-
		(v) जुआबाजी	28	-
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं	18	-
35	शीर्ष 9997	अन्य सेवाएं (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएं, सौन्दर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं)	18	-
36	शीर्ष 9998	घरेलू सेवाएं	18	-
37	शीर्ष 9999	एक्स्ट्रैटोरियल संगठनों और निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	18	-

2. उपरोक्त सारणी की क्र.सं. 3 के सामने मद (i) में प्रविष्टि के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में, जिसमें, यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, सेवा की पूर्ति और ऐसी पूर्ति में माल के भाग का मूल्य या भूमि के अविभाजित शेयर के मूल्य से घटाकर ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम के समतुल्य होगा और भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति में ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम का एक-तिहाई समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, "कुल रकम" से निम्नलिखित की कुल राशि अभिप्रेत है,—

(क) पूर्वोक्त सेवा के लिए प्रभारित प्रतिफल ; और

(ख) यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर के अंतरण के लिए प्रभारित रकम।

3. लाटरी की पूर्ति का मूल्य, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी की दशा में आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंकित मूल्य या कीमत का 112/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी की दशा में लाटरी का अंकित मूल्य या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कीमत का 128/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

4. **स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(i) माल में पूंजी माल भी सम्मिलित हैं।

- (ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” का है।
- (iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के लिए नियम जहां तक हो सके, शीर्ष 9988 के निर्वचन को लागू होंगे।
- (iv) इस अधिसूचना में जहां कहीं कोई दर इस शर्त के अधीन कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है, विहित की गई है, वहां उसका तात्पर्य यह होगा कि,—
- (क) ऐसी सेवा की पूर्ति में अन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और
- (ख) ऐसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसी सेवा की पूर्ति एक ब्रूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू होते।
- (v) “सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर” से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या इमेज, जिसमें सोर्स कोड और आब्जेक्ट कोड मशीन में पठनीय रूप से अभिलिखित और परिवर्तन किए जाने में सक्षम या प्रयोगकर्ता के लिए अंतर-क्रियाकलाप प्रदान करने, कंप्यूटर या किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत करना सम्मिलित है, अभिप्रेत है।
- (vi) “कृषि विस्तार” से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है।
- (vii) “कृषि उत्पाद” से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन केखाद्य के लिए ,, फाइबर , न पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा जि ,कच्ची सामग्रियां या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत है ,ईंधन प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है।
- (viii) “कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड” से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है।

5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 8/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 683(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (iii) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the integrated tax, on the inter-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below, falling under Chapter, Section or Heading of scheme of classification of services as specified in column (2), shall be levied at the rate as specified in the corresponding entry in column (4), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Section or Heading	Description of Service	Rate (per cent.)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Chapter 99</b>	<b>All Services</b>		
2	<b>Section 5</b>	<b>Construction Services</b>		
3	<b>Heading 9954</b> (Construction services)	(i) Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. (Provisions of paragraph 2 of this notification shall apply for valuation of this service)	18	-
		(ii) composite supply of works contract as defined in clause 119 of section 2 of Central Goods and Services Tax Act, 2017.	18	-
		(iii) construction services other than (i) and (ii) above.	18	-
4	<b>Section 6</b>	<b>Distributive Trade Services; Accommodation, Food and Beverage Service; Transport Services; Gas and Electricity Distribution Services</b>		
5	<b>Heading 9961</b>	Services in wholesale trade. Explanation-This service does not include sale or purchase of goods but includes: - Services of commission agents, commodity brokers, and auctioneers and all other traders who negotiate whole sale commercial transactions between buyers and sellers, for a fee or commission' - Services of electronic whole sale agents and brokers, - Services of whole sale auctioning houses.	18	-
6	<b>Heading 9962</b>	Services in retail trade. <i>Explanation-</i> This service does not include sale or purchase of goods	18	-
7	<b>Heading 9963</b> (Accommodation, food and beverage services)	(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, neither having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year and nor having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	12	-
		(ii) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of one thousand rupees and above but less than two thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of	12	-

	accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
	(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	18	-
	(iv) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year.	18	-
	(v) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever in outdoor catering wherein goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), as a part of such outdoor catering and such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.	18	-
	(vi) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of two thousand five hundred rupees and above but less than seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	18	-
	(vii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, including but not limited to food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, in a premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) together with renting of such premises.	18	-
	(viii) Accommodation in hotels including five star hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a	28	-

		unit of accommodation of seven thousand and five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. <i>Explanation.</i> —“declared tariff ” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
		(ix) Accommodation, food and beverage services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	18	-
8	<b>Heading 9964</b> (Passenger transport services)	(i) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by rail in first class or air conditioned coach.	5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods used in supplying the service is not utilised for paying integrated tax, central tax, state tax or union territory tax on the supply of the service
		(ii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings by- (a) air conditioned contract carriage other than motorcab; (b) air conditioned stage carriage; (c) radio taxi. <i>Explanation.</i> - (a) “contract carriage” has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); (b) “stage carriage” has the meaning assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) ; (c) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS).	5	Provided that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air in economy class.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iv) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating in a Regional Connectivity Scheme Airport, as notified by the Ministry of Civil Aviation.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]

		(v) Transport of passengers by air, with or without accompanied belongings, in other than economy class.	12	-
		(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	18	-
9	<b>Heading 9965</b> (Goods transport services)	(i) Transport of goods by rail [other than services specified at item no. (iv)].	5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods in supplying the service is not utilised for paying integrated tax, central tax, state tax or union territory tax on the supply of the service
		(ii) Transport of goods in a vessel including services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India.	5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) used in supplying the service has not been taken <i>Explanation:</i> This condition will not apply where the supplier of service is located in non-taxable territory. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	12	-
		(v) Goods transport services other than (i), (ii), (iii) and (iv) above.	18	-



10	<b>Heading 9966</b> (Rental services of transport vehicles)	(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(ii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) above.	9	-
11	<b>Heading 9967</b> (Supporting services in transport)	(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(ii) Supporting services in transport other than (i) above.	18	-
12	<b>Heading 9968</b>	Postal and courier services.	18	-
13	<b>Heading 9969</b>	Electricity, gas, water and other distribution services.	18	-
14	<b>Section 7</b>	<b>Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services.</b>		
15	<b>Heading 9971</b> (Financial and related services)	(i) Services provided by a foreman of a chit fund in relation to chit. <i>Explanation.-</i> (a) "chit" means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, kuri, or by whatever name by or under which a person enters into an agreement with a specified number of persons that every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead) by way of periodical instalments over a definite period and that each subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to a prize amount; (b) “foreman of a chit fund” shall have the same meaning as is assigned to the expression “foreman” in clause (j) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982).	12	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iii) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-

		(iv) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) “scheduled air cargo service” means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, not open to use by passengers.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken <i>Explanation:</i> This condition will not apply where the supplier of the leasing service is located in non-taxable territory. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)]
		(v) Financial and related services other than (i), (ii), (iii) and (iv) above.	18	-
16	<b>Heading 9972</b>	Real estate services.	18	-
17	<b>Heading 9973</b> (Leasing or rental services, with or without operator)	(i) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software.	12	-
		(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of Information Technology software. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (v)]	18	-
		(iii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iv) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of integrated tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(v) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken <i>Explanation:</i> This condition will not apply where the supplier of the leasing service is located in non-taxable territory.

		frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) "scheduled air cargo service" means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, not open to use by passengers.		[Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(vi) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	Same rate of integrated tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
18	<b>Section 8</b>	<b>Business and Production Services</b>		
19	<b>Heading 9981</b>	Research and development services.	18	-
20	<b>Heading 9982</b>	Legal and accounting services.	18	-
21	<b>Heading 9983</b> (Other professional, technical and business services)	(i) Selling of space for advertisement in print media. (ii) Other professional, technical and business services other than (i) above.	5 18	- -
22	<b>Heading 9984</b>	Telecommunications, broadcasting and information supply services.	18	-
23	<b>Heading 9985</b> (Support services)	(i) Supply of tour operators services. <i>Explanation.</i> - "tour operator" means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours.	5	1. Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] 2. The bill issued for supply of this service indicates that it is inclusive of charges of accommodation and transportation required for such a tour and the amount charged in the bill is the gross amount charged for such a tour including the charges of accommodation and transportation required for such a tour.
		(ii) Support services other than (i) above	18	-
24	<b>Heading 9986</b>	(i) Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry. <i>Explanation.</i> - Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry mean - (i) Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw	Nil	-

		<p>material or other similar products or agricultural produce by way of—</p> <p>(a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;</p> <p>(b) supply of farm labour;</p> <p>(c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;</p> <p>(d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;</p> <p>(e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;</p> <p>(f) agricultural extension services;</p> <p>(g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.</p> <p>(ii) Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables.</p> <p>(iii) Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce.</p>		
		(ii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution.	18	-
25	<b>Heading 9987</b>	Maintenance, repair and installation (except construction) services.	18	-
26	<b>Heading 9988</b> (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	<p>(i) Services by way of job work in relation to-</p> <p>(a) Printing of newspapers;</p> <p>(b) Textile yarns (other than of man-made fibres) and textile fabrics;</p> <p>(c) Cut and polished diamonds; precious and semi-precious stones; or plain and studded jewellery of gold and other precious metals, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);</p> <p>(d) Printing of books (including Braille books), journals and periodicals;</p> <p>(e) Processing of hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975).</p> <p><i>Explanation.-</i> “man made fibres” means staple fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing processes either,-</p> <p>(a) by polymerisation of organic monomers to produce polymers such as polyamides, polyesters, polyolefins or polyurethanes, or by chemical modification of polymers produced by this process [for example, poly(vinyl alcohol)</p>	5	-

		prepared by the hydrolysis of poly(vinyl acetate)]; or (b) by dissolution or chemical treatment of natural organic polymers (for example, cellulose) to produce polymers such as cuprammonium rayon (cupro) or viscose rayon, or by chemical modification of natural organic polymers (for example, cellulose, casein and other proteins, or alginic acid), to produce polymers such as cellulose acetate or alginates.		
		(ii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) above.	18	-
27	<b>Heading 9989</b>	Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services.	18	-
28	<b>Section 9</b>	<b>Community, Social and Personal Services and other miscellaneous services</b>		
29	<b>Heading 9991</b>	Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services.	18	-
30	<b>Heading 9992</b>	Education services.	18	-
31	<b>Heading 9993</b>	Human health and social care services.	18	-
32	<b>Heading 9994</b>	Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services.	18	-
33	<b>Heading 9995</b>	Services of membership organisations.	18	-
34	<b>Heading 9996</b> (Recreational, cultural and sporting services)	(i) Services by way of admission or access to circus, Indian classical dance including folk dance, theatrical performance, drama.	18	-
		(ii) Services by way of admission exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is one hundred rupees or less.	18	-
		(iii) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting, casinos, race-course, ballet, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	28	-
		(iv) Services provided by a race club by way of totalisator or a license to bookmaker in such club.	28	-
		(v) Gambling.	28	-
		(vi) Recreational, cultural and sporting services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	18	-
35	<b>Heading 9997</b>	Other services (washing, cleaning and dyeing services; beauty and physical well-being services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).	18	-
36	<b>Heading 9998</b>	Domestic services.	18	-
37	<b>Heading 9999</b>	Services provided by extraterritorial organisations and bodies.	18	-

2. In case of supply of service specified in column (3) of the entry at item (i) against serial no. 3 of the Table above, involving transfer of property in land or undivided share of land, as the case may be, the value of supply of service and goods portion in such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

*Explanation .-* For the purposes of paragraph 2, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be.

3. Value of supply of lottery shall be 100/112 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery run by State Government and 100/128 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery authorised by State Government.

4. *Explanation.*- For the purposes of this notification,-

(i) Goods includes capital goods.

(ii) Reference to “Chapter”, “Section” or “Heading”, wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as “Chapter”, “Section” and “Heading” in the scheme of classification of services.

(iii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of heading 9988.

(iv) Wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken, it shall mean that,-

(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such service has not been taken; and

(b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such service and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such service is an exempt supply and attracts provisions of clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder.

(v) “information technology software” means any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code, recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of a computer or an automatic data processing machine or any other device or equipment.

(vi) “agricultural extension” means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training;

(vii) “agricultural produce” means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market;

(viii) “Agricultural Produce Marketing Committee or Board” means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce;

5. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

**सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 684(अ).**—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्बहणीय उतने एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित उक्त कर की रकम से अधिक है, अर्थात्:—

## सारणी

क्र. सं.	अध्याय, खंड, शीर्ष, समूह और सेवा कोड (टैरिफ)	सेवा का वर्णन	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अध्याय 99	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा पूर्ण कार्यकलापों के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	अध्याय 99	किसी चालू समुत्थान के, पूर्ण या उसके किसी स्वतंत्र भाग के अंतरण के द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	अध्याय 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में कोई कार्यकलाप या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए कृत्यों के संबंध में कोई कार्यकलाप के माध्यम से केवल मात्र सेवा (कार्य संविदा सेवा या अन्य समिश्र पूर्तियां, जिसमें किन्हीं मालों की पूर्ति अंतर्वलित है को छोड़कर)।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या शासकीय प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी क्रियाकलाप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	शीर्ष 99	सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाएं, निम्नलिखित सेवाओं को अपवर्जित करते हुए— (i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ; (ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; या (iv) किन्हीं कारबार अस्तित्वों को उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा, जो ऊपर खंड (i) से (iii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं से भिन्न है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए) तक था। स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रविष्टि के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे- (क) सेवाएं,— (i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ; (ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ;	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; और (ख) स्थावर संपत्ति को किराए पर दिए जाने संबंधी सेवाएं ।		
8.	शीर्ष 99	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं : परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित सेवाओं को लागू नहीं होगी ; (i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ; (ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	शीर्ष 99	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं, जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रतिफल पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है :  परंतु निम्नलिखित कोई बात इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट लागू नहीं होगी— (i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अधिकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा डाक विभाग द्वारा सेवाएं ; (ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की परिसीमा के अंदर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ; (iii) माल और यात्रियों का परिवहन : परंतु यह और कि जहां केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (33) में यथा परिभाषित सेवाओं के निरंतर प्रदाय की दशा में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, छूट केवल तभी लागू होगी जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार्य प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	अध्याय 99	किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी सेवा प्रदाता से निम्नलिखित को प्राप्त सेवाएं,- (क) वाणिज्य उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी शासकीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति,; (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अस्तित्व को, पूर्ण क्रियाकलाप उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए; या (ग) किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति को: परंतु छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,- (i) प्रविष्टि (क) या प्रविष्टि (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किसी आन-लाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनःप्राप्ति सेवाओं; या (ii) इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक माल के किसी जलयान द्वारा परिवहन के माध्यम से प्राप्त सेवाओं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं



11.	शीर्ष 9954	किसी सिविल ढांचे या फायदाग्राही व्यष्टिक के गृह संनिर्माण या सब के लिए घर या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन केवल किसी अन्य संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, प्रतिष्ठापन, पूरा करने, फिटिंग आउट, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या फेरफार के लिए केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	शीर्ष 9954	एकल आवासीय इकाई, जो अन्यथा किसी आवासीय परिसर का भाग नहीं है, से संबंधित संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने या मूल कार्य के प्रतिष्ठापन की केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972	आवासीय गृह को निवास के रूप में उपयोग के लिए किराए पर देने संबंधी सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14.	शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972 या शीर्ष 9995 या धारा 9 के अधीन कोई अन्य शीर्ष	निम्नलिखित के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा सेवाएं- (क) किसी धार्मिक समारोह का संचालन ; (ख) साधारण पब्लिक के लिए आशयित किसी धार्मिक स्थान के परिसर को भाटक पर देना, जिसका स्वामित्व या प्रबंधन आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 12कक के अधीन पूर्त या धार्मिक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ग के उपखंड (v) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या उक्त आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23खखक के अधीन आने वाली इकाई या किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है : परंतु इस छूट के (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू होगी,- (i) कक्षों को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन एक हजार रुपए या अधिक है ; (ii) परिसरों, सामुदायिक हालों, कल्याणमंडपम या खुले स्थानों आदि को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार रुपए या अधिक है ; (iii) दुकानों या कारबार या वाणिज्य के लिए अन्य स्थानों को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार रुपए या अधिक है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
15.	शीर्ष 9963	किसी होटल, सराय या अतिथिगृह, क्लब या कैंप स्थल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा निवास या आवास के प्रयोजनों के लिए सेवाएं देना, जिनका आवास की किसी इकाई का घोषित टैरिफ प्रतिदिन एक हजार रुपए से कम या समतुल्य है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
16.	शीर्ष 9964	निम्नलिखित द्वारा यात्रियों का परिवहन साथ के समान सहित या रहित- (क) वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य या पश्चिमी बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा विमानपत्तन से उड़ान भरने वाले या वहां पर उतरने वाले वायुयान द्वारा ; (ख) पर्यटन, आयोजित टूर, चार्टर या भाड़े पर के सिवाय यात्रियों के किसी गैर वातानुकूलित संविदा कैरिज, जो रेडियो टैक्सी से भिन्न है, में परिवहन हेतु ; या (ग) वातानुकूलित स्टैज कैरिज से भिन्न स्टैज कैरिज।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
17.	शीर्ष 9964	केंद्रीय सरकार को वायुयान द्वारा यात्रियों की समान सहित या उसके बिना व्यवहार्यता दूरी वित्तपोषण के रूप में प्रतिफल के लिए परिवहन सेवाएं, जो प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन से प्रारंभ हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं, उपलब्ध कराना : परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन के प्रचालनों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर या पश्चात् लागू नहीं होगी।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

18.	शीर्ष 9964	यात्रियों की निम्नलिखित के माध्यम से माल असबाब सहित या उसके बिना परिवहन सेवा— (क) निम्नलिखित से भिन्न श्रेणी में रेल द्वारा— (i) प्रथम श्रेणी ; या (ii) वातानुकूलित कोच ; (ख) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे ; (ग) आंतरिक जलमार्ग ; (घ) प्रमुखतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न किसी जलयान में भारत में अवस्थित स्थानों के बीच लोक परिवहन ; और (ङ) मीटरीकृत कैब या आटोरिक्शा (जिसके अंतर्गत ई-रिक्शा हैं) ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
19.	शीर्ष 9965	माल के परिवहन के रूप में सेवाएं— (क) निम्नलिखित सेवाओं के सिवाय सड़क मार्ग द्वारा— (i) कोई माल परिवहन अभिकरण ; (ii) कोई कुरियर अभिकरण ; (ख) अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20.	शीर्ष 9965	भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक किसी वायुयान द्वारा मालों के परिवहन संबंधी सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21.	शीर्ष 9965	भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान को निम्नलिखित मालों की रेल या जलयान के माध्यम से परिवहन सेवाएं— (क) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशयित राहत सामग्रियां ; (ख) रक्षा या सैनिक उपस्कर ; (ग) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन ; (घ) रेल उपस्कर या सामग्रियां ; (ङ) कृषि उत्पाद ; (च) दूध, नमक और खाद्यान्न, जिसके अंतर्गत आटा, दलहन और चावल हैं ; और (छ) जैविक खाद ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
22.	शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967	माल परिवहन अभिकरण द्वारा निम्नलिखित माल वाहक में परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं,- (क) कृषि उत्पाद ; (ख) माल, जहां एकल वाहक में परिवहन किए गए परेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होता है ; (ग) माल, जहां एकल प्रेषिती को परिवहन किए गए परेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभारित प्रतिफल सात सौ पचास रुपए से अधिक नहीं होता है ; (घ) दूध, नमक और खाद्यान्न, जिसके अंतर्गत आटा, दलहन और चावल हैं ; (ङ) जैविक खाद ; (च) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन ; (छ) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशयित राहत सामग्रियां ; और (ज) रक्षा या सैनिक उपस्कर ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

23.	शीर्ष 9966 या 9973	निम्नलिखित को भाड़े पर दिए जाने संबंधी सेवाएं— (क) किसी राज्य परिवहन उपक्रम को कोई ऐसा मोटर यान, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; या (ख) किसी माल परिवहन अभिकरण को, माल के परिवहन के लिए कोई साधन ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	शीर्ष 9967	पथकर प्रभारों के संदाय पर किसी सड़क या किसी पुल तक पहुंच प्रदान करने संबंधी सेवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
25.	शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985	चावल की लदाई, उतराई, चैकिंग, भंडारण या भांडागार के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
26.	शीर्ष 9969	किसी विद्युत प्रेषण या वितरण उपयोगिता द्वारा विद्युत का प्रेषण या वितरण ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27.	शीर्ष 9971	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
28.	शीर्ष 9971	निम्नलिखित द्वारा सेवाएं— (i) निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को प्रदान करना, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में अंतर्वलित ब्याज से भिन्न) ; (ii) बैंकों या विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यौहारियों के बीच या बैंकों और ऐसे व्यौहारियों के बीच विदेशी मुद्रा का परस्पर विक्रय या क्रय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
29.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (23 of 2013) के अधीन भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन वार्षिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन बीमा कारबार संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
30.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को केंद्रीय सरकार के समूह बीमा स्कीमों के अधीन सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाए गए जीवन बीमा कारबार संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन शासित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
32.	शीर्ष 9971	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन शासित व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
33.	शीर्ष 9971	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
34.	शीर्ष 9971	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करके तथा प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और उसका विनियमन करके उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
35.	शीर्ष 9971	अर्जक बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य संदाय कार्ड सेवा द्वारा संव्यवहार किए गए एकल संव्यवहार में दो हजार रुपए तक की किसी रकम के निपटान के संबंध में किसी व्यक्ति को सेवाएं । स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए “अर्जक बैंक” से कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जो किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करता है, को संदाय करता है ।		

36.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	<p>निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराई गई साधारण बीमा कारबार सेवाएं—</p> <p>(क) हट बीमा स्कीम ;</p> <p>(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वः रोजगार योजना (जो पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात थी) के अधीन पशु बीमा ;</p> <p>(ग) जनजातियों के बीमा की स्कीम ;</p> <p>(घ) जनता वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और ग्रामीण दुर्घटना पालिसी ;</p> <p>(ङ) स्वःनियोजित महिलाओं के लिए वैयक्तिक समूह दुर्घटना पालिसी ;</p> <p>(च) कृषि पंप सेट और सुखा कुंआ बीमा ;</p> <p>(छ) निर्यात क्रेडिट बीमा पर संग्रहित प्रीमियम ;</p> <p>(ज) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम ;</p> <p>(झ) जन-आरोग्य बीमा पालिसी ;</p> <p>(ञ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) ;</p> <p>(ट) बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम ;</p> <p>(ठ) पशु बीमा पर केंद्रीय सेक्टर स्कीम ;</p> <p>(ड) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम ;</p> <p>(ढ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ;</p> <p>(ण) कोकोनट पाम बीमा स्कीम ;</p> <p>(त) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ;</p> <p>(थ) राष्ट्रीय स्वःपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के उपबंधों के अधीन गठित न्यास द्वारा कार्यान्वित निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम ।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं
37.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	<p>निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराए गए जीवन बीमा कारबार की सेवाएं—</p> <p>(क) जनश्री बीमा योजना ; या</p> <p>(ख) आम आदमी बीमा योजना ;</p> <p>(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद, जिसकी अधिकतम कवर की राशि पचास हजार रुपए है ;</p> <p>(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ;</p> <p>(ङ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ;</p> <p>(च) प्रधानमंत्री जन-धन योजना ;</p> <p>(छ) प्रधानमंत्री वया वंदन योजना ।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं
38.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	अटल पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
39.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
40.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9985	<p>संबंधित क्षमताओं में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा सेवाएं—</p> <p>(क) किसी बैंककारी कंपनी को उसकी ग्रामीण क्षेत्र में शाखा में खातों के संबंध</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		में कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेंट ; (ख) खंड (क) में वर्णित सेवाओं के संबंध में किसी कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेंट को मध्यवर्ती के रूप में कोई व्यक्ति ; या (ग) किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कंपनी को कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेंट ।		
41.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	किसी बीमा स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जिसके लिए कुल प्रीमियम का संदाय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाता है ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
42.	शीर्ष 9971	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, विदेशी मुद्रा आरक्षितियों के प्रबंध के संबंध में भारत के बाहर से प्राप्त की गई कोई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
43.	शीर्ष 9972	राज्य सरकार की औद्योगिक विकास निगमों या उपक्रमों द्वारा औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक भू-खंडों के दीर्घावधि (तीस वर्ष या अधिक) पट्टे अनुदत्त करने के माध्यम से सेवा की बाबत उद्बहणीय एकमुश्त अप्रेंट रकम (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
44.	शीर्ष 9973 या 9991	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व अवधि की अवधि के दौरान किसी टेलीकॉम सेवा प्रदाता के रूप में प्रचालन के लिए या रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए किसी कारबार अस्तित्व को, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति फीस या स्पेक्ट्रम उपयोग के प्रभार के संदाय पर अनुज्ञात करने के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
45.	शीर्ष 9973	भारतीय रेल को भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा (चल स्टॉक आस्तियों, जिसके अंतर्गत वैगन, कोच, लोको भी है) आस्तियों के पट्टे पर देने की सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
46.	शीर्ष 9981	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी वित्तीय वर्ष में कुल पचास लाख रुपए के आवर्त तक के किसी इनक्यूबेट द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, अर्थात् :- (क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था ; और (ख) इनक्यूबेट के रूप में करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात् से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
47.	शीर्ष 9982, या शीर्ष 9991	निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निम्नलिखित को, - (i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या (ii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए) ; (ख) अधिवक्ताओं की किसी भागीदारी फर्म या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न किसी अधिवक्ता के रूप में किसी व्यक्ति को निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं के माध्यम से,- (i) विधिक सेवाएं उपलब्ध करने वाले किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी फर्म ; (ii) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या (iii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए) ;	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		(ग) किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, निम्नलिखित को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराके,- (i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या (ii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए) ;		
48.	शीर्ष 9983	किसी पशु क्लीनिक द्वारा प्राणियों या पक्षियों की स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
49.	शीर्ष 9991, शीर्ष 9983	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा-- (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण ; (ख) कार्मिकों, उपभोक्ताओं या अधिकांशतः जनता की सुरक्षा से संबंधित परीक्षण, अशांकन, सुरक्षा जांच या प्रमाणन, जिसके अंतर्गत अग्नि अनुज्ञप्ति, जो तत्समय किसी विधि के अधीन अपेक्षित है, के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
50.	शीर्ष 9983 या अध्याय 99 का अन्य कोई शीर्ष	विज्ञान और तकनीकी विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी उद्यम विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटर या किसी विज्ञान और तकनीकी उद्यम पार्क या जैव तकनीकी विभाग, भारत सरकार के अधीन बायो तकनीकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् द्वारा अनुमोदित जैव इंक्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली कराधेय सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
51.	शीर्ष 9984	किसी स्वतंत्र पत्रकार या प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया द्वारा समाचारों को एकत्र या उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
52.	शीर्ष 9984 या शीर्ष 9991	पुस्तकों, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञानवर्धन अंतर्वस्तु या सामग्री को उधार देने संबंधी लोक पुस्तकालयों की सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
53.	शीर्ष 9984	माल और सेवाकर (जीएसटी) के अनुपालन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों को माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
54.	शीर्ष 9985	किसी टूर प्रचालक द्वारा किसी विदेशी पर्यटक को, पूर्ण रूप से भारत से बाहर संचालित किसी यात्रा के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
55.	शीर्ष 9985	भारत के बाहर आयोजित किसी कारबार प्रदर्शनी की बावत किसी आयोजक द्वारा किसी भी व्यक्ति को सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
56.	शीर्ष 9985	खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को प्रायोजित करने की सेवाएं— (क) किसी राष्ट्रीय खेल फेडरेशन या उसके किसी सहबद्ध फेडरेशन द्वारा, जहां भाग लेने वाली टीमों या व्यष्टि किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ; (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय विद्यालय खेल फेडरेशन, भारत के मूकों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद्, भारत की विकलांग पैरालम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत द्वारा ; (ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा ; (घ) भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के एक भाग के रूप में ; या (ङ) पंचायत युवा केंद्र और खेल अभियान स्कीम के अधीन ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
57.	शीर्ष 9986	निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		<p>ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पालन-पोषण से संबंधित सेवाएं—</p> <p>(क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, श्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ;</p> <p>(ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं ;</p> <p>(घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना ;</p> <p>(ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;</p> <p>(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।</p>		
58.	शीर्ष 9986	पादपों की बुआई और अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन-पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
59.	शीर्ष 9988	पशुओं के वध के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
60.	शीर्ष 9988 या अन्य कोई शीर्ष का खंड 8 और खंड 9	फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
61.	शीर्ष 9992, शीर्ष 9988	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रशीतन शृंखला विकास केंद्र द्वारा प्रशीतन शृंखला संबंधी ज्ञान का प्रसार करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
62.	शीर्ष 9999	भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
63.	शीर्ष 9991	किसी द्विपक्षीय समझौते के अधीन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट संगठन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
64.	शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट, वीजा, चालन-अनुज्ञप्ति, जन्म प्रमाणपत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
65.	शीर्ष 9991, शीर्ष 9997	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी गैर निष्पादनकारी संविदा, जिसके लिए जुमाने या परिसमापन नुकसानी के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण को उस संविदा के अधीन संदेय है, को वहन करने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
66.	शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पादपों की कृषि और अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित रूपों के पालन-पोषण के लिए किसी व्यक्ति किसान को भोजन, फाइबर,	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		ईंधन, कच्ची सामग्री या उसी प्रकार के अन्य उत्पादों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं।		
67.	शीर्ष 9991 या शीर्ष 9973	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जहां उपयोग के अधिकार को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व समनुदेशित किया गया है : परंतु यह छूट केवल पूर्ण एकमुश्त या किस्तों में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार को समनुदेशित करने के लिए प्रभार्य एक बार संदेय कर को लागू होगी।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
68.	शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा वाणिज्य समयोपरि प्रभारों के संदाय पर आयात-निर्यात कार्गो से संबंधित निरीक्षण या आधान भरने या अन्य ऐसे कर्तव्यों के लिए कार्यालय समय के पश्चात् या अवकाश दिवस पर अधिकारियों को तैनात करने के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
69.	शीर्ष 9992	निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं, - (क) किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा उसके छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद को ; (ख) निम्नलिखित के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्था को,- (i) छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद का परिवहन ; (ii) कैटेरिंग, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रायोजित मिड डे मील स्कीम है ; (iii) ऐसी शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध कराई गई सुरक्षा या सफाई या हाऊस कीपिंग संबंधी सेवाएं ; (iv) ऐसी संस्था द्वारा उसमें प्रवेश या परीक्षा के आयोजन से संबंधित सेवाएं ; उच्चतर माध्यमिक स्तर तक : परंतु इस प्रविष्टि (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात पूर्व विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समतुल्य स्तर पर शिक्षा के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था को लागू नहीं होगी।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
70.	शीर्ष 9992	भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा, केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उनके छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम को छोड़कर निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं,- (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ; (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
71.	शीर्ष 9996, या शीर्ष 9992	किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ; (ख) किसी अन्य मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा	कुछ नहीं	कुछ नहीं



72.	शीर्ष 9992 या शीर्ष 9991 या शीर्ष 9983	निम्नलिखित द्वारा प्रदाय कोई सेवाएं— (i) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ; (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई सेक्टर कौशल परिषद् ; (iii) सेक्टर कौशल परिषद् या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई निर्धारण अभिकरण ; (iv) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या सेक्टर कौशल परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार, निम्नलिखित के संबंध में,— (क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम ; या (ख) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यवसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम ; या (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य स्कीम ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
73.	शीर्ष 9992 या शीर्ष 9983 या शीर्ष 9985	कौशल विकास पहल स्कीम के अधीन निर्धारण के माध्यम द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सूचीबद्ध निर्धारण निकायों की सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
74.	शीर्ष 9992	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणीकृत कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों के माध्यम द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
75.	शीर्ष 9992	किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके लिए कुल व्यय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया गया है, के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
76.	शीर्ष 9992	रज्जु रक्त बैंक द्वारा स्टेम कोशिकाओं के परिरक्षण के द्वारा या ऐसे परिरक्षण के संबंध में कोई अन्य सेवाएं द्वारा प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
77.	शीर्ष 9993	निम्नलिखित के माध्यम से सेवाएं— (i) किसी नैदानिक स्थापन, किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी या पैरा चिकित्सीय द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं ; (ii) किसी रोगी वाहन में किसी रोगी के परिवहन के रूप में पूर्वोक्त (i) में विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न प्रदत्त सेवाएं,	कुछ नहीं	कुछ नहीं
78.	शीर्ष 9994	किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालकों द्वारा, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुवंशिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
79.	शीर्ष 9994	लोक सुविधाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं जैसे कि स्नानागार, वाश रूम, शौच घर, मूत्रालय या शौचालयों का उपबंध किया जाना ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
80.	शीर्ष 9995	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी गैर-निगमित निकाय या रजिस्ट्रीकृत किसी गैर लाभकारी अस्तित्व द्वारा उसके स्वयं के सदस्यों को निम्नलिखित के रूप में प्रभारों की प्रतिपूर्ति या अभिदाय के शेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवा— (क) किसी व्यापार संघ के रूप में ; (ख) किसी ऐसे क्रियाकलाप को करने का उपबंध करने हेतु, जिसे माल और सेवाकर के उद्घरण से छूट प्राप्त है ; या (ग) किसी हाऊसिंग सोसाइटी या आवासीय काम्पलेक्स में उसके सदस्यों के सामूहिक उपयोग के लिए किसी तृतीय व्यक्ति से प्राप्त किए जाने वाले माल या सेवाओं के लिए प्रति सदस्य प्रतिमास पांच हजार रुपए तक की रकम ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

81.	शीर्ष 9996	किसी कलाकार द्वारा निम्नलिखित रूप के किसी लोक या शास्त्रीय कला रूप में प्रदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) थियेटर, यदि ऐसे कला प्रदर्शन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है : परंतु यह छूट ऐसे कलाकार द्वारा किसी ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के संबंध में लागू नहीं होगी ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
82.	शीर्ष 9996	किसी संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित या चिडियाघर में प्रवेश करने संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
83.	शीर्ष 9996	(i) कला या संस्कृति, या (ii) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्ण अस्तित्व द्वारा खेल, के संबंध में किन्हीं आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों में प्रशिक्षण या कोचिंग द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
84.	शीर्ष 9996	(i) सर्कस, नृत्य, थियेटर अभिनय, जिसके अंतर्गत नाटक और नृत्य नाटक भी हैं ; (ii) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह, तमाशा, संगीत प्रदर्शनों या किसी मान्यताप्राप्त खेल आयोजन से भिन्न कोई खेल आयोजन ; (iii) मान्यताप्राप्त खेल आयोजन ; जहां उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिफल 250/- रुपए से अधिक नहीं है, के प्रवेश के अधिकार के माध्यम द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

**2. परिभाषाएँ-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विज्ञापन" से समाचार पत्र, टेलिविजन, रेडियो या किसी अन्य माध्यम से किसी घटना, विचार, स्थावर संपत्ति, व्यक्ति, सेवा, माल या अनुयोज्य दावे के विषय में संवर्धन के लिए प्रस्तुतिकरण का कोई रूप, या उनके विषय में जागरूकता लाना अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत वैयक्तिक रूप से कोई प्रस्तुतिकरण नहीं है;

(ख) "अधिवक्ता" का वही अर्थ है जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है;

(ग) "कृषि विस्तार" से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है;

(घ) "कृषि उत्पाद" से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन के, खाद्य के लिए, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्रियों या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत है, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है;

(ङ) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "वायुयान" का वही अर्थ है जो उसका वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 2 के खंड (1) में है;

(छ) "विमान पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 2 के खंड (ख) में है;

(ज) "अनुमोदित व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् या राज्य व्यवसायिक शिक्षा परिषद्, जो प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट व्यवसायों में पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करते हैं, से संबद्ध संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ; या

(ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित मोडुलर नियोजनीय कौशल पाठ्यक्रम;

(झ) “माध्यस्थम अधिकरण” का वही अर्थ है जो उसका माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 2 के खंड (घ) में है;

(ञ) “प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर” का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में “प्राधिकृत व्यक्ति” का है;

(ट) “प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी” से भारत में स्थापित या मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति की किसी भी मान्यताप्राप्त परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चिकित्सा पेशेवर सम्मिलित है जिसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित अर्हता है;

(ठ) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ है जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में है;

(ड) “ब्रांड अम्बेसडर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मालों के ब्रांड, सेवा, संपत्ति या अनुप्रोज्य दावा, घटना या नाम के पृष्ठांकन, जिसके अंतर्गत कोई व्यापार नाम, लोगो या किसी व्यक्ति का गृह चिह्न है, की प्रोन्नति या विपणन में लगा हुआ है;

(ढ) “कारबार निकाय” से कारबार करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) “कारबार सुकरकर्ता या कारबार संवाददाता” से किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार सुकरकर्ता माडल या कारबार संवाददाता माडल के अधीन या किसी बीमा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन नियुक्त मध्यवर्ती अभिप्रेत है;

(त) “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण” से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(थ) “केंद्रीय पारेषण उपयोगिता” का वही अर्थ है जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (10) में है;

(द) “पूर्त कार्यकलाप” से निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत है-

(i) निम्नलिखित के माध्यम से लोक स्वास्थ्य,-

(क) निम्नलिखित की देखरेख या काउंसिलिंग,-

(अ) असाध्य रूप से रुग्ण व्यक्ति या गंभीर शारीरिक या मानसिक निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति,

(आ) एच आई वी या एड्स ग्रस्त व्यक्ति, या

(इ) निर्भरता बनाने वाले पदार्थ जैसे मादक औसत या एल्कोहल के व्यसनी व्यक्ति; या

(ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एच आई वी संदूषण का निवारण करने के लिए लोक जागरूकता;

(ii) धर्म, आध्यात्मिकता या योग की प्रोन्नति;

(iii) निम्नलिखित से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों या कौशल की प्रोन्नति,-

(क) परित्यक्त, अनाथ या गृह-विहीन बालक;

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित और संघातग्रस्त व्यक्ति;

(ग) बंदी; या

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे पैसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति;

(iv) पर्यावरण संरक्षण जिसके अंतर्गत जलसंभर, वन और वन्य जीव हैं;

(ध) “नैदानिक प्रतिस्थापन” से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, सैनिटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जांच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;

- (न) “कान्ट्रेक्ट कैरिज” का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है;
- (प) “कुरियर अधिकरण” से समय संवेदनशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन में लगे हुए व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग या तो सीधे या अप्रत्यक्षतः ऐसे दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने या उनके साथ जाने के लिए करता है;
- (फ) “सीमाशुल्क स्टेशन” का वही अर्थ है जो उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा (2) के खंड (13) में है;
- (ब) “घोषित टैरिफ” में आवास इकाई में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं जैसे फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुविधाओं के लिए प्रभार सम्मिलित है किंतु इसमें ऐसी इकाई के लिए प्रकाशित प्रभारों में प्रस्ताव किया गया बढ़ा भी है;
- (भ) “वितरक या विक्रय अभिकर्ता” से कोई व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय या कोई अन्य विधिक निकाय जिसे विधि के अधीन आयोजनकारी राज्य द्वारा आचोजनकारी राज्य की ओर से लाटरियों के विपणन और विक्रय के लिए किसी करार के माध्यम से उस प्रकार नियुक्त किया गया है;
- (म) “शैक्षिक संस्था” से निम्नलिखित के माध्यम से,—
- (i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समतुल्य तक शिक्षा;
  - (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा;
  - (iii) किसी अनुमोदित व्यवसायिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है,
- अभिप्रेत है;
- (य) “वैद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता” से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; राज्य विद्युत बोर्ड, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन अधिसूचित राज्य पारेषण उपयोगिता; या उक्त अधिनियम के अधीन वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कोई इकाई जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं;
- (यक) “ई-रिक्शा” से विशेष प्रयोजन 4000 वाट से अनधिक शक्ति से बैटरी शक्ति चालित यान अभिप्रेत है जिनके भाटक या प्रतिफल पर, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन के लिए तीन पहिए हैं, जिनका विनिर्माण, सन्निर्माण या अंगीकरण, सज्जा और अनुरक्षण ऐसी विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है जो इस निमित्त विहित की जाएं;
- (यख) “साधारण बीमा कारबार” का वही अर्थ है जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 3 के खंड (छ) में है;
- (यग) “साधारण जनता” से अधिकांशतः लोगों का निकाय अभिप्रेत है, जो लोगों की सामान्य क्वालिटी या अव्यक्तिक प्रकृति के कारण पर्याप्त रूप से परिभाषित है;
- (यघ) “माल वाहक” का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (14) में है;
- (यङ) “माल परिवहन अभिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (यच) “सरकारी प्राधिकरण” का वही अर्थ है जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड (16) के स्पष्टीकरण में है;
- (यछ) “स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं” से निदान या उपचार या रूग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कास्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवांशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;
- (यज) “इंकूबेटी” से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड (एन एस टी ई डी बी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी कारबार इंकूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के परिसरों में अवस्थित

उद्यम अभिप्रेत है और जिसमें प्रौद्योगिकी कारबार इंक्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के साथ स्वयं को उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख और नूतन उत्पादों का विकास और उत्पादन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए करार किया है;

(यझ) "अंतर्देशीय जलमार्ग" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित या किसी अंतर्देशीय जल में कोई अन्य जलमार्ग जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित है, अभिप्रेत है;

(यज) "बीमा कंपनी" से जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार चलाने वाली कंपनी अभिप्रेत है;

(यट) "ब्याज" से उधार लिए गए किसी धन या उपगत ऋण (जिसके अंतर्गत कोई जमा, दावा या अन्य वैसे ही अधिकार या बाध्यता है) के संबंध में किसी रीति में संदेय ब्याज अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत उधार ली गई राशि या उपगत ऋण के संबंध में या किसी प्रत्यय सुविधा, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के संबंध में सेवा फीस या अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ;

(यठ) "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं ;

(यड) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड 11 में है ;

(यढ) "जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद" का वही अर्थ है जो उसका बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सुक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 के विनियम 2 के खंड (ड) में है ;

(यण) "मीटरित कैब" से कोई ठेकाकारी अभिप्रेत है, जिस पर एक स्वचालित युक्ति है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन अनुमोदित किस्म और मेक की है, लगी हुई है, जो किसी क्षण प्रभार्य भाटक और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी परमिट की शर्तों के अधीन तदनुसार प्रभार्य भाटक के पठन को उपदर्शित करती है, (किंतु इसके अंतर्गत रेडियो टैक्सी नहीं है) ;

(यत) "राष्ट्रीय उद्यान" का वही अर्थ है जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड 21 में है ;

(यथ) "मूल संकर्म" से सभी नए संकर्म अभिप्रेत है ;

- (i) भूमि पर परित्यक्त या क्षतिग्रस्त ढांचों पर सभी किस्म के वर्धन और फेरफार, जो उन्हें कार्य योग्य बनाने के लिए अपेक्षित हैं ;
- (ii) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर या ढांचों का परिनिर्माण चालू करना या संस्थापन, चाहे प्री फेब्रिकेटेड या अन्यथा हो ;

(यद) "प्रिंट मीडिया" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

- (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'पुस्तक' किंतु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएं, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, सम्मिलित नहीं है ;
- (ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार-पत्र' ;

(यध) "पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (थ) में या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड 4 में है ;

(यन) "रेडियो टैक्सी" से रेडियो कैब सहित ऐसी टैक्सी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या साधारण पैकेट रेडियो सर्विस का प्रयोग करके पता लगाने में समर्थ है ;

(यप) "मान्यताप्राप्त खेलकूद आयोजन" से ऐसा कोई खेलकूद आयोजन अभिप्रेत है,-

- (i) जो किसी मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां भाग लेने वाली टीम या व्यष्टि, किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करता है ;

- (ii) जो निम्नलिखित के द्वारा आयोजित किया जाता है-
- (क) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ या उसके सहबद्ध परिसंघ, जहां भाग लेने वाली टीमों या व्यष्टि किसी जिले, राज्य या जोन का प्रतिनिधित्व करते हैं ;
- (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल परिसंघ, अखिल भारतीय ब्रिदर खेलकूद परिषद्, भारतीय पैरालिम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत ;
- (ग) केंद्रीय सिविल सेवा, सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड ;
- (घ) भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में ; या
- (ङ) पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान(पीवाईकेकेए) स्कीम के अधीन ;

(यफ) “मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय” से अभिप्रेत है- (i) भारतीय ओलंपिक संगम ; (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण ; (iii) केंद्रीय सरकार खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय तथा उसके सहबद्ध परिसंघों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ ; (iv) केंद्रीय सरकार के खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संवर्धन संगठन ; (v) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम द्वारा मान्यताप्राप्त परिसंघ ; या (vi) कोई ऐसा परिसंघ या निकाय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद को विनियमित करता है और भारत में खेल को विनियमित करने वाले सहबद्ध परिसंघ या निकाय ;

(यब) “धार्मिक स्थान” से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जो मुख्यतः धर्म या ध्यान या आध्यात्मिकता से संबंधित प्रार्थनाओं या उपासना के लिए है ;

(यभ) “स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना” से किसी स्थावर संपत्ति में उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण सहित या रहित ऐसी किसी पट्टे, प्रवेश, अधिभोग, उपयोग को अनुज्ञात करना या अनुमति देना या ऐसी कोई सुविधा प्रदान करना और जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना, अनुज्ञापन या अन्य वैसे ही ठहराव भी हैं ;

(यम) “भारतीय रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित बैंक अभिप्रेत है ;

(यय) “आवास या परिसर” से ऐसा कोई प्रक्षेत्र अभिप्रेत है, जो एकल आवासीय यूनिट से अधिक भवन या भवनों से मिलकर बना है ;

(ययक) “ग्रामीण क्षेत्र” से भू-राजस्व अभिलेखों में यथापरिभाषित किसी ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

किसी नगरपालिक समिति, नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति ; या कोई क्षेत्र, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाए ;

(ययख) “ज्येष्ठ अधिवक्ता” का वही अर्थ है, जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 16 में है ;

(ययग) “एकल आवासीय यूनिट” से ऐसी स्वतःपूर्ण आवासीय यूनिट अभिप्रेत है, जो एक कुटुंब के लिए आवासीय प्रयोजनों हेतु पूर्णतः या मुख्य रूप से उपयोग के लिए डिजाइन की गई है ;

(ययघ) “विशेष प्रवर्ग राज्य” से ऐसे राज्य अभिप्रेत होंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट हैं ;

(ययङ) “विनिर्दिष्ट संगठन” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

(क) कुमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का उपक्रम ; या

(ख) हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथापरिभाषित ‘समिति’ या ‘राज्य समिति’ ;

(ययच) “स्टेज कैरिज” का वही अर्थ होगा, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है ;

(ययछ) “राज्य विद्युत बोर्ड” से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 44) की धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ययज) “राज्य पारेषण यूटिलिटी” का वही अर्थ होगा, जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (67) में है ;

(ययझ) “राज्य परिवहन उपक्रम” का वही अर्थ है, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में है ;

(ययज) “बाघ रिजर्व” का वही अर्थ है, जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ट के खंड (ड.) में है ;

(ययट) “टूर आपरेटर” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो परिवहन के किसी ढंग द्वारा यात्रा की योजना बनाने, उनको तैयार करने, आयोजित करने, व्यवस्था करने (जिसमें आवास, दर्शनीय स्थलों के लिए या वैसी ही सेवाओं के लिए व्यवस्थाएं भी हो सकेंगी) में लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत टूरों को प्रचालित करने के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति भी है ।

(ययठ) “व्यापार संघ” का वही अर्थ है जो उसका व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(ययड) “जलयान” का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (य) में है ;

(ययढ) “वन्यजीव अभ्यारण्य” का वही अर्थ है जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (26) में है ;

(ययण) “प्राणी उद्यान” का वही अर्थ है जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (39) में है ।

3. स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

- (i) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमशः “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” का है ।
- (ii) सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अध्याय, खंड, शीर्ष, समूह या सेवा कूट उपदर्शन के लिए हैं ।

4. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 को प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

### No. 9/2017-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 684(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the inter-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below from so much of the Integrated Tax leviable thereon under sub-section (1) of section 5 of the said Act, as is in excess of the said tax calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, unless specified otherwise, subject to the relevant conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Section, Heading, Group or Service Code (Tariff)	Description of Services	Rate (per cent.)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chapter 99	Services by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) by way of charitable activities.	Nil	Nil
2	Chapter 99	Services by way of transfer of a going concern, as a whole or an independent part thereof.	Nil	Nil
3	Chapter 99	Pure services (excluding works contract service or other composite supplies involving supply of any goods) provided to the Central Government, State	Nil	Nil

		Government or Union territory or local authority or a Governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.		
4	Chapter 99	Services by Central Government, State Government, Union territory, local authority or governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article 243 W of the Constitution.	Nil	Nil
5	Chapter 99	Services by a governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution.	Nil	Nil
6	Chapter 99	Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority excluding the following services— (a) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory; (b) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (c) transport of goods or passengers; or (d) any service, other than services covered under entries (a) to (c) above, provided to business entities.	Nil	Nil
7	Chapter 99	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to a business entity with an aggregate turnover of up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year. <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, it is hereby clarified that the provisions of this entry shall not be applicable to- (a) services,- (i) by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory; (ii) in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (iii) of transport of goods or passengers; and (b) services by way of renting of immovable property.	Nil	Nil
8	Chapter 99	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to another Central Government, State Government, Union territory or local authority: Provided that nothing contained in this entry shall apply to services- (i) by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory; (ii) in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (iii) of transport of goods or passengers.	Nil	Nil
9	Chapter 99	Services provided by Central Government, State Government, Union territory or a local authority where the consideration for such services does not exceed five thousand rupees:	Nil	Nil



		<p>Provided that nothing contained in this entry shall apply to-</p> <p>(i) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;</p> <p>(ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;</p> <p>(iii) transport of goods or passengers:</p> <p>Provided further that in case where continuous supply of service, as defined in sub-section (33) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, is provided by the Central Government, State Government, Union territory or a local authority, the exemption shall apply only where the consideration charged for such service does not exceed five thousand rupees in a financial year.</p>		
10	Chapter 99	<p>Services received from a provider of service located in a non- taxable territory by –</p> <p>(a) the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a governmental authority or an individual in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession;</p> <p>(b) an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) for the purposes of providing charitable activities; or</p> <p>(c) a person located in a non-taxable territory:</p> <p>Provided that the exemption shall not apply to –</p> <p>(i) online information and database access or retrieval services received by persons specified in entry (a) or entry (b); or</p> <p>(ii) services by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India received by persons specified in the entry.</p>	Nil	Nil
11	Heading 9954	<p>Services provided by way of pure labour contracts of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of a civil structure or any other original works pertaining to the beneficiary-led individual house construction or enhancement under the Housing for All (Urban) Mission or Pradhan Mantri Awas Yojana.</p>	Nil	Nil
12	Heading 9954	<p>Services by way of pure labour contracts of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex.</p>	Nil	Nil
13	Heading 9963 or Heading 9972	<p>Services by way of renting of residential dwelling for use as residence.</p>	Nil	Nil
14	Heading 9963 or Heading 9972 or Heading 9995 or any other Heading of Section 9	<p>Services by a person by way of-</p> <p>(a) conduct of any religious ceremony;</p> <p>(b) renting of precincts of a religious place meant for general public, owned or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the Income-tax Act) or a trust or an institution registered under sub clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act or a body or</p>	Nil	Nil

		an authority covered under clause (23BBA) of section 10 of the said Income-tax Act: Provided that nothing contained in entry (b) of this exemption shall apply to,- (i) renting of rooms where charges are one thousand rupees or more per day; (ii) renting of premises, community halls, kalyanmandapam or open area, and the like where charges are ten thousand rupees or more per day; (iii) renting of shops or other spaces for business or commerce where charges are ten thousand rupees or more per month.		
15	Heading 9963	Services by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever name called, for residential or lodging purposes, having declared tariff of a unit of accommodation below one thousand rupees per day or equivalent.	Nil	Nil
16	Heading 9964	Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by – (a) air, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal; (b) non-airconditioned contract carriage other than radio taxi, for transportation of passengers, excluding tourism, conducted tour, charter or hire; or (c) stage carriage other than air-conditioned stage carriage.	Nil	Nil
17	Heading 9964	Services provided to the Central Government, by way of transport of passengers with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport, against consideration in the form of viability gap funding: Provided that nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of one year from the date of commencement of operations of the regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Civil Aviation.	Nil	Nil
18	Heading 9964	Service of transportation of passengers, with or without accompanied belongings, by— (a) railways in a class other than— (i) first class; or (ii) an air-conditioned coach; (b) metro, monorail or tramway; (c) inland waterways; (d) public transport, other than predominantly for tourism purpose, in a vessel between places located in India; and (e) metered cabs or auto rickshaws (including e-rickshaws).	Nil	Nil
19	Heading 9965	Services by way of transportation of goods- (a) by road except the services of— (i) a goods transportation agency; (ii) a courier agency; (b) by inland waterways.	Nil	Nil
20	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India upto the customs station of clearance in India.	Nil	Nil
21	Heading 9965	Services by way of transportation by rail or a vessel from one place in India to another of the following goods –	Nil	Nil

		(a) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap; (b) defence or military equipments; (c) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers; (d) railway equipments or materials; (e) agricultural produce; (f) milk, salt and food grain including flours, pulses and rice; and (g) organic manure.		
22	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport in a goods carriage of - (a) agricultural produce; (b) goods, where consideration charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed one thousand five hundred rupees; (c) goods, where consideration charged for transportation of all such goods for a single consignee does not exceed rupees seven hundred and fifty; (d) milk, salt and food grain including flour, pulses and rice; (e) organic manure; (f) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers; (g) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap; or (h) defence or military equipments.	Nil	Nil
23	Heading 9966 or Heading 9973	Services by way of giving on hire - (a) to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than twelve passengers; or (b) to a goods transport agency, a means of transportation of goods.	Nil	Nil
24	Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of toll charges.	Nil	Nil
25	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of loading, unloading, packing, storage or warehousing of rice.	Nil	Nil
26	Heading 9969	Transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility.	Nil	Nil
27	Heading 9971	Services by the Reserve Bank of India.	Nil	Nil
28	Heading 9971	Services by way of— (a) extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount (other than interest involved in credit card services); (b) <i>inter se</i> sale or purchase of foreign currency amongst banks or authorised dealers of foreign exchange or amongst banks and such dealers.	Nil	Nil
29	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance business provided by way of annuity under the National Pension System regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).	Nil	Nil
30	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance business provided or agreed to be provided by the Army, Naval and Air Force Group Insurance Funds to members of the Army, Navy and Air Force, respectively, under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil
31	Heading 9971 or	Services by the Employees' State Insurance Corporation to persons governed under the Employees'	Nil	Nil

	Heading 9991	State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).		
32	Heading 9971	Services provided by the Employees Provident Fund Organisation to the persons governed under the Employees Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).	Nil	Nil
33	Heading 9971	Services provided by the Insurance Regulatory and the Development Authority of India to insurers under the Insurance Regulatory and the Development Authority of India Act, 1999 (41 of 1999).	Nil	Nil
34	Heading 9971	Services provided by the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) by way of protecting the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate, the securities market.	Nil	Nil
35	Heading 9971	Services by an acquiring bank, to any person in relation to settlement of an amount upto two thousand rupees in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card service. <i>Explanation.</i> — For the purposes of this entry, “acquiring bank” means any banking company, financial institution including non-banking financial company or any other person, who makes the payment to any person who accepts such card.	Nil	Nil
36	Heading 9971 or Heading 9991	Services of general insurance business provided under following schemes – (a) Hut Insurance Scheme; (b) Cattle Insurance under Swarnajaynti Gram Swarozgar Yojna (earlier known as Integrated Rural Development Programme); (c) Scheme for Insurance of Tribals; (d) Janata Personal Accident Policy and Gramin Accident Policy; (e) Group Personal Accident Policy for Self-Employed Women; (f) Agricultural Pumpset and Failed Well Insurance; (g) premia collected on export credit insurance; (h) Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme, approved by the Government of India and implemented by the Ministry of Agriculture; (i) Jan Arogya Bima Policy; (j) National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana); (k) Pilot Scheme on Seed Crop Insurance; (l) Central Sector Scheme on Cattle Insurance; (m) Universal Health Insurance Scheme; (n) Rashtriya Swasthya Bima Yojana; (o) Coconut Palm Insurance Scheme; (p) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna; (q) Niramaya Health Insurance Scheme implemented by the Trust constituted under the provisions of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999).	Nil	Nil
37	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance business provided under following schemes- (a) Janashree Bima Yojana; (b) Aam Aadmi Bima Yojana; (c) Life micro-insurance product as approved by the Insurance Regulatory and Development Authority, having maximum amount of cover of fifty thousand	Nil	Nil

		rupees; (d) Varishtha Pension BimaYojana; (e) Pradhan Mantri Jeevan JyotiBimaYojana; (f) Pradhan Mantri Jan DhanYogana; (g) Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana.		
38	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of collection of contribution under the Atal Pension Yojana.	Nil	Nil
39	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of collection of contribution under any pension scheme of the State Governments.	Nil	Nil
40	Heading 9971 or Heading 9985	Services by the following persons in respective capacities – (a) business facilitator or a business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch; (b) any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to services mentioned in entry (a); or (c) business facilitator or a business correspondent to an insurance company in a rural area.	Nil	Nil
41	Heading 9971 or Heading 9991	Services provided to the Central Government, State Government, Union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by the Central Government, State Government, Union territory.	Nil	Nil
42	Heading 9971	Services received by the Reserve Bank of India, from outside India in relation to management of foreign exchange reserves.	Nil	Nil
43	Heading 9972	One time upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) leviable in respect of the service, by way of granting long term (thirty years, or more) lease of industrial plots, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings to industrial units.	Nil	Nil
44	Heading 9973 or Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use radio frequency spectrum during the period prior to the 1 <sup>st</sup> April, 2016, on payment of licence fee or spectrum user charges, as the case may be.	Nil	Nil
45	Heading 9973	Services of leasing of assets (rolling stock assets including wagons, coaches, locos) by the Indian Railways Finance Corporation to Indian Railways.	Nil	Nil
46	Heading 9981	Services provided by an incubatee up to a total turnover of fifty lakh rupees in a financial year subject to the following conditions, namely:- (a) the total turnover had not exceeded fifty lakh rupees during the preceding financial year; and (b) a period of three years has not elapsed from the date of entering into an agreement as an incubatee.	Nil	Nil
47	Heading 9982 or Heading 9991	Services provided by- (a) an arbitral tribunal to – (i) any person other than a business entity; or (ii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year; (b) a partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than a senior advocate, by way of	Nil	Nil

		<p>legal services to-</p> <p>(i) an advocate or partnership firm of advocates providing legal services;</p> <p>(ii) any person other than a business entity; or</p> <p>(iii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year;</p> <p>(c) a senior advocate by way of legal services to-</p> <p>(i) any person other than a business entity; or</p> <p>(ii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year.</p>		
48	Heading 9983	Services by a veterinary clinic in relation to health care of animals or birds.	Nil	Nil
49	Heading 9983 or Heading 9991	<p>Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of-</p> <p>(a) registration required under any law for the time being in force;</p> <p>(b) testing, calibration, safety check or certification relating to protection or safety of workers, consumers or public at large, including fire license, required under any law for the time being in force.</p>	Nil	Nil
50	Heading 9983 or any other Heading of Chapter 99	Taxable services, provided or to be provided, by a Technology Business Incubator or a Science and Technology Entrepreneurship Park recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India or bio-incubators recognised by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, under the Department of Biotechnology, Government of India.	Nil	Nil
51	Heading 9984	Services by way of collecting or providing news by an independent journalist, Press Trust of India or United News of India.	Nil	Nil
52	Heading 9984	Services of public libraries by way of lending of books, publications or any other knowledge-enhancing content or material.	Nil	Nil
53	Heading 9984	Services provided by the Goods and Services Tax Network to the Central Government or State Governments or Union territories for implementation of Goods and Services Tax.	Nil	Nil
54	Heading 9985	Services provided by a tour operator to a foreign tourist in relation to a tour conducted wholly outside India.	Nil	Nil
55	Heading 9985	Services by an organiser to any person in respect of a business exhibition held outside India.	Nil	Nil
56	Heading 9985	<p>Services by way of sponsorship of sporting events organised -</p> <p>(a) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, State, zone or Country;</p> <p>(b) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;</p> <p>(c) by the Central Civil Services Cultural and Sports Board;</p> <p>(d) as part of national games, by the Indian Olympic Association; or</p>	Nil	Nil

		(e) under the Panchayat Yuva Kreedha Aur Khel Abhiyaan Scheme.		
57	Heading 9986	Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of— (a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing; (b) supply of farm labour; (c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market; (d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use; (e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce; (f) agricultural extension services; (g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.	Nil	Nil
58	Heading 9986	Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce.	Nil	Nil
59	Heading 9988	Services by way of slaughtering of animals.	Nil	Nil
60	Heading 9988 or any other Heading of Section 8 and Section 9	Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables.	Nil	Nil
61	Heading 9988 or Heading 9992	Services provided by the National Centre for Cold Chain Development under the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare by way of cold chain knowledge dissemination.	Nil	Nil
62	Heading 9999	Services by a foreign diplomatic mission located in India.	Nil	Nil
63	Heading 9991	Services by a specified organisation in respect of a religious pilgrimage facilitated by the Ministry of External Affairs, the Government of India, under bilateral arrangement.	Nil	Nil
64	Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of issuance of passport, visa, driving licence, birth certificate or death certificate.	Nil	Nil
65	Heading 9991 or Heading 9997	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to the Central Government, State Government, Union territory or local authority under such contract.	Nil	Nil
66	Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way	Nil	Nil

		of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products.		
67	Heading 9991 or Heading 9973	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of assignment of right to use any natural resource where such right to use was assigned by the Central Government, State Government, Union territory or local authority before the 1 <sup>st</sup> April, 2016: Provided that the exemption shall apply only to tax payable on one time charge payable, in full upfront or in installments, for assignment of right to use such natural resource.	Nil	Nil
68	Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory by way of deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of Merchant Overtime charges.	Nil	Nil
69	Heading 9992	Services provided - (a) by an educational institution to its students, faculty and staff; (b) to an educational institution, by way of,- (i) transportation of students, faculty and staff; (ii) catering, including any mid-day meals scheme sponsored by the Central Government, State Government or Union territory; (iii) security or cleaning or house-keeping services performed in such educational institution; (iv) services relating to admission to, or conduct of examination by, such institution; upto higher secondary: Provided that nothing contained in entry (b) shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent.	Nil	Nil
70	Heading 9992	Services provided by the Indian Institutes of Management, as per the guidelines of the Central Government, to their students, by way of the following educational programmes, except Executive Development Programme: - (a) two year full time Post Graduate Programmes in Management for the Post Graduate Diploma in Management, to which admissions are made on the basis of Common Admission Test (CAT) conducted by the Indian Institute of Management; (b) fellow programme in Management; (c) five year integrated programme in Management.	Nil	Nil
71	Heading 9992 or Heading 9996	Services provided to a recognised sports body by- (a) an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in a sporting event organised by a recognized sports body; (b) another recognised sports body.	Nil	Nil
72	Heading 9992 or Heading 9983 or Heading 9991	Any services provided by, - (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) a Sector Skill Council approved by the National Skill Development Corporation; (c) an assessment agency approved by the Sector Skill	Nil	Nil



		Council or the National Skill Development Corporation; (d) a training partner approved by the National Skill Development Corporation or the Sector Skill Council, in relation to- (i) the National Skill Development Programme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any other Scheme implemented by the National Skill Development Corporation.		
73	Heading 9983 or Heading 9985 or Heading 9992	Services of assessing bodies empanelled centrally by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessments under the Skill Development Initiative Scheme.	Nil	Nil
74	Heading 9992	Services provided by training providers (Project implementation agencies) under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana implemented by the Ministry of Rural Development, Government of India by way of offering skill or vocational training courses certified by the National Council for Vocational Training.	Nil	Nil
75	Heading 9992	Services provided to the Central Government, State Government, Union territory administration under any training programme for which total expenditure is borne by the Central Government, State Government, Union territory administration.	Nil	Nil
76	Heading 9993	Services provided by the cord blood banks by way of preservation of stem cells or any other service in relation to such preservation.	Nil	Nil
77	Heading 9993	Services by way of- (a) health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para-medics; (b) services provided by way of transportation of a patient in an ambulance, other than those specified in (a) above.	Nil	Nil
78	Heading 9994	Services provided by operators of the common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment by way of treatment or disposal of bio-medical waste or the processes incidental thereto.	Nil	Nil
79	Heading 9994	Services by way of public conveniences such as provision of facilities of bathroom, washrooms, lavatories, urinal or toilets.	Nil	Nil
80	Heading 9995	Service by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution – (a) as a trade union; (b) for the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of Goods and service Tax; or (c) up to an amount of five thousand rupees per month per member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its members in a housing society or a residential complex.	Nil	Nil
81	Heading 9996	Services by an artist by way of a performance in folk or classical art forms of- (a) music, or (b) dance, or	Nil	Nil

		(c) theatre, if the consideration charged for such performance is not more than one lakh and fifty thousand rupees: Provided that the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador.		
82	Heading 9996	Services by way of admission to a museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve or zoo.	Nil	Nil
83	Heading 9996	Services by way of training or coaching in recreational activities relating to- (a) arts or culture, or (b) sports by charitable entities registered under section 12AA of the Income-tax Act.	Nil	Nil
84	Heading 9996	Services by way of right to admission to- (a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet; (b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event; (c) recognised sporting event, where the consideration for admission is not more than Rs 250 per person as referred to in (a), (b) and (c) above.	Nil	Nil

2. Definitions. - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, -

(a) “advertisement” means any form of presentation for promotion of, or bringing awareness about, any event, idea, immovable property, person, service, goods or actionable claim through newspaper, television, radio or any other means but does not include any presentation made in person;

(b) “advocate” has the same meaning as assigned to it in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(c) “agricultural extension” means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training;

(d) “agricultural produce” means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market;

(e) “Agricultural Produce Marketing Committee or Board” means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce;

(f) “aircraft” has the same meaning as assigned to it in clause (1) of section 2 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

(g) “airport” has the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994.);

(h) “approved vocational education course” means, -

(i) a course run by an industrial training institute or an industrial training centre affiliated to the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades notified under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961); or

(ii) a Modular Employable Skill Course, approved by the National Council of Vocational Training, run by a person registered with the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;

(i) “arbitral tribunal” has the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 2 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);

(j) “authorised dealer of foreign exchange” shall have the same meaning assigned to “Authorised person” in clause (c) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(k) “authorised medical practitioner” means a medical practitioner registered with any of the councils of the recognised system of medicines established or recognised by law in India and includes a medical professional having the requisite qualification to practice in any recognised system of medicines in India as per any law for the time being in force;

(l) “banking company” has the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934(2 of 1934);

- (m) “brand ambassador” means a person engaged for promotion or marketing of a brand of goods, service, property or actionable claim, event or endorsement of name, including a trade name, logo or house mark of any person;
- (n) “business entity” means any person carrying out business;
- (o) “business facilitator or business correspondent” means an intermediary appointed under the business facilitator model or the business correspondent model by a banking company or an insurance company under the guidelines issued by the Reserve Bank of India;
- (p) “Central Electricity Authority” means the authority constituted under section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);
- (q) “Central Transmission Utility” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (r) “charitable activities” means activities relating to -
- (i) public health by way of , -
    - (A) care or counseling of
      - (I) terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability,
      - (II) persons afflicted with HIV or AIDS,
      - (III) persons addicted to a dependence-forming substance such as narcotics drugs or alcohol;
    - (B) public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection;
  - (ii) advancement of religion , spirituality or yoga;
  - (iii) advancement of educational programmes or skill development relating to,-
    - (A) abandoned, orphaned or homeless children;
    - (B) physically or mentally abused and traumatized persons;
    - (C) prisoners; or
    - (D) persons over the age of 65 years residing in a rural area;
  - (iv) preservation of environment including watershed, forests and wildlife;
- (s) “clinical establishment” means a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;
- (t) “contract carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (u) “courier agency” means any person engaged in the door-to-door transportation of time-sensitive documents, goods or articles utilising the services of a person, either directly or indirectly, to carry or accompany such documents, goods or articles;
- (v) “Customs station” shall have the same meaning as assigned to it in clause (13) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (w) “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air-conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit;
- (x) “distributor or selling agent” means an individual or a firm or a body corporate or other legal entity under law so appointed by the Organising State through an agreement to market and sell lotteries on behalf of the Organising State;
- (y) “educational institution” means an institution providing services by way of,-
- (i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent;
  - (ii) education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognised by any law for the time being in force;
  - (iii) education as a part of an approved vocational education course;
- (z) “electricity transmission or distribution utility” means the Central Electricity Authority; a State Electricity Board; the Central Transmission Utility or a State Transmission Utility notified under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); or a distribution or transmission licensee under the said Act, or any other entity entrusted with such function by the Central Government or, as the case may be, the State Government;

(za) “e-rickshaw” means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf;

(zb) “general insurance business” has the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);

(zc) “general public” means the body of people at large sufficiently defined by some common quality of public or impersonal nature;

(zd) “goods carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(ze) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called;

(zf) “governmental authority” has the same meaning as assigned to it in the *Explanation* to clause (16) of section 2 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017);

(zg) “health care services” means any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(zh) “incubatee” means an entrepreneur located within the premises of a Technology Business Incubator or Science and Technology Entrepreneurship Park recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology, Government of India and who has entered into an agreement with the Technology Business Incubator or the Science and Technology Entrepreneurship Park to enable himself to develop and produce hi-tech and innovative products;

(zi) “inland waterway” means national waterways as defined in clause (h) of section 2 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985) or other waterway on any inland water, as defined in clause (b) of section 2 of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917);

(zj) “insurance company” means a company carrying on life insurance business or general insurance business;

(zk) “interest” means interest payable in any manner in respect of any moneys borrowed or debt incurred (including a deposit, claim or other similar right or obligation) but does not include any service fee or other charge in respect of the moneys borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilised;

(zl) “legal service” means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority;

(zm) “life insurance business” has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(zn) “life micro-insurance product” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Micro-insurance) Regulations, 2005;

(zo) “metered cab” means any contract carriage on which an automatic device, of the type and make approved under the relevant rules by the State Transport Authority, is fitted which indicates reading of the fare chargeable at any moment and that is charged accordingly under the conditions of its permit issued under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder (but does not include radio taxi);

(zp) “national park” has the same meaning as assigned to it in clause (21) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zq) “original works” means- all new constructions;

(i) all types of additions and alterations to abandoned or damaged structures on land that are required to make them workable;

(ii) erection, commissioning or installation of plant, machinery or equipment or structures, whether pre-fabricated or otherwise;

(zr) “print media” means,—

(i) ‘book’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) ‘newspaper’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

- (zs) “port” has the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) or in clause (4) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);
- (zt) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using the Global Positioning System or General Packet Radio Service;
- (zu) “recognised sporting event” means any sporting event,-
- (i) organised by a recognised sports body where the participating team or individual represent any district, state, zone or country;
- (ii) organised -
- (A) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, state or zone;
- (B) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;
- (C) by Central Civil Services Cultural and Sports Board;
- (D) as part of national games, by Indian Olympic Association; or
- (E) under Panchayat Yuva Kreedaa Aur Khel Abhiyaan (PYKKA) Scheme;
- (zv) “recognised sports body” means –
- (i) the Indian Olympic Association;
- (ii) Sports Authority of India;
- (iii) a national sports federation recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government, and its affiliate federations;
- (iv) national sports promotion organisations recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government;
- (v) the International Olympic Association or a federation recognised by the International Olympic Association; or
- (vi) a federation or a body which regulates a sport at international level and its affiliated federations or bodies regulating a sport in India;
- (zw) “religious place” means a place which is primarily meant for conduct of prayers or worship pertaining to a religion, meditation, or spirituality;
- (zx) “renting in relation to immovable property” means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property;
- (zy) “Reserve Bank of India” means the bank established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (zz) “residential complex” means any complex comprising of a building or buildings, having more than one single residential unit;
- (zza) “rural area” means the area comprised in a village as defined in land revenue records, excluding-  
the area under any municipal committee, municipal corporation, town area committee, cantonment board or notified area committee; or any area that may be notified as an urban area by the Central Government or a State Government;
- (zzb) “senior advocate” has the same meaning as assigned to it in section 16 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (zzc) “single residential unit” means a self-contained residential unit which is designed for use, wholly or principally, for residential purposes for one family;
- (zzd) “special category States” shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution,
- (zze) “specified organisation” shall mean,-
- (i) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or
- (ii) ‘Committee’ or ‘State Committee’ as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002);

(zzf) “stage carriage” shall have the same meaning as assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(zzg) “State Electricity Board” means the Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);

(zzh) “State Transmission Utility” shall have the same meaning as assigned to it in clause (67) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(zzi) “state transport undertaking” has the same meaning as assigned to it in clause (42) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(zzj) “tiger reserve” has the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 38K of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zzk) “tour operator” means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours;

(zzl) “trade union” has the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);

(zzm) “vessel” has the same meaning as assigned to it in clause (z) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(zzn) “wildlife sanctuary” means a sanctuary as defined in the clause (26) of the section 2 of The Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zzo) “zoo” has the same meaning as assigned to it in the clause (39) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

3. *Explanation.*- For the purposes of this notification,-

(i) Reference to “Chapter”, “Section” or “Heading”, wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as “Chapter”, “Section” and “Heading” in the scheme of classification of services.

(ii) Chapter, Section, Heading, Group, or Service Code mentioned in Column (2) of the Table are only indicative.

4. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 685(अ).**—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 के अधीन उद्बहणीय संपूर्ण एकीकृत कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :-

#### सारणी

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, किसी गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध कराई गई कोई सेवा	किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति	गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है

2	<p>किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति -</p> <p>(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या</p> <p>(ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या</p> <p>(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या</p> <p>(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या</p> <p>(ङ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या</p> <p>(च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या</p> <p>(छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ।</p>	<p>माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित,--</p> <p>(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या</p> <p>(ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या</p> <p>(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या</p> <p>(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या</p> <p>(ङ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या</p> <p>(च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या</p> <p>(छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ।</p>
3	<p>किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।</p>	<p>कोई व्यष्टिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।</p>
4	<p>किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्णतः सेवाएं ।</p>	<p>कोई माध्यस्थम् अधिकरण</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।</p>
5	<p>किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं ।</p>	<p>कोई भी व्यक्ति</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म ।</p>
6	<p>किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,-</p> <p>(1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और</p> <p>(2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं-</p> <p>(i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न किसी व्यक्ति को दी गई सेवाएं ;</p> <p>(ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ;</p> <p>(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ।</p>	<p>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।</p>

7	किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय के निदेशक द्वारा उक्त कंपनी या निगमित निकाय को पूर्णित सेवाएं।	किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय का कोई निदेशक	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कंपनी या निगमित निकाय।
8	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को पूर्णित सेवाएं।	कोई बीमा अभिकर्ता	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा है।
9	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को पूर्णित सेवाएं।	कोई वसूली अभिकर्ता	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी।
10	किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक किसी जलयान द्वारा माल का परिवहन करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं	किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई आयातकर्ता, जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के खंड 26 में यथा परिभाषित है।
11	किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मूल साहित्यिक, नाट्य, संगीत संबंधी या कला संबंधी कार्यों से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार का किसी प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग का अंतरण करने या उसकी अनुज्ञा देने के रूप में सेवाओं की पूर्णित।	लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है।
- (ख) “निगमित निकाय” का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है।
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

### No. 10/2017-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 685(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of integrated tax leviable under section 5 of the said Integrated Goods and Services Tax Act, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table:—



TABLE

Sl. No.	Category of Supply of Services	Supplier of service	Recipient of Service
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Any service supplied by any person who is located in a non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient.	Any person located in a non-taxable territory	Any person located in the taxable territory other than non-taxable online recipient.
2	Supply of Services by a goods transport agency (GTA) in respect of transportation of goods by road to- (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or (g) any casual taxable person.	Goods Transport Agency (GTA)	(a) Any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or (g) any casual taxable person; located in the taxable territory.
3	Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.	An individual advocate including a senior advocate or firm of advocates.	Any business entity located in the taxable territory.
4	Services supplied by an arbitral tribunal to a business entity.	An arbitral tribunal.	Any business entity located in the taxable territory.
5	Services provided by way of sponsorship to any body corporate or partnership firm.	Any person	Any body corporate or partnership firm located in the taxable territory.
6	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to a business entity excluding, - (1) renting of immovable property, and (2) services specified below- (i) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority; (ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (iii) transport of goods or passengers.	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any business entity located in the taxable territory.
7	Services supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate.	A director of a company or a body corporate	The company or a body corporate located in the taxable territory.

8	Services supplied by an insurance agent to any person carrying on insurance business.	An insurance agent	Any person carrying on insurance business, located in the taxable territory.
9	Services supplied by a recovery agent to a banking company or a financial institution or a non-banking financial company.	A recovery agent	A banking company or a financial institution or a non-banking financial company, located in the taxable territory.
10	Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India.	A person located in non-taxable territory	Importer, as defined in clause (26) of section 2 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), located in the taxable territory.
11	Supply of services by an author, music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer or the like.	Author or music composer, photographer, artist, or the like	Publisher, music company, producer or the like, located in the taxable territory.

Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.
- (c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.
- (d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 11/2017-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 686(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में नियोजित किया गया है, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

"संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा।"

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 11/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 686(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of Section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

“Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

**सं. 12/2017-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 687(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप-धारा (3) के साथ पठित, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 की उपधारा (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 की उपधारा (xiii) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 12/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 687(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under clause (xiii) of section 20 of the said Integrated Goods and Services Tax Act, read with sub-section (3) of section 54 of the said Central Goods And Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 13/2017-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 688(अ).**—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करती है :—

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,—

(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;

(ii) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;

(iii) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र पेश करेगा कि,—

(i) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;

(ii) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा; और

(iii) खंड (I) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उनको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;

(iv) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा।

(v) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त एकीकृत कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलब्ध नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन” से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 13/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 688(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby specifies :

- (i) United Nations or a specified international organisation; and
- (ii) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein,

for the purposes of the said section subject to the following conditions:-

- (a) United Nations or a specified international organisation shall be entitled to claim refund of integrated tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to a certificate from United Nations or that specified international organisation that the goods and services have been used or are intended to be used for official use of the United Nations or the specified international organisation.

- (b) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein shall be entitled to claim refund of integrated tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to, -

- (i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to refund of integrated tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;

- (ii) that in case of supply of services, the head of the foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post authorised by him, shall furnish an undertaking in original, signed by him or the authorised person, stating that the supply of services received are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family;

- (iii) that in case of supply of goods, concerned diplomatic mission or consulate or an officer duly authorized by him will produce a certificate that,—

- (I) the goods have been put to use, or are in the use, as the case may be, of the mission or consulate;

- (II) the goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of three years from the date of receipt of the goods; and

- (III) in the event of non-compliance of clause (I), the diplomatic or consular mission will pay back the refund amount paid to them;

- (iv) in case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India, decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate to the foreign diplomatic mission or consular post;

- (v) the refund of the whole of the integrated tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate.

*Explanation.* - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, “specified international organisation” means an international organisation declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities Act) 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 14/2017-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 689(अ).**—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (5) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

- (i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;
- (ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “रेडियो टैक्सी” से ऐसी टैक्सी जिसमें रेडियो कैब जो किसी भी नाम से पुकारी जाए, जिसमें केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय से जो मार्गीय रेडियो संचार है तथा ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) प्रयोग करने के लिए सक्षम है, अभिप्रेत है;

(ख) “मैक्सी कैब”, “मोटर कैब” और “मोटर साइकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू.]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

### No. 14/2017-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 689(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in case of the following categories of services, the tax on inter-State supplies shall be paid by the electronic commerce operator –

- (i) services by way of transportation of passengers by a radio-taxi, motorcab, maxicab and motor cycle;
- (ii) services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under clause (v) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said **Central Goods and Services Tax Act**.

*Explanation.*— For the purposes of this notification,—

- (a) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS);
- (b) “maxicab”, “motorcab” and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

**सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर)**

**सा.का.नि. 690(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (11), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह अधिसूचित करती है कि केंद्रीय कर, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति पर, जो स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा वर्गीकरण स्कीम के अध्याय, खंड या शीर्ष के अंतर्गत आती है, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहीत किया जाएगा,—

**सारणी**

क्र. सं.	अध्याय, खंड या शीर्ष	सेवा वर्णन	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अध्याय 99	सभी सेवाएं		
2	खंड 5	संनिर्माण सेवाएं		
3	शीर्ष 9954 (संनिर्माण सेवाएं)	(i) परिक्षेत्र, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः या भागतः क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिक्षेत्र या भवन भी है, सिवाय वहां के, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् या उसके प्रथम अधिभोग के पश्चात्, जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है। (इस सेवा के मूल्यांकन के लिए इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपबंध लागू होंगे)	9	-
		(ii) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 119 में यथापरिभाषित संकर्म संविदा का संयुक्त प्रदाय	9	-
		(iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न संनिर्माण सेवाएं	9	-
4	खंड 6	वितरणात्मक व्यापार सेवाएं ; आवास, खाद्य और सुपेय सेवा ; परिवहन सेवा ; गैस और विद्युत वितरण सेवाएं		
5	शीर्ष 9961	थोक विक्रय व्यापार में सेवाएं। <b>स्पष्टीकरण</b> --इस सेवा के अंतर्गत मालों का विक्रय या क्रय नहीं है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित है— - कमीशन अभिकर्ताओं, दलालों और नीलामीकर्ताओं तथा टनय सभी ऐसे व्यापारियों की सेवाएं, जो किसी फीस या कमीशन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच थोक वाणिज्य संव्यवहारों का मोल भाव करते हैं ; - इलैक्ट्रानिक थोक अभिकर्ताओं और दलालों की सेवाओं ; - थोक दलाली गृहों की सेवाएं	9	-
6	शीर्ष 9962	फुटकर व्यापार में सेवाएं।	9	-

		<b>स्पष्टीकरण</b> --इस सेवा के अंतर्गत माल का क्रय या विक्रय नहीं आता है।		
7	शीर्ष 9963 (आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं)	(i) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में न तो वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है और न ही मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।	6	-
		(ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो। <b>स्पष्टीकरण</b> : "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।	6	-
		(iii) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।	9	-
		(iv) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है।	9	-



	(v) बाह्य कैटरिंग में, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, कोई पूर्ति, जिसमें माल, ऐसी बाह्य कैटरिंग के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिक्वर है या नहीं) और ऐसी पूर्ति या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।	9	-
	(vi) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो। <b>स्पष्टीकरण :</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी भित्ति काटा को अपवर्जित किए बिना।	9	-
	(vii) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिक्वर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, परिसरों (जिनमें होटल, कन्वेंसन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना या कोई अन्य स्थान, जहां विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है), को किराए पर देने के साथ-साथ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जाती है।	9	-
	(viii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो। <b>स्पष्टीकरण :</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी भित्ति काटा को अपवर्जित किए बिना।	14	-
	(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं।	9	-

8	शीर्ष 9964 (यात्री परिवहन सेवाएं)	(i) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच में रेल द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल के संबंध में प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है ।
		(ii) निम्नलिखित के द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन- (क) मोटर कैब से भिन्न वातानुकूलित संविदा गाड़ी ; (ख) वातानुकूलित मंजिली गाड़ी ; (ग) रेडियो टैक्सी ; स्पष्टीकरण : (क) संविदा गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है । (ख) मंजिली गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है । (ग) "रेडियो टैक्सी" से ऐसी टैक्सी, जिसके अंतर्गत कोई रेडियो कैब भी है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ द्विमागी रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या साधारण पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) का प्रयोग करते हुए ट्रैकिंग के लिए समर्थ है ।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) इकोनोमी श्रेणी में वायुयान द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम विमानपत्तन से यात्रा प्रारंभ करते या वहां समाप्त करते हुए, सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(v) इकोनोमी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन ।	6	-
		(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-
9	शीर्ष 9965 (माल परिवहन सेवाएं)	(i) रेल द्वारा माल का परिवहन (इस शीर्ष के अधीन नीचे क्र.सं. (iv) पर विनिर्दिष्ट सेवा से भिन्न)	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में माल की बाबत प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) जलयान में माल का परिवहन	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल (पोतों, जलयानों, जिनके अंतर्गत माल जहाज और टैंकर भी हैं, पर से भिन्न) पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं। स्पष्टीकरण : "माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन।	6	-
		(v) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-
10	शीर्ष 9966 (परिवहन यानों की भाटक सेवा)	(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		<b>(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न प्रचालकों के साथ या उनके बिना परिवहन यानों के भाटक सेवा</b>	9	-
11	शीर्ष 9967 (परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं)	(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। स्पष्टीकरण- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और पारेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		<b>(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं</b>	9	-
12	शीर्ष 9968	डाक और कुरियर सेवाएं	9	-
13	शीर्ष 9969	विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं	9	-

14	खंड 7	वित्तीय और संबंधित सेवाएं; भू-संपदा सेवाएं और भाटक तथा पट्टा सेवाएं		
15	शीर्ष 9971 (वित्तीय और संबंधित सेवाएं)	<p>(i) किसी चिट के संबंध में चिटफंड के फोरमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्पष्टीकरण-</p> <p>1. "चिट" से संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे चिट, चिटफंड, चिट्टी, कुरी के नाम से ज्ञात हो या किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिसके अधीन व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के साथ करार करता है कि उनमें से प्रत्येक निश्चित अवधि में आवधिक किस्तों के माध्यम से कतिपय धनराशि का अभिदाय करेगा (या उसके स्थान पर निश्चित मात्रा में अनाज) और प्रत्येक अभिदाता उसकी बारी में जिसका लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या ऐसी रीति में जो चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाए, इनामी रकम का हकदार होगा।</p> <p>2. "चिटफंड का फोरमैन" का वही अर्थ होगा जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड (ज) में "फोरमैन" पद का है।</p>	6	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iii) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		<p>(iv) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना।</p> <p>स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला</p>	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।		
		<b>(v) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न वित्तीय और संबंधित सेवाएं</b>	9	-
16	शीर्ष 9972	<b>भू-संपदा सेवाएं</b>	9	-
17	शीर्ष 9973	(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	6	-
		(ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	9	-
		(iii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iv) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(v) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है; (ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; (ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।	2.5	वशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं	केंद्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के	-		

			लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	
18	खंड 8	कारबार और उत्पादन सेवाएं		
19	शीर्ष 9981	अनुसंधान और विकास सेवाएं	9	-
20	शीर्ष 9982	विधिक और लेखांकन सेवाएं	9	-
21	शीर्ष 9983 (अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं)	(i) प्रिन्ट मीडिया के लिए विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय	2.5	-
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं	9	-
22	शीर्ष 9984	दूरसंचार, प्रसारण और सूचना पूर्ति सेवाएं	9	-
23	शीर्ष 9985 (समर्थनकारी सेवाएं)	(i) दूर प्रचालक सेवाओं की पूर्ति स्पष्टीकरण- "दूर प्रचालक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दूरों की योजना बनाने, उनकी शेड्यूलिंग, आयोजन, प्रबंध करने (जिसके अंतर्गत आवास, दर्शनीय स्थल या अन्य वैसे ही सेवाएं हो सकेंगी) के कारबार में परिवहन के किसी ढंग द्वारा लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत दूरों के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है	2.5	1. बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) 2. इस सेवा की पूर्ति के लिए जारी किया गया बीजक यह उपदर्शित करता है कि इसमें ऐसे किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार सम्मिलित हैं और बीजक में प्रभारित रकम ऐसी किसी यात्रा के लिए प्रभारित सकल रकम है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार भी हैं।
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न समर्थनकारी सेवाएं	9	-
24	शीर्ष 9986	(i) कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाएं स्पष्टीकरण- "कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:- (i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पालन- पोषण से संबंधित सेवाएं—  (क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, थ्रेसिंग, पौद्या	कुछ नहीं	-

		<p>संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ;</p> <p>(ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं ;</p> <p>(घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना ;</p> <p>(ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;</p> <p>(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।</p> <p>(ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं ।</p> <p>(iii) पादपों की बुआई और अश्वों के पालनपोषण के सिवाए पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना ।</p>		
--	--	---	--	--

		(ii) खनन, विद्युत, गैस और जल वितरण के लिए समर्थनकारी सेवाएं	9	-
25	शीर्ष 9987	अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं	9	-
26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं)	<p>(i) निम्नलिखित के संबंध में जाबवर्क के माध्यम से सेवाएं</p> <p>(क) समाचार पत्रों का मुद्रण</p> <p>(ख) टैक्सटाइल सूत (मानव निर्मित फाइबर से भिन्न) और टैक्सटाइल फैब्रिक</p> <p>(ग) कर्तित और पालिश किए हुए हीरक; मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्न, या स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ाउ आभूषण जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं</p> <p>(घ) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण</p> <p>(ङ) खाल, चर्म और चमड़ा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आते हैं, का प्रसंस्करण</p> <p>स्पष्टीकरण- "मानव निर्मित फाइबर" से स्टेपल फाइबर और या तो विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जैविक पालिमरों के फिलामेंट अभिप्रेत हैं :</p> <p>(क) पालीएमाइड्स, पोलिऐस्टर, पोलिओलेथिन्स या पोलिउरेथेन्स उत्पादित करने के लिए जैविक मोनोमरों का पालिमराइकरण या इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पालिमरों का रासायनिक उपांतरण (उदाहरणार्थ पालीफिनायल एल्कोहल जो पोलिविनायल एसिटेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है); या</p> <p>(ख) पालीमरों का प्राकृतिक जैविक पालिमरों को घोलने या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादन करने के लिए (उदाहरणार्थ सेलुलोस) जैसे कुपरामोनियम रेयान (कुपरो) या विस्कोस रेयान या प्राकृतिक जैविक पालीमरों के रासायनिक उपांतरण द्वारा (उदाहरणार्थ सेलुलोस, केसीन और अन्य प्रोटीन या अलजीनिक अमल पैकेज सेलुलोस एसिटेट या अल्जीमेट्स का उत्पादन किया जा सके</p>	2.5	-
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं	9	-
27	शीर्ष 9989	अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री बसूली सेवाएं	9	-
28	खंड 9	सामुदायिक, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं		
29	शीर्ष 9991	सामुदायिक और समग्र रूप में उपलब्ध कराई गई लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं	9	-
30	शीर्ष 9992	शैक्षिक सेवाएं	9	-
31	शीर्ष 9993	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख सेवाएं	9	-



32	शीर्ष 9994	मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं	9	-
33	शीर्ष 9995	सदस्यता संगठनों की सेवाएं	9	-
34	शीर्ष 9996 (मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं)	(i) सर्कस, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जिसके अंतर्गत लोक नृत्य, थियेटर में प्रदर्शन, ड्रामा है, में प्रवेश या पहुंच के माध्यम से सेवाएं	9	-
		(ii) सिनेमा फिल्मों में प्रवेश प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, जहां प्रवेश टिकट की कीमत एक सौ रुपए या कम है	9	-
		(iii) मनोरंजन आयोजनों में प्रवेश या मनोविनोद सुविधाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन, थीम, पार्क, वाटर पार्क या जाय-राइड, मैरी-गो राउंड, गो-कार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, कोई क्रीड़ा समारोह जैसे इंडियन प्रीमियर लीग और सदृश हैं, के माध्यम से सेवाएं	14	-
		(iv) टोटेलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा किसी रेस क्लब में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	14	-
		(v) जुआबाजी	14	-
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं	9	-
35	शीर्ष 9997	अन्य सेवाएं (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएं, सौन्दर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं)	9	-
36	शीर्ष 9998	घरेलू सेवाएं	9	-
37	शीर्ष 9999	एक्स्ट्राटेरिटोरियल संगठनों और निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	9	-

2. उपरोक्त सारणी की क्र.सं. 3 के सामने मद (i) में प्रविष्टि के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में, जिसमें, यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, सेवा की पूर्ति और ऐसी पूर्ति में माल के भाग का मूल्य या भूमि के अविभाजित शेयर के मूल्य से घटाकर ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम के समतुल्य होगा और भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति में ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम का एक-तिहाई समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, "कुल रकम" से निम्नलिखित की कुल राशि अभिप्रेत है,--

(क) पूर्वोक्त सेवा के लिए प्रभारित प्रतिफल ; और

(ख) यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर के अंतरण के लिए प्रभारित रकम।

3. लाटरी की पूर्ति का मूल्य, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी की दशा में आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंकित मूल्य या कीमत का 112/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी की दशा में लाटरी का अंकित मूल्य या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कीमत का 128/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

4. स्पष्टीकरण ना के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूच---:--

(i) माल में पूंजी माल भी सम्मिलित हैं।

(ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमशः "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" का है।

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के लिए नियम जहां तक हो सके, शीर्ष 9988 के निर्वचन को लागू होंगे।

- (iv) इस अधिसूचना में जहां कहीं कोई दर इस शर्त के अधीन कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है, विहित की गई है, वहां उसका तात्पर्य यह होगा कि,—
- (क) ऐसी सेवा की पूर्ति में अन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और
- (ख) ऐसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसी सेवा की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू होते ।
- (v) “सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर” से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या इमेज, जिसमें सोर्स कोड और आब्जेक्ट कोड मशीन में पठनीय रूप से अभिलिखित और परिवर्तन किए जाने में सक्षम या प्रयोगकर्ता के लिए अंतर-क्रियाकलाप प्रदान करने, कंप्यूटर या किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत करना सम्मिलित है, अभिप्रेत है ।
- (vi) “कृषि विस्तार” से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है ।
- (vii) “कृषि उत्पाद” से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन केखाद्य के लिए, फाइबर, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा, या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत है कच्ची सामग्रियां, ईंधन प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है ।
- (viii) “कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड” से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है ।

5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### सारणी

#### (सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम)

क्रम. सं.	अध्याय, खंड, शीर्ष या समूह	सेवा कोड (टैरिफ)	सेवा का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अध्याय 99		सभी सेवाएं
2	खंड 5		सन्निर्माण सेवाएं
3	शीर्ष 9954		सन्निर्माण सेवाएं
4	समूह 99541		भवनों की सन्निर्माण सेवाएं
5		995411	एकल निवास गृह या बहु निवास गृह या बहुमंजिले आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
6		995412	वृद्ध आश्रमों, बेघरों के आश्रयस्थलों, छात्रावासों और उन जैसे अन्य आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
7		995413	उत्पादन क्रियाकलापों (एसेम्बली लाइन क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त) के लिए प्रयुक्त भवनों, कार्यशालाओं, भाण्डागारण भवनों जैसे औद्योगिक भवनों और अन्य वैसे ही औद्योगिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं

8		995414	कार्यालय भवनों, प्रदर्शनी और विवाह हाल, माल, होटल, रेस्टोरेंट, विमानपत्तन, रेल या सड़क टर्मिनल, पार्किंग गैराज, पेट्रोल और सर्विस स्टेशन, थियेटर और अन्य वैसे ही भवनों जैसे वाणिज्यिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
9		995415	शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, क्लीनिक, जिनके अंतर्गत पशु चिकित्सा क्लीनिक भी हैं, धार्मिक स्थापन, न्यायालय, कारागार, संग्रहालय और अन्य वैसे ही भवनों जैसे अन्य गैर-निवासी भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
10		995416	अन्य भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
11		995419	सेवाएं, जिनमें उपरोक्त में आने वाले भवनों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापना, नवीकरण, रखरखाव या पुनःमाडलिंग सम्मिलित है
12	<b>समूह 99542</b>		<b>सिविल इंजीनियरी संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं</b>
13		995421	राजमार्गों, पथों, सड़कों, रेल और एयरफील्ड रनवे, पुलों और सुरंगों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
14		995422	तटों, जलमार्गों, बांधों, जल मेन्स और लाइनों, सिंचाई और अन्य जल संबंधी संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
15		995423	लंबी दूरी की भूमिगत या भूमि के ऊपर या उप समुद्रीय पाइप लाइनें, संचार और विद्युत लाइनें (केबल), पम्पिंग स्टेशन और संबंधित संकर्म ; ट्रांसफार्मर स्टेशन और संबंधित संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
16		995424	स्थानीय जल और मलवाहक पाइप लाइनों, विद्युत और संचार केबल तथा संबंधित संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
17		995425	खान और औद्योगिक संयंत्रों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
18		995426	विद्युत संयंत्र और उससे संबंधित अवसंरचना से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
19		995427	बाह्य खेल और मनोरंजन सुविधाओं से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
20		995428	अन्य सिविल इंजीनियरी संकर्म से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
21		995429	सेवाएं, जिनमें उपरोक्त सन्निर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, जोड़ा जाना, पुनःस्थापना, नवीकरण, रखरखाव या पुनःनिर्माण सम्मिलित है
22	<b>समूह 99543</b>		<b>स्थल निर्माण सेवाएं</b>
23		995431	ढाने संबंधी सेवाएं
24		995432	स्थल निर्माण और निकासी सेवाएं, जिनके अंतर्गत पश्चात्कर्ती सन्निर्माण संकर्म के लिए स्थलों को तैयार करने हेतु निर्माण सेवाएं, परीक्षण ड्रिलिंग और बोरिंग तथा कोर निष्कर्षण, खाइयों की खुदाई भी हैं

25		995433	उत्खनन और मिट्टी हटाने से संबंधित सेवाएं
26		995434	वाटर वेल ड्रिलिंग सेवाएं और सेप्टिक प्रणाली लगाने संबंधी सेवाएं
27		995435	अन्य स्थल निर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
28		995439	सेवाएं, जिनमें उपरोक्त सन्निर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापना, नवीकरण, रखरखाव या पुनःनिर्माण सम्मिलित है
29	<b>समूह 99544</b>		<b>पूर्व तैयार सन्निर्माणों का संयोजन और उन्हें खड़ा करना</b>
30		995441	पूर्व तैयार भवनों का प्रतिष्ठापन, संयोजन और उन्हें खड़ा करना
31		995442	अन्य पूर्व तैयार संरचनाओं और सन्निर्माणों का प्रतिष्ठापन, संयोजन और उन्हें खड़ा करना
32		995443	सभी किस्म के सड़क फर्नीचर (जैसे बस शेल्टर, बेंच, टेलीफोन बूथ, जन-सुविधाएं और अन्य समान फर्नीचर) संबंधी प्रतिष्ठापन सेवाएं
33		995444	अन्य संयोजन और खड़ा करने संबंधी सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
34		995449	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त सन्निर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
35	<b>समूह 99545</b>		<b>विशेष व्यापार सन्निर्माण सेवाएं</b>
36		995451	बल्ली लगाना और नींव सेवाएं
37		995452	भवन फ्रेमिंग और छत फ्रेमिंग सेवाएं
38		995453	रूफिंग और वाटरप्रूफिंग सेवाएं
39		995454	कंक्रीट सेवाएं
40		995455	अवसंरचनात्मक इस्पात को खड़ा करने संबंधी सेवाएं
41		995456	राजमिस्त्री सेवाएं
42		995457	पाइ सेवाएं
43		995458	अन्य विशेष व्यापार निर्माण सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
44		995459	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त सन्निर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
45	<b>समूह 99546</b>		<b>प्रतिष्ठापन सेवाएं</b>
46		995461	वैद्युत प्रतिष्ठापन सेवाएं, जिनमें वैद्युत वायरिंग और फिटिंग सेवाएं, फायर अलार्म प्रतिष्ठापन, बर्गलर अलार्म प्रणाली प्रतिष्ठापन सेवाएं सम्मिलित हैं
47		995462	जल नलसाजी और नाली बिछाने की सेवाएं
48		995463	ऊष्मण, संवातन और वातानकूलन उपस्कर प्रतिष्ठापन सेवाएं
49		995464	गैस फिटिंग प्रतिष्ठापन सेवाएं

50		995465	इंसुलेशन सेवाएं
51		995466	लिफ्ट और एस्केलेटर प्रतिष्ठापन सेवाएं
52		995468	अन्य प्रतिष्ठापन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
53		995469	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त प्रतिष्ठापनों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
54	<b>समूह 99547</b>		<b>भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं</b>
55		995471	ग्लेजिंग सेवाएं
56		995472	प्लास्टर सेवाएं
57		995473	रंग-रोगन सेवाएं
58		995474	फर्श और दीवार पर टाइल लगाने की सेवाएं
59		995475	अन्य फर्श बिछाने, दीवार ढकने और दीवार पर कागज लगाने की सेवाएं
60		995476	ज्वाइनरी और बढई सेवाएं
61		995477	बाहर की दीवार और रेलिंग लगाने की सेवाएं
62		995478	अन्य भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
63		995479	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
64	<b>खंड 6</b>		<b>वितरण व्यापार सेवाएं ; आवास, भोजन और सुपेय सेवाएं, यातायात सेवाएं, गैस और विद्युत वितरण सेवाएं</b>
65	<b>शीर्ष 9961</b>		<b>थोक व्यापार में सेवाएं</b>
66	<b>समूह 99611</b>		
67		996111	थोक व्यापार में शुल्क/कमीशन या संविदा के आधार पर सेवा प्रदान करना
68	<b>शीर्ष 9962</b>		<b>खुदरा व्यापार में सेवाएं</b>
69	<b>समूह 99621</b>		
70		996211	खुदरा व्यापार में शुल्क/कमीशन या संविदा के आधार पर सेवा प्रदान करना
71	<b>शीर्ष 9963</b>		<b>आवास, भोजन और सुपेय सेवाएं</b>
72	<b>समूह 99631</b>		<b>आवास सेवाएं</b>
73		996311	होटल, सराय, अतिथि-गृह, क्लब और समान अस्तित्वों द्वारा दी जाने वाली कमरा या यूनिट आवास सेवाएं
74		996312	शिविर स्थल सेवाएं
75		996313	मनोरंजक और अवकाशकालीन शिविर सेवाएं

76	समूह 99632		अन्य आवास सेवाएं
77		996321	छात्रावासों में छात्रों के लिए कमरा या यूनिट आवास सेवाएं
78		996322	छात्रावासों, शिविरों, पेंडगेस्ट और वैसे ही अस्तित्वों द्वारा प्रदान की जाने वाली कमरा या यूनिट आवास सेवाएं
79		996329	अन्य कमरा या यूनिट आवास सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
80	समूह 99633		भोजन, खाद्य निर्मितियां, एल्कोहाली और एल्कोहाली पेय प्रदान करने की सेवाएं
81		996331	रेस्त्रां, कैफे और समरूप खाद्य प्रसुविधाओं, जिसमें स्वयं ले जाने वाली सेवाएं, कमरा सेवाएं और भोजन का घर पर परिदान करना सम्मिलित है, द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
82		996332	होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब और वैसे ही अस्तित्वों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसमें स्वयं ले जाने वाली सेवाएं, कमरा सेवाएं और भोजन का घर पर परिदान करना सम्मिलित है
83		996333	कैंटीन और अन्य समरूप स्थापनों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
84		996334	प्रदर्शनी हाल, इवेंट, विवाह हाल और अन्य बाह्य या भीतरी अंतरंग कार्यक्रमों में खानपान सेवाएं
85		996335	रेल, हवाई जहाज और वैसे ही वाहनों में कैटरिंग सेवाएं
86		996336	एयर लाइनों और अन्य यातायात प्रचालकों को भोजन, खाद्य वस्तुओं, एल्कोहाली और गैर-एल्कोहाली पेय तैयार करना या उनकी पूर्ति करने की सेवाएं
87		996337	अन्य संविदा भोजन सेवाएं
88		996339	अन्य भोजन, खाद्य वस्तुओं, एल्कोहाली और गैर-एल्कोहाली पेय तैयार करना या उनकी पूर्ति करने की सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
89	शीर्ष 9964		यात्री यातायात सेवाएं
90	समूह 99641		यात्रियों की स्थानीय परिवहन और पर्यटन परिवहन सेवाएं
91		996411	रेल, मेट्रो, मोनो-रेल, बस, ट्राम वे, आटो, तिपहिया स्कूटर और अन्य मोटर यानों द्वारा यात्रियों की स्थानीय भू-परिवहन सेवाएं
92		996412	टैक्सी सेवाएं, जिसमें रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं सम्मिलित हैं
93		996413	गैर सूचीबद्ध स्थानीय बस और कोच चार्टर सेवाएं
94		996414	यात्रियों के लिए अन्य भू-परिवहन सेवाएं
95		996415	फैरी, कूज और वैसे ही जलयानों द्वारा यात्रियों के लिए स्थानीय जल परिवहन सेवाएं
96		996416	रेल, भूमि, जल और वायु पर्यटन द्वारा स्थल दर्शन परिवहन सेवाएं
97		996419	यात्रियों की अन्य स्थानीय परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं

98	<b>समूह 99642</b>		<b>यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं</b>
99		996421	रेलवे द्वारा रेल नेटवर्क, मेट्रो इत्यादि के माध्यम से यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
100		996422	बस, कार, गैर अनुसूचित लंबी दूरी की बस और कोच सेवाएं, स्टेज कैरिअज इत्यादि द्वारा सड़क के माध्यम से यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
101		996423	टैक्सी सेवाएं, जिसमें रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं हैं
102		996424	फैरी, क्रूज जलयानों और वैसे ही यानों द्वारा यात्रियों की तटीय और परासमुद्रीय (ओवरसीज) जल परिवहन सेवाएं
103		996425	यात्रियों की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं
104		996426	यात्रियों की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं
105		996427	यात्रियों की अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं
106		996429	यात्रियों की अन्य लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
107	<b>शीर्ष 9965</b>		<b>माल परिवहन सेवाएं</b>
108	<b>समूह 99651</b>		<b>माल की भू परिवहन सेवाएं</b>
109		996511	रेफ्रिजरेटर, यान, ट्रक, ट्रेलर, मनुष्य या पशु को ले जाने वाले यान या कोई अन्य यान द्वारा माल की सड़क परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, कन्टेनर इत्यादि सम्मिलित हैं
110		996512	माल की रेल परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, इंटरमाडल कन्टेनर, बल्क कारगो इत्यादि सम्मिलित हैं
111		996513	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, सीवेज और पाइपलाइन द्वारा अन्य माल की परिवहन सेवाएं
112		996519	माल की अन्य भू परिवहन सेवाएं ; जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
113	<b>समूह 99652</b>		<b>माल की जल परिवहन सेवाएं</b>
114		996521	रेफ्रिजरेटर जलयानों, टैंकर, प्रपुंज स्थोरा, कन्टेनर, पोत इत्यादि द्वारा माल की तटीय और परासमुद्रीय जल परिवहन सेवाएं
115		996522	रेफ्रिजरेटर जलयानों, टैंकर और अन्य जलयानों द्वारा माल की अंतरदेशीय जल परिवहन सेवाएं
116	<b>समूह 99653</b>		<b>माल की वायु और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं</b>
117		996531	पत्र और पार्सल तथा अन्य माल की वायु परिवहन सेवाएं
118		996532	भाड़े की अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं
119	<b>शीर्ष 9966</b>		<b>प्रचालक सहित या रहित परिवहन यान की किराए की सेवाएं</b>

120	समूह 99660		प्रचालक सहित या रहित परिवहन यान की किराए की सेवाएं
121		996601	सड़क यानों की किराए की सेवाएं, जिसमें बस, कोच, कार, ट्रक और अन्य मोटर यान, प्रचालक सहित या रहित सम्मिलित हैं
122		996602	जल यानों की किराए की सेवाएं, जिसमें बस, कोच, कार, ट्रक और अन्य मोटर यान, प्रचालक सहित या रहित सम्मिलित हैं
123		996603	वायुयान की किराए की सेवाएं, जिसमें भाड़े के वायुयान इत्यादि, प्रचालक सहित या रहित सम्मिलित हैं
124		996609	अन्य परिवहन यानों की किराए की सेवाएं, प्रचालक सहित या रहित, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
125	शीर्ष 9967		परिवहन में सहायता देने वाली सेवाएं
126	समूह 99671		स्थोरा को उतारने चढ़ाने की सेवाएं
127		996711	कन्टेनर उतारने चढ़ाने की सेवाएं
128		996712	सीमाशुल्क गृह अभिकर्ता सेवाएं
129		996713	समाशोधन और अग्नेषण सेवाएं
130		996719	अन्य माल और सामान उतारने और चढ़ाने की सेवाएं
131	समूह 99672		गोदाम और भांडागार सेवाएं
132		996721	रेफ्रिजरेटेड गोदाम सेवाएं
133		996722	प्रपुंज द्रव या गैस गोदाम सेवाएं
134		996729	अन्य गोदाम और भांडागार सेवाएं
135	समूह 99673		रेल परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
136		996731	रेलवे की पुशिंग और टोइंग सेवाएं
137		996739	रेल परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
138	समूह 99674		सड़क परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
139		996741	बस स्टेशन सेवाएं
140		996742	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, सड़क और गलियां ; पुल और सुरंग प्रचालन सेवाओं की प्रचालन सेवाएं
141		996743	पार्किंग लाट सेवाएं
142		996744	वाणिज्यिक और निजी वाहनों के लिए उठाने की सेवाएं
143		996749	सड़क परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
144	समूह 99675		जल परिवहन (तटीय समुद्रपार और अंतर्देशीय जलमार्ग) के लिए सहायक सेवाएं



145		996751	पत्तन और जलमार्ग प्रचालन सेवाएं (माल उतारने चढ़ाने की सेवाओं को छोड़कर) जैसे पत्तन, डाक, लाइटहाउस, हल्क पोत इत्यादि की प्रचालन सेवाएं
146		996752	पाइलोटिज और बर्थिंग सेवाएं
147		996753	जलयान, मल निकासी और पुनःफ्लोटिंग सेवाएं
148		996759	जल परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
149	<b>समूह 99676</b>		<b>वायु और अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं</b>
150		996761	हवाई अड्डा प्रचालन सेवाएं (स्थोरा उतारने चढ़ाने की सेवाओं को छोड़कर)
151		996762	वायु यातायात नियंत्रण सेवाएं
152		996763	वायु परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं
153		996764	अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
154	<b>समूह 99679</b>		<b>अन्य सहायक परिवहन सेवाएं</b>
155		996791	सड़क परिवहन के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं
156		996792	परिवहन के अन्य माध्यमों के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं
157		996793	अन्य माल परिवहन सेवाएं
158		996799	अन्य सहायक परिवहन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
159	<b>शीर्ष 9968</b>		<b>डाक और कुरियर सेवाएं</b>
160	<b>समूह 99681</b>		<b>डाक और कुरियर सेवाएं</b>
161		996811	डाक सेवाएं, जिसमें डाकघर काउंटर सेवाएं, मेल बाक्स, रेंटल सेवाएं सम्मिलित हैं
162		996812	कुरियर सेवाएं
163		996813	स्थानीय डिलीवरी सेवाएं
164		996819	अन्य डिलीवरी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
165	<b>शीर्ष 9969</b>		<b>विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं</b>
166	<b>समूह 99691</b>		<b>विद्युत और गैस वितरण सेवाएं</b>
167		996911	विद्युत पारेषण सेवाएं
168		996912	विद्युत वितरण सेवाएं
169		996913	गैस वितरण सेवाएं
170	<b>समूह 99692</b>		<b>जल वितरण और अन्य सेवाएं</b>
171		996921	जल वितरण सेवाएं

172		996922	सेवाएं, जिसमें भाप का वितरण, गर्म जल और वायु प्रशीतन प्रदान इत्यादि अंतर्बलित है
173		996929	अन्य समरूप सेवाएं
174	खंड 7		<b>वित्तीय और संबंधित सेवाएं ; रियल एस्टेट सेवाएं ; और किराए और पट्टा देने की सेवाएं</b>
175	शीर्ष 9971		<b>वित्तीय और संबंधित सेवाएं</b>
176	समूह 99711		<b>वित्तीय सेवाएं (विनिधान बैंकिंग, बीमा सेवाएं और पेंशन सेवाओं को छोड़कर)</b>
177		997111	केंद्रीय बैंकिंग सेवाएं
178		997112	निक्षेप सेवाएं
179		997113	ऋण प्रदान सेवाएं, जिसमें स्टैंड बाई कमिटमेंट, गारंटी और प्रतिभूति सम्मिलित है
180		997114	वित्तीय पट्टा सेवाएं
181		997119	अन्य वित्तीय सेवाएं, (विनिधान बैंकिंग, बीमा सेवाएं और पेंशन सेवाओं को छोड़कर)
182	समूह 99712		<b>विनिधान बैंकिंग सेवाएं</b>
183		997120	विनिधान बैंकिंग सेवाएं
184	समूह 99713		<b>बीमा और पेंशन सेवाएं (पुनर्बीमा सेवा को छोड़कर)</b>
185		997131	पेंशन सेवाएं
186		997132	जीवन बीमा सेवाएं (पुनर्बीमा सेवा को छोड़कर)
187		997133	दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं
188		997134	मोटर यान बीमा सेवाएं
189		997135	समुद्री, वायु और अन्य परिवहन बीमा सेवाएं
190		997136	भाड़ा बीमा सेवाएं और ट्रेवल बीमा सेवाएं
191		997137	अन्य संपत्ति बीमा सेवाएं
192		997139	अन्य गैर जीवन बीमा सेवाएं (पुनर्बीमा सेवा को छोड़कर)
193	समूह 99714		<b>पुनर्बीमा सेवाएं</b>
194		997141	जीवन पुनर्बीमा सेवाएं
195		997142	दुर्घटना और स्वास्थ्य पुनर्बीमा सेवाएं
196		997143	मोटर यान पुनर्बीमा सेवाएं
197		997144	समुद्री, वायु और अन्य परिवहन पुनर्बीमा सेवाएं
198		997145	भाड़ा बीमा सेवाएं और ट्रेवल पुनर्बीमा सेवाएं

199		997146	अन्य संपत्ति पुनर्बीमा सेवाएं
200		997149	अन्य गैर जीवन पुनर्बीमा सेवाएं
201	<b>समूह 99715</b>		<b>वित्तीय सेवाओं के लिए सहायक सेवाएं (बीमा और पेंशन से भिन्न)</b>
202		997151	विनिधान बैंकिंग से संबंधित सेवाएं, जैसे विलयन और अर्जन सेवाएं, कारपोरेट, वित्त और जोखिम पूंजी सेवाएं
203		997152	दलाली संबंधित प्रतिभूति और वस्तु सेवाएं, जिसमें वस्तु विनिमय सेवाएं भी हैं
204		997153	पोर्ट फोलियो प्रबंधन सेवाएं, पेंशन निधि को छोड़कर
205		997154	न्यास और कस्टडी सेवाएं
206		997155	वित्तीय बाजार के प्रशासन से संबंधित सेवाएं
207		997156	वित्तीय परामर्श सेवाएं
208		997157	विदेशी मुद्रा सेवाएं
209		997158	वित्तीय संव्यवहार प्रसंस्करण और समाशोधन गृह संबंधी सेवाएं
210		997159	वित्तीय सेवाओं के लिए अन्य सहायक सेवाएं
211	<b>समूह 99716</b>		<b>बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं</b>
212		997161	बीमा दलाली और अभिकरण संबंधी सेवाएं
213		997162	बीमा दावा समायोजन सेवाएं
214		997163	बीमांकक सेवाएं
215		997164	पेंशन निधि प्रबंध सेवाएं
216		997169	बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं
217	<b>समूह 99717</b>		<b>धृति वित्तीय आस्ति संबंधी सेवाएं</b>
218		997171	समानुषंगी कंपनियों की साम्या धृति संबंधी सेवाएं
219		997172	न्यासों और निधियों तथा वैसी ही वित्तीय अस्तित्वों की धृति प्रतिभूतियों और अन्य आस्ति से संबंधित सेवाएं
220	<b>शीर्ष 9972</b>		<b>भू संपदा संबंधी सेवाएं</b>
221	<b>समूह 99721</b>		<b>भू संपदा संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार संपत्ति अंतर्बलित है</b>
222		997211	किराए या पट्टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार आवासिक संपत्ति अंतर्बलित है
223		997212	किराए या पट्टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार गैर-आवासिक संपत्ति अंतर्बलित है
224		997213	भवनों के व्यापार संबंधी सेवाएं
225		997214	समय-भाग संपत्ति की व्यापार संबंधी सेवाएं

226		997215	रिक्त और उप विभाजित भूमि की व्यापार संबंधी सेवाएं
227	<b>समूह 99722</b>		<b>फीस या कमीशन या संविदा पर आधारित भू संपदा सेवाएं</b>
228		997221	फीस या कमीशन पर या संविदा पर आधारित संपत्ति प्रबंध सेवाएं
229		997222	फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भवन विक्रय
230		997223	फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भूमि विक्रय
231		997224	फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भू संपदा संपत्ति अंकन सेवाएं
232	<b>शीर्ष 9973</b>		<b>प्रचालक के साथ या उसके बिना पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं</b>
233	<b>समूह 99731</b>		<b>प्रचालक के साथ या उसके बिना मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं</b>
234		997311	प्रचालक के साथ या उसके बिना आधानों सहित संबद्ध परिवहन उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
235		997312	प्रचालक के साथ या उसके बिना कृषि मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
236		997313	प्रचालक के साथ या उसके बिना संनिर्माण मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
237		997314	प्रचालक के साथ या उसके बिना कार्यालय मशीनरी और उपस्कर (कंप्यूटर के सिवाए) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
238		997315	प्रचालक के साथ या उसके बिना कंप्यूटरों से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
239		997316	प्रचालक के साथ या उसके बिना दूरसंचार उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
240		997319	प्रचालक के साथ या बिना अन्य मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
241	<b>समूह 99732</b>		<b>अन्य माल से संबंधित पट्टे या किराए पर देने संबंधी सेवाएं</b>
242		997321	टेलीविजन, रेडियो, वीडियो, कैसेट्स, रिकार्डर, प्रोजेक्टर, ऑडियो सिस्टम और संबंधित उपस्कर और उपसाधनों (गृह मनोरंजन उपस्कर) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
243		997322	वीडियो, टेप और डिस्क (गृह मनोरंजन उपस्कर) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
244		997323	फर्नीचर और अन्य गृहस्थी साधित्र से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
245		997324	विलास और अवकाश उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
246		997325	गृह उपयोगी लिनेन से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
247		997326	टेक्सटाइल, वस्त्र और फुटवीयर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं

248		997327	स्वयं कार्य करने वाली (डू-इट-यूअरसेल्फ) मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
249		997329	अन्य माल से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
250	समूह 99733		<b>बौद्धिक संपदा और उसी तरह के उत्पादों के उपयोग के लिए अधिकार हेतु अनुज्ञापन सेवाएं</b>
251		997331	कंप्यूटर साफ्टवेयर और डाटाबेस उपयोग के अधिकार हेतु अनुज्ञापन सेवाएं
252		997332	मूल फिल्मों, ध्वनि अंकन, रेडियो और टेलीविजन आदि कार्यक्रमों के प्रसारण और प्रदर्शन के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
253		997333	मूल कलाकृति के पुनःनिर्माण के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
254		997334	पांडुलिपि, पुस्तकें, जर्नल और नियतकालिक पत्रिकाओं के पुनःमुद्रण और प्रति बनाने संबंधी अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
255		997335	अनुसंधान और विकास उत्पादों के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
256		997336	व्यापार चिन्ह और विशेषाधिकार के उपयोग के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
257		997337	खनिजों के उपयोग, जिसके अंतर्गत उसकी खोज और मूल्यांकन भी हैं, के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
258		997338	दूरसंचार स्पेक्ट्रम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हेतु अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
259		997339	अन्य बौद्धिक संपदा उत्पाद और अन्य संसाधनों के उपयोग हेतु अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
260	खंड 8		<b>कारबार और उत्पादन सेवाएं</b>
261	शीर्ष 9981		<b>अनुसंधान और विकास सेवाएं</b>
262	समूह 99811		<b>प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास सेवाएं</b>
263		998111	प्राकृतिक विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
264		998112	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
265		998113	चिकित्सा विज्ञान और फार्मसी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
266		998114	कृषि विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
267	समूह 99812		<b>सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास सेवाएं</b>
268		998121	सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
269		998122	मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
270	समूह 99813		<b>अंतरविषयक अनुसंधान सेवाएं</b>
271		998130	अंतरविषयक अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
272	समूह 99814		<b>मूल अनुसंधान और विकास</b>

273		998141	औषधि निर्माण में मूल अनुसंधान और विकास
274		998142	कृषि में मूल अनुसंधान और विकास
275		998143	जैव प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान और विकास
276		998144	कंप्यूटर संबंधित विज्ञान में मूल अनुसंधान और विकास
277		998145	अन्य क्षेत्रों में मूल अनुसंधान और विकास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
278	<b>शीर्ष 9982</b>		<b>विधिक और लेखांकन सेवाएं</b>
279	<b>समूह 99821</b>		<b>विधिक सेवाएं</b>
280		998211	दांडिक विधि संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं
281		998212	विधि के अन्य क्षेत्रों में संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं
282		998213	पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकारों और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं
283		998214	अन्य दस्तावेजों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं
284		998215	माध्यस्थम् और सुलह सेवाएं
285		998216	अन्य विधिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
286	<b>समूह 99822</b>		<b>लेखांकन, संपरीक्षण और पुस्तकपालन सेवाएं</b>
287		998221	वित्तीय संपरीक्षण सेवाएं
288		998222	लेखांकन और पुस्तकपालन सेवाएं
289		998223	पेरोल सेवाएं
290		998224	वैसी ही अन्य सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
291	<b>समूह 99823</b>		<b>कर परामर्शी और तैयारी संबंधी सेवाएं</b>
292		998231	कारपोरेट कर परामर्श और तैयारी संबंधी सेवाएं
293		998232	व्यषटिक कर तैयारी और योजना संबंधी सेवाएं
294	<b>समूह 99824</b>		<b>दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं</b>
295		998240	दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं
296	<b>शीर्ष 9983</b>		<b>अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं</b>
297	<b>समूह 99831</b>		<b>परामर्शी प्रबंधन और प्रबंध सेवाएं ; सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं.</b>
298		998311	परामर्शी प्रबंधन और प्रबंध सेवाएं, जिनके अंतर्गत वित्तीय, नीतिगत, मानव संसाधन, विपणन, प्रचालन और प्रदाय शृंखला प्रबंध भी है
299		998312	कारबार परामर्शी सेवाएं, जिनके अंतर्गत जनसंपर्क संबंधी सेवाएं भी हैं
300		998313	सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शी और समर्थनकारी सेवाएं

301		998314	सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना और विकास सेवाएं
302		998315	होस्टिंग और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना उपलब्ध करवाने संबंधी सेवाएं
303		998316	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और नेटवर्क प्रबंध सेवाएं
304		998319	अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
305	<b>समूह 99832</b>		<b>स्थापत्य सेवाएं, नगर और भूमि योजना और दृश्य भूमि स्थापत्य सेवाएं</b>
306		998321	स्थापत्य सलाहकारी सेवाएं
307		998322	आवासीय भवन परियोजनाओं के लिए स्थापत्य सेवाएं
308		998323	गैर-आवासीय भवन परियोजनाओं के लिए स्थापत्य सेवाएं
309		998324	ऐतिहासिक प्रत्यावर्तन स्थापत्य सेवाएं
310		998325	नगर योजना सेवाएं
311		998326	ग्रामीण भूमि योजना सेवाएं
312		998327	परियोजना स्थल महायोजना सेवाएं
313		998328	भूदृश्य भूमि संबंधी सेवाएं और सलाहकारी सेवाएं
314	<b>समूह 99833</b>		<b>इंजीनियरी सेवाएं</b>
315		998331	इंजीनियरी सलाहकारी सेवाएं
316		998332	भवन परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
317		998333	औद्योगिक और विनिर्माण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
318		998334	परिवहन संबंधी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
319		998335	विद्युत परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
320		998336	दूरसंचार और प्रसारण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
321		998337	अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (परिसंकटमय और अपरिसंकटमय) के लिए और जल, मल वहन तथा जल निकासी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
322		998338	अन्य परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
323		998339	सन्निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं
324	<b>समूह 99834</b>		<b>वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी सेवाएं</b>
325		998341	भूविज्ञान और भौगोलिक परामर्शी सेवाएं
326		998342	उपसतही सर्वेक्षण संबंधी सेवाएं
327		998343	खनिज खोज और मूल्यांकन
328		998344	सतही सर्वेक्षण और मानचित्र निर्माण संबंधी सेवाएं

329		998345	मौसम पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं
330		998346	तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण संबंधी सेवाएं
331		998347	पोत, विमान, बांध, आदि का प्रमाणीकरण
332		998348	कलाकृति का प्रमाणीकरण और अधिप्रमाणन
333		998349	अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
334	<b>समूह 99835</b>		<b>पशु चिकित्सा सेवाएं</b>
335		998351	पालतू पशुओं से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं
336		998352	पशुधन से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं
337		998359	अन्य पशु चिकित्सा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
338	<b>समूह 99836</b>		<b>विज्ञापन सेवाएं और विज्ञापन के लिए स्थान या समय का उपबंध</b>
339		998361	विज्ञापन संबंधी सेवाएं
340		998362	कमीशन आधार पर, विज्ञापन के लिए स्थान या समय का क्रय या विक्रय
341		998363	प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय (कमीशन से भिन्न)
342		998364	टेलीविजन और रेडियो पर विज्ञापन के लिए समय का विक्रय
343		998365	इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय
344		998366	अन्य विज्ञापन के लिए स्थान या समय का विक्रय (कमीशन से भिन्न)
345	<b>समूह 99837</b>		<b>बाजार अनुसंधान और सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं</b>
346		998371	बाजार अनुसंधान सेवाएं
347		998372	सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं
348	<b>समूह 99838</b>		<b>फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं</b>
349		998381	चित्र फोटोग्राफी संबंधी सेवाएं
350		998382	विज्ञापन और संबंधित फोटोग्राफी सेवाएं
351		998383	घटना संबंधी फोटोग्राफी और घटना संबंधी वीडियोग्राफी सेवाएं
352		998384	विशिष्ट विषय संबंधी फोटोग्राफी सेवाएं
353		998385	फोटो का प्रत्यावर्तन और उनके परिष्करण संबंधी सेवाएं
354		998386	फोटो और वीडियो के प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं
355		998387	अन्य फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
356	<b>समूह 99839</b>		<b>अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं</b>



357		998391	विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं, जिनके अंतर्गत आंतरिक सज्जा संबंधी डिजाइन, फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन और अन्य विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं भी हैं
358		998392	डिजाइन मूल
359		998393	वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्शी सेवाएं
360		998394	तथ्यों/सूचनाओं का मूल संकलन
361		998395	अनुवाद और भाषांतरण संबंधी सेवाएं
362		998396	व्यापार चिन्ह और विशेषाधिकार
363		998397	प्रायोजन सेवाएं और ब्रांड संवर्धन सेवाएं
364		998399	अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
365	<b>शीर्ष 9984</b>		<b>दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रदाय संबंधी सेवाएं</b>
366	<b>समूह 99841</b>		<b>टेलीफोनी और अन्य दूरसंचार सेवाएं</b>
367		998411	वाहक संबंधी सेवाएं
368		998412	नियत टेलीफोनी सेवाएं
369		998413	चल दूरसंचार सेवाएं
370		998414	प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं
371		998415	डाटा पारेषण सेवाएं
372		998419	अन्य दूरसंचार सेवाएं, जिनके अंतर्गत फैक्स सेवाएं, टैलेक्स सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
373	<b>समूह 99842</b>		<b>इंटरनेट दूरसंचार सेवाएं</b>
374		998421	इंटरनेट बैकबोन सेवाएं
375		998422	तार द्वारा या बेतार पद्धति में इंटरनेट पहुंच बनाने संबंधी सेवाएं
376		998423	इंटरनेट पर फैक्स, टेलीफोनी
377		998424	इंटरनेट पर आडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग
378		998429	अन्य इंटरनेट दूरसंचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
379	<b>समूह 99843</b>		<b>आन-लाइन अंतर्वस्तु संबंधी सेवाएं</b>
380		998431	आन-लाइन पुस्तकें, समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिकाएं, निदेशिका आदि जैसी आन-लाइन पाठ आधारित सूचना
381		998432	आन-लाइन श्रव्य अंतर्वस्तु
382		998433	आन-लाइन वीडियो (दृश्य) अंतर्वस्तु
383		998434	साफ्टवेयर डाउनलोड

384		998439	अन्य आन-लाइन अंतर्वस्तुएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
385	<b>समूह 99844</b>		<b>समाचार अभिकरण संबंधी सेवाएं</b>
386		998441	समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के लिए समाचार अभिकरण सेवाएं
387		998442	स्वतंत्र पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफरों की सेवाएं
388		998443	दृश्य-श्रव्य मीडिया के लिए समाचार अभिकरण सेवाएं
389	<b>समूह 99845</b>		<b>पुस्तकालय और अभिलेखागार संबंधी सेवाएं</b>
390		998451	पुस्तकालय संबंधी सेवाएं
391		998452	सार्वजनिक अभिलेखागारों, जिसके अंतर्गत डिजिटल अभिलेखागार भी हैं, की संक्रियात्मक सेवाएं
392		998453	ऐतिहासिक अभिलेखागारों, जिसके अंतर्गत डिजिटल अभिलेखागार भी हैं, की संक्रियात्मक सेवाएं
393	<b>समूह 99846</b>		<b>प्रसारण, कार्यक्रमण और कार्यक्रम वितरण सेवाएं</b>
394		998461	रेडियो प्रसारण मूल
395		998462	टेलिविजन प्रसारण मूल
396		998463	रेडियो चैनल कार्यक्रम
397		998464	टेलिविजन चैनल कार्यक्रम
398		998465	प्रसारण सेवाएं
399		998466	कार्यकरण वितरण सेवाएं
400	<b>शीर्ष 9985</b>		<b>सहायता सेवाएं</b>
401	<b>समूह 99851</b>		<b>नियोजन सेवाएं, जिसके अन्तर्गत कार्मिक अनुसंधान या रेफरल सेवा और श्रम प्रदाय सेवा भी है</b>
402		998511	कार्यपालक या प्रतिधारित कार्मिक अनुसंधान सेवाएं
403		998512	स्थायी नियोजन सेवाएं, कार्यकारी अनुसंधान सेवाओं से भिन्न
404		998513	संविदा कर्मचारिवृन्द सेवाएं
405		998414	स्थायी कर्मचारिवृन्द सेवाएं
406		998515	दीर्घकालिक कर्मचारिवृन्द (वेतन चिट्ठा बनाना) सेवाएं
407		998516	स्थायी नियोजन सेवाओं में अस्थायी कर्मचारिवृन्द
408		998517	सह-नियोजन कर्मचारिवृन्द सेवाएं
409		998519	अन्य नियोजन और श्रम प्रदाय सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
410	<b>समूह 99852</b>		<b>अन्वेषण और सुरक्षा सेवाएं</b>
411		998521	अन्वेषण सेवाएं
412		998522	सुरक्षा परामर्श सेवाएं
413		998523	सुरक्षा प्रणाली सेवाएं
414		998524	बक्तरबंद कार सेवाएं
415		998525	गार्ड सेवाएं
416		998526	प्रहरी कुत्ते का प्रशिक्षण
417		998527	पॉलिग्राफ सेवाएं

418		998528	ऊंगलीछाप सेवाएं
419		998529	अन्य सुरक्षा सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>420</b>	<b>समूह 99853</b>		<b>सफाई सेवाएं</b>
421		998531	विसंक्रमणकारी और उन्मूलनकारी सेवाएं
422		998532	खिड़की सफाई सेवाएं
423		998533	साधारण सफाई सेवाएं
424		998534	जलाशयों और तालाबों के लिए विशेषीकृत सफाई सेवाएं
425		998535	वस्तुओं या परिसरों (शल्य क्रिया कक्ष) का विसंक्रमण
426		998536	भट्टी और चिमनी सफाई सेवाएं
427		998537	सभी प्रकार के भवनों की बाह्य सफाई
428		998538	परिवहन उपस्कर की सफाई
429		998539	अन्य सफाई सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
430	<b>समूह 99854</b>		<b>पैकेजिंग सेवाएं</b>
431		998540	अन्य के लिए माल की पैकेजिंग सेवाएं
432		998541	पार्सल पैकिंग और उपहार वेष्टन
433		998542	सिक्का और करेंसी पैकिंग सेवाएं
434		998549	अन्य पैकेजिंग सेवाएं एन.ई.सी
435	<b>समूह 99855</b>		<b>यात्रा व्यवस्था, टुअर ऑपरेटर और सम्बन्धित सेवाएं</b>
436		998551	परिवहन के लिए आरक्षण सेवाएं
437		998552	आवास परिभ्रमण और पैकेज टुअर के लिए आरक्षण सेवाएं
438		998553	सम्मेलन केन्द्रों, कांग्रेस केन्द्रों और प्रदर्शनी हॉलों के लिए आरक्षण सेवाएं
439		998554	समारोह टिकटों, सिनेमा हॉलों, मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद सेवाओं के लिए आरक्षण सेवाएं और अन्य आरक्षण सेवाएं
440		998555	टुअर ऑपरेटर सेवाएं
441		998556	यात्री मार्गदर्शक
442		998557	पर्यटन संवर्धन और आगन्तुक सूचना सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
443		998559	अन्य यात्रा प्रबंध और सम्बन्धित सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>444</b>	<b>समूह 99859</b>		<b>अन्य सहायता सेवाएं</b>
445		998591	प्रत्यय रिपोर्ट करना और रेटिंग सेवाएं
446		998592	संग्रहण अभिकरण सेवाएं
447		998593	टेलिफोन आधारित सहायता सेवाएं
448		998594	संयुक्त कार्यालय प्रशासनिक सेवाएं
449		998595	विशेषीकृत कार्यालय सहायता सेवाएं, जैसे सेवाओं का अनुलिपिकरण, मेल करना और दस्तावेज तैयार करना आदि
450		998596	समारोह, प्रदर्शनी, कन्वेंशन और व्यापार, जो संगठन और सहायता सेवाएं दर्शाता है
451		998597	भू-स्लाकृति देख-भाल और रख-रखाव सेवाएं
452		998598	अन्य सूचना सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
453		998599	अन्य सहायता सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>454</b>	<b>शीर्ष 9986</b>		<b>कृषि, आखेट, वानिकीकरण, मछली पकड़ना, खनन और यूटीलिटीज के लिए सहायक सेवाएं</b>

<b>455</b>	<b>समूह 99861</b>		<b>कृषि, आखेट, वानिकीकरण और मछली पकड़ना के लिए सहायक सेवाएं</b>
456		998611	फसल उत्पादन के लिए सहायता सेवाएं
457		998612	पशुपालन सेवाएं
458		998613	आखेट के लिए सहायता सेवाएं
459		998614	वानिकीकरण और लट्टा बनाना
460		998615	मछली पकड़ने के लिए सहायता सेवाएं
461		998619	कृषि, आखेट, वानिकीकरण और मछली पकड़ने के लिए अन्य सहायता सेवाएं
<b>462</b>	<b>समूह 99862</b>		<b>खनन के लिए सहायता सेवाएं</b>
463		998621	तेल और गैस निष्कर्षण के लिए सहायता सेवाएं
464		998622	अन्य खनन के लिए सहायता सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>465</b>	<b>समूह 99863</b>		<b>बिजली, गैस और जल वितरण के लिए सहायता सेवाएं</b>
466		998631	बिजली, पारेषण और वितरण के लिए सहायता सेवाएं
467		998632	गैस वितरण के लिए सहायता सेवाएं
468		998633	जल वितरण के लिए सहायता सेवाएं
469		998634	भाप, गर्म जल और वातानुकूलन प्रदाय की वितरण सेवाओं के लिए सहायता सेवाएं
<b>470</b>	<b>शीर्ष 9987</b>		<b>अनुरक्षण, मरम्मत और संस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं</b>
<b>471</b>	<b>समूह 99871</b>		<b>संविरोचित धातु उत्पादों, मशीनों, उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं</b>
472		988711	संविरोचित धातु उत्पादों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
473		988712	कार्यालय और लेखा मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
474		998713	कम्प्यूटर और परिधीय उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
475		998714	परिवहन मशीनरी और उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
476		998715	विद्युत घरेलू साधित्र
477		998716	दूरसंचार उपस्करों और उपकरणों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
478		998717	वाणिज्यिक और औद्योगिक मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
479		998718	उत्थापकों और चल-सोपानों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
480		998719	अन्य मशीनरी और उपस्करों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
<b>481</b>	<b>समूह 99872</b>		<b>अन्य माल की मरम्मत सेवाएं</b>
482		998721	जूता और चमड़े के माल की मरम्मत सेवाएं
483		998722	घड़ियों, क्लॉकों और आभूषणों की मरम्मत सेवाएं
484		998723	कपड़े और घरेलू टेक्सटाइलों की मरम्मत सेवाएं
485		998724	फर्नीचर की मरम्मत सेवाएं
486		998725	साइकिलों की मरम्मत सेवाएं
487		998726	वाद्ययंत्रों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
488		998727	फोटोग्राफी, उपस्कर और कैमराओं के लिए मरम्मत सेवाएं
489		998729	अन्य माल की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>490</b>	<b>समूह 99873</b>		<b>संस्थापन सेवाएं (सन्निर्माण से भिन्न)</b>
491		998731	मशीनरी उपस्कर के सिवाय, संविरोचित धातु उत्पादों की संस्थापन सेवाएं

492		998732	औद्योगिक विनिर्माण और सेवा उद्योग मशीनरी तथा उपस्कर की संस्थापन सेवाएं
493		998733	कार्यालय लेखा मशीनरी और कम्प्यूटरों की संस्थापन सेवाएं
494		998734	रेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्कर तथा उपकरणों की संस्थापन सेवाएं
495		998735	वृत्तिक चिकित्सा मशीनरी और उपस्कर तथा सुक्षमता तथा ऑप्टिकल यंत्रों की संस्थापन सेवाएं
496		998736	विद्युत मशीनरी और उपकरण की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
497		998739	अन्य माल की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
498	<b>शीर्ष 9988</b>		<b>अन्य व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं</b>
<b>499</b>	<b>समूह 99881</b>		<b>खाद्य, पेय और तम्बाकू विनिर्माण सेवाएं</b>
500		998811	मांस प्रसंस्करण सेवाएं
501		998812	मछली प्रसंस्करण सेवाएं
502		998813	फल और वनस्पति प्रसंस्करण सेवाएं
503		998814	वनस्पति और पशु तेल तथा वसा विनिर्माण सेवाएं
504		998815	दुग्ध उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
505		998816	अन्य खाद्य उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
506		998817	निर्मित पशु चारा विनिर्माण सेवाएं
507		998818	पेय विनिर्माण सेवाएं
508		998819	तम्बाकू विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>509</b>	<b>समूह 99882</b>		<b>टेक्सटाइल, पहनने के परिधान और चमड़ा विनिर्माण सेवाएं</b>
510		998821	टेक्सटाइल विनिर्माण सेवाएं
511		998822	पहनने के परिधान विनिर्माण सेवाएं
512		998823	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
<b>513</b>	<b>समूह 99883</b>		<b>काष्ठ और कागज विनिर्माण सेवाएं</b>
514		998831	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
515		998832	कागज उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
<b>516</b>	<b>समूह 99884</b>		<b>पेट्रोलियम, रसायन और औषध-भेषजीय उत्पाद विनिर्माण सेवाएं</b>
517		998841	कोल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादन विनिर्माण सेवाएं
518		998842	रसायन उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
519		998843	औषध-भेषजीय उत्पाद सेवाएं
<b>520</b>	<b>समूह 99885</b>		<b>रबर, प्लास्टिक और अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण सेवाएं</b>
521		998851	रबर और प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
522		998852	प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
523		998853	अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
<b>524</b>	<b>समूह 99886</b>		<b>मूल धातु विनिर्माण सेवाएं</b>
525		998860	मूल धातु विनिर्माण सेवाएं
<b>526</b>	<b>समूह 99887</b>		<b>संविरोचित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपस्कर विनिर्माण सेवाएं</b>
527		998871	संरचनात्मक धातु उत्पाद, तालाब, जलाशय और भाप जनित्र विनिर्माण सेवाएं
528		998872	शस्त्र और गोला-बारूद विनिर्माण सेवाएं

529		998873	अन्य संविरचित धातु उत्पाद विनिर्माण और धातु उपचार सेवाएं
530		998874	कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
531		998875	विद्युत उपस्कर विनिर्माण सेवाएं
532		998876	साधारण-प्रयोजन, मशीनरी विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
533		998877	विशेष-प्रयोजन मशीनरी विनिर्माण सेवाएं
<b>534</b>	<b>समूह 99888</b>		<b>परिवहन उपस्कर विनिर्माण सेवाएं</b>
535		998881	मोटरयान और ट्रेलर विनिर्माण सेवाएं
536		998882	अन्य परिवहन उपस्कर विनिर्माण सेवाएं
<b>537</b>	<b>समूह 99889</b>		<b>अन्य विनिर्माण सेवाएं</b>
538		998891	फर्नीचर विनिर्माण सेवाएं
539		998892	आभूषण विनिर्माण सेवाएं
540		998893	अनुकृति आभूषण विनिर्माण सेवाएं
541		998894	वाद्य यंत्र विनिर्माण सेवाएं
542		998895	खेल-कूद माल विनिर्माण सेवाएं
543		998896	गेम और टॉय विनिर्माण सेवाएं
544		998897	चिकित्सा और दंत तथा प्रदाय विनिर्माण सेवाएं
545		998898	अन्य विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>546</b>	<b>शीर्ष 9989</b>		<b>अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं</b>
<b>547</b>	<b>समूह 99891</b>		<b>प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं</b>
548		998911	किसी फीस या संविदा आधार पर प्रकाशन
549		998912	किसी फीस या संविदा आधार पर अभिलिखित मीडिया की मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं
550	<b>समूह 99892</b>		<b>सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बोधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं</b>
<b>551</b>		998920	सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बोधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं
<b>552</b>	<b>समूह 99893</b>		<b>ढलाई, गढ़ाई, स्टाम्प लगाना और सदृश धातु विनिर्माण सेवाएं</b>
553		998931	लोहा और इस्पात ढलाई सेवाएं
554		998932	गैर-लौहमय धातु ढलाई सेवाएं
555		998933	धातु-गढ़ाई, दबाई, स्टाम्प लगाना, रॉल बनाना तथा चूर्ण धात्विकी सेवाएं
<b>556</b>	<b>समूह 99894</b>		<b>फीस या संविदा के आधार पर सामग्री वसूली (पुनःचक्रण) सेवाएं</b>
557		998941	फीस या संविदा के आधार पर धातु अपशिष्ट और स्कैप (पुनःचक्रण) वसूली सेवाएं
558		998942	फीस या संविदा के आधार पर गैर धातु अपशिष्ट और स्कैप वसूली (पुनःचक्रण) सेवाएं
<b>559</b>	<b>खंड 9</b>		<b>समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं</b>
<b>560</b>	<b>शीर्ष 9991</b>		<b>समग्र रूप में पूरे समुदाय के लिए प्रदान किया जाने वाला लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं ; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं</b>
<b>561</b>	<b>समूह 99911</b>		<b>सरकार की प्रशासनिक सेवाएं</b>
562		999111	समग्र सरकारी लोक सेवाएं

563		999112	सामाजिक सुरक्षा सेवा को छोड़कर शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक सेवाओं के उपबंध से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
564		999113	कारबार के अधिक दक्ष संचालन से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
565		999119	सरकार जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं की अन्य प्रशासनिक सेवाएं
566	<b>समूह 99912</b>		<b>समग्र रूप से समुदाय को उपलब्ध कराई जाने वाली लोक प्रशासनिक सेवाएं</b>
567		999121	विदेश में विदेशी मामलों, राजनयिक और कांसुलर सेवाओं से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
568		999122	विदेशी आर्थिक सहायता से संबंधित सेवाएं
569		999123	विदेशी सैन्य सहायता से संबंधित सेवाएं
570		999124	सैन्य रक्षा सेवाएं
571		999125	सिविल रक्षा सेवाएं
572		999126	पुलिस और अग्नि सुरक्षा सेवाएं
573		999127	विधिक न्यायालयों से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
574		999128	अपराधियों को निरुद्ध करने या पुनर्वास से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
575		999129	अन्य लोक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी मामलों जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
<b>576</b>	<b>समूह 99913</b>		<b>अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं</b>
577		999131	रुग्णता, मातृत्व या अस्थायी निःशक्तता फायदा स्कीमों से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
578		999132	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारी पेंशन स्कीमों, वृद्धावस्था निःशक्तता या उत्तरजीवी फायदा स्कीम से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
579		999133	बेरोजगारी प्रतिकर फायदा स्कीम से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
580		999134	कुटुंब और बालक भत्ता कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
<b>581</b>	<b>शीर्ष 9992</b>		<b>शिक्षा सेवाएं</b>
<b>582</b>	<b>समूह 99921</b>		<b>पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेवाएं</b>
583		999210	पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेवाएं
<b>584</b>	<b>समूह 99922</b>		<b>प्राथमिक शिक्षा सेवाएं</b>
585		999220	प्राथमिक शिक्षा सेवाएं
<b>586</b>	<b>समूह 99923</b>		<b>माध्यमिक शिक्षा सेवाएं</b>
587		999231	माध्यमिक शिक्षा सेवाएं, सामान्य
588		999232	माध्यमिक शिक्षा सेवाएं, तकनीकी और व्यावसायिक
<b>589</b>	<b>समूह 99924</b>		<b>उच्चतर शिक्षा सेवाएं</b>
590		999241	उच्चतर शिक्षा सेवाएं, सामान्य
591		999242	उच्चतर शिक्षा सेवाएं, तकनीकी
592		999243	उच्चतर शिक्षा सेवाएं, व्यावसायिक
593		999249	अन्य उच्चतर शिक्षा सेवाएं
<b>594</b>	<b>समूह 99925</b>		<b>विशेषीकृत शिक्षा सेवाएं</b>
595		999259	विशेषीकृत शिक्षा सेवाएं
<b>596</b>	<b>समूह 99929</b>		<b>अन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाएं और शैक्षणिक सहायता सेवाएं</b>
597		999291	सांस्कृतिक शिक्षा सेवाएं

598		999292	खेल और मनोरंजन शिक्षा सेवाएं
599		999293	वाणिज्यिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं
600		999294	अन्य शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
601		999295	सेवाएं, जिनमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा का संचालन अंतर्बलित है
602		999299	अन्य शैक्षिक समर्थन सेवाएं
<b>603</b>	<b>शीर्ष 9993</b>		<b>मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाएं</b>
<b>604</b>	<b>समूह 99931</b>		<b>मानव स्वास्थ्य सेवाएं</b>
605		999311	अंतःरोगी सेवाएं
606		999312	चिकित्सा और दंत सेवाएं
607		999313	शिशु जन्म और संबंधित सेवाएं
608		999314	नर्सिंग और फिजियोथेरेप्यूटिक सेवाएं
609		999315	एम्बुलेंस सेवाएं
610		999316	चिकित्सा प्रयोगशाला और नैदानिक-इमेजिंग सेवाएं
611		999317	रक्त, शुक्राणु और अंग बैंक सेवाएं
612		999319	अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके अंतर्गत होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, नेचरोपैथी, एक्यूपंकचर आदि हैं
<b>613</b>	<b>समूह 99932</b>		<b>वृद्ध और निःशक्त के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं</b>
614		999321	अस्पतालों से भिन्न आवासीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
615		999322	वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
<b>616</b>	<b>समूह 99933</b>		<b>आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं</b>
617		999331	मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रुग्णता या पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित बालकों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
618		999332	बालकों के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
619		999333	मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रुग्णता या पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व्यस्कों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
620		999334	व्यस्कों के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
621	<b>समूह 99934</b>		<b>वृद्ध और निःशक्त के लिए आवास के बिना सामाजिक सेवाएं</b>
622		999341	व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं
623		999349	वृद्धों और निःशक्त जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं के लिए आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
<b>624</b>	<b>समूह 99935</b>		<b>आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं</b>
625		999351	बालक डे-केयर सेवाएं
626		999352	बालकों से संबंधित मार्गदर्शन और काउंसलिंग सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
627		999353	आवास के बिना कल्याण सेवाएं
628		999359	आवास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
<b>629</b>	<b>शीर्ष 9994</b>		<b>मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण सेवाएं</b>
<b>630</b>	<b>समूह 99941</b>		<b>मल, मल उपचार और सेप्टिक टैंक सफाई सेवा</b>
631		999411	मल और मल उपचार सेवाएं
632		999412	सेप्टिक टैंक को खाली करना और साफ करना सेवा



<b>633</b>	<b>समूह 99942</b>		<b>अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं</b>
634		999421	परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहण सेवा
635		999422	गैर-परिसंकटमय पुनचक्रणीय पदार्थ संग्रहण सेवा
636		999423	सामान्य अपशिष्ट संग्रहण सेवा, आवासीय
637		999424	सामान्य अपशिष्ट संग्रहण सेवा, अन्य जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>638</b>	<b>समूह 99943</b>		<b>अपशिष्ट उपचार और निपटान सेवाएं</b>
639		999431	अपशिष्ट तैयारी, इकट्ठा करना और भंडारण सेवाएं
640		999432	परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार और निपटान सेवाएं
641		999433	गैर-परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार और निपटान सेवाएं
<b>642</b>	<b>समूह 99944</b>		<b>उपचारिक सेवाएं</b>
643		999441	स्थल उपचारिक और स्वच्छता सेवाएं
644		999442	नियंत्रण करना, नियंत्रण और मानीटरी सेवाएं तथा अन्य स्थल उपचारिक सेवाएं
645		999443	भवन उपचारिक सेवाएं
646		999449	अन्य उपचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>647</b>	<b>समूह 99945</b>		<b>स्वच्छता और वैसी ही अन्य सेवाएं</b>
648		999451	सफाई और बर्फ हटाना सेवा
649		999459	अन्य स्वच्छता सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>650</b>	<b>समूह 99949</b>		<b>अन्य</b>
651		999490	अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>652</b>	<b>शीर्ष 9995</b>		<b>सदस्य संगठनों की सेवाएं</b>
<b>653</b>	<b>समूह 99951</b>		<b>कारबार, नियोक्ताओं एवं वृत्तिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं</b>
654		999511	कारबार और नियोक्ता संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
655		999512	व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
<b>656</b>	<b>समूह 99952</b>		<b>व्यवसाय संगमों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं</b>
657		999520	कारबार संगमों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
<b>658</b>	<b>समूह 99959</b>		<b>अन्य सदस्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं</b>
659		999591	धार्मिक सेवाएं
660		999592	राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
661		999593	मानव अधिकार संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
662		999594	सांस्कृतिक और मनोरंजन संघ
663		999595	पर्यावरण वकालत समूहों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
664		999596	युवा संघों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं
665		999597	अन्य नागरिक और सामाजिक संगठन
666		999598	गृह स्वामी संघ
667		999599	अन्य सदस्य संगठनों, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं, द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ
668	<b>शीर्ष 9996</b>		<b>मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल सेवाएं</b>
<b>669</b>	<b>समूह 99961</b>		<b>श्रव्यदृश्य और संबंधित सेवाएं</b>

670		999611	ध्वनि रिकॉर्डिंग सेवाएं
671		999612	मोशन पिक्चर, वीडियोटैप, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम तैयार करना सेवा
672		999613	पञ्च-प्रोडक्शन श्रव्यदृश्य सेवाएं
673		999614	मोशन पिक्चर, वीडियोटैप और टेलीविजन कार्यक्रम वितरण सेवाएं
674		999615	मोशन पिक्चर प्रक्षेपण सेवाएं
<b>675</b>	<b>समूह 99962</b>		<b>प्रदर्शन कला और अन्य लाइव मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुति और संवर्धन सेवाएं</b>
676		999621	प्रदर्शन कला समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं
677		999622	प्रदर्शन कला समारोह प्रोडक्शन और प्रस्तुतिकरण सेवाएं
678		999623	प्रदर्शन कला सुविधा प्रचालन सेवाएं
679		999629	अन्य प्रदर्शन कला और लाइव मनोरंजन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>680</b>	<b>समूह 99963</b>		<b>प्रदर्शन और अन्य कलाकारों की सेवाएं</b>
681		999631	प्रदर्शन कलाकारों, जिसके अंतर्गत अभिनेता, पाठक, संगीतकार, गायक, नर्तक, टीवी व्यक्तित्व, स्वतंत्र मॉडल आदि हैं, की सेवाएं
682		999632	लेखकों, कम्पोजरों, वास्तुकारों और अन्य कलाकार, जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाकार नहीं है, की सेवाएं
683		999633	लेखकों, कम्पोजरों और अन्य कलाकारों, जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाकार, चित्रकार और वास्तुकार नहीं है, की मूल रचनाएं
<b>684</b>	<b>समूह 99964</b>		<b>संग्रहालय और परिरक्षण सेवाएं</b>
685		999641	संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों और भवनों की परिरक्षण सेवाएं
686		999642	वानस्पतिक, प्राणी विज्ञान और प्रकृति संरक्षण सेवाएं
<b>687</b>	<b>समूह 99965</b>		<b>खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं</b>
688		999651	खेल और मनोरंजन खेल समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं
689		999652	खेल और मनोरंजन खेल सुविधा प्रचालन सेवाएं
690		999659	अन्य खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>691</b>	<b>समूह 99966</b>		<b>एथलीटों की सेवाएं और संबंधित सहायता सेवाएं</b>
692		999661	एथलीटों की सेवाएं
693		999662	खेल और मनोरंजन से संबंधित सहायता सेवाएं
<b>694</b>	<b>समूह 99969</b>		<b>अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं</b>
695		999691	मनोरंजन पार्क और वैसी ही आकर्षण सेवाएं
696		999692	जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं, जिसके अंतर्गत वैसी ही ऑनलाइन सेवाएं हैं
697		999693	सिक्का-प्रचालित मनोरंजन मशीन सेवाएं
698		999694	लॉटरी सेवाएं
699		999699	अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>700</b>	<b>शीर्ष 9997</b>		<b>अन्य सेवाएं</b>
<b>701</b>	<b>समूह 99971</b>		<b>धुलाई, सफाई और शुष्कन सेवाएं</b>
702		999711	सिक्का प्रचालित लांड्री सेवाएं
703		999712	ड्राईक्लीनिंग सेवाएं, जिसके अंतर्गत फर उत्पाद स्वच्छता सेवाएं हैं
704		999713	अन्य कपड़ा स्वच्छता सेवाएं
705		999714	प्रेसिंग सेवाएं

706		999715	डाइंग और रंजक सेवाएं
707		999719	अन्य धुलाई, सफाई और डाइंग सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>708</b>	<b>समूह 99972</b>		<b>सौंदर्य और शारीरिक कल्याण सेवाएं</b>
709		999721	हज्जाम और बारबर सेवाएं
710		999722	सौंदर्य उपचार (सौंदर्य/ प्लास्टिक सर्जरी सहित), मैनीक्योरिंग और पेंडिक्योरिंग सेवाएं
711		999723	स्वास्थ्य क्लब और फिटनेस सेंटर सहित शारीरिक कल्याण सेवाएं
712		999729	अन्य सौंदर्य उपचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>713</b>	<b>समूह 99973</b>		<b>दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, करने की सेवाएं</b>
714		999731	कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार सेवाएं
715		999732	उपक्रम सेवाएं
<b>716</b>	<b>समूह 99979</b>		<b>अन्य विविध सेवाएं</b>
717		999791	किसी भी घटना के वाणिज्यिक उपयोग या दोहन से संबंधित सेवाएं
718		999792	कोई कार्य करने के लिए सहमत
719		999793	कोई कार्य न करने के लिए सहमत
720		999794	किसी कार्य को सहन करने के लिए सहमत
721		999795	व्यक्तियों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों / अनुष्ठानों का संचालन
722		999799	अन्य सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
<b>723</b>	<b>शीर्ष 9998</b>		<b>घरेलू सेवाएं</b>
<b>724</b>	<b>समूह 99980</b>		<b>घरेलू सेवाएं</b>
725		999800	घरेलू सेवाएं दोनों अंशकालिक और पूर्णकालिक
<b>726</b>	<b>शीर्ष 9999</b>		<b>बाह्य संगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं</b>
<b>727</b>	<b>समूह 99990</b>		<b>बाह्य संगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं</b>
728		999900	बाह्य संगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 11/2017-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 690(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the central tax, on the intra-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below, falling under Chapter, Section or Heading of scheme of classification of services as specified in column (2), shall be levied at the rate as specified in the corresponding entry in column (4), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table:-

**TABLE**

Sl No.	Chapter, Section or Heading	Description of Service	Rate (per cent.)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Chapter 99</b>	<b>All Services</b>		
2	<b>Section 5</b>	<b>Construction Services</b>		
3	<b>Heading 9954</b> (Construction services)	(i) Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or	9	-

		partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. (Provisions of paragraph 2 of this notification shall apply for valuation of this service)		
		(ii) composite supply of works contract as defined in clause 119 of section 2 of Central Goods and Services Tax Act, 2017.	9	-
		(iii) construction services other than (i) and (ii) above.	9	-
4	<b>Section 6</b>	<b>Distributive Trade Services; Accommodation, Food and Beverage Service; Transport Services; Gas and Electricity Distribution Services</b>		
5	<b>Heading 9961</b>	Services in wholesale trade. <i>Explanation</i> -This service does not include sale or purchase of goods but includes: – Services of commission agents, commodity brokers, and auctioneers and all other traders who negotiate whole sale commercial transactions between buyers and sellers, for a fee or commission’ – Services of electronic whole sale agents and brokers, – Services of whole sale auctioning houses.	9	-
6	<b>Heading 9962</b>	Services in retail trade. <i>Explanation</i> - This service does not include sale or purchase of goods	9	-
7	<b>Heading 9963</b> (Accommodation, food and beverage services)	(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, neither having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year nor having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.  (ii) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of one thousand rupees and above but less than two thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation</i> .- “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent	6	-
			6	-

	for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
	(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	9	-
	(iv) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year.	9	-
	(v) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever in outdoor catering wherein goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), as a part of such outdoor catering and such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.	9	-
	(vi) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of two thousand five hundred rupees and above but less than seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	9	-
	(vii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, including but not limited to food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, in a premises (including	9	-

		hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) together with renting of such premises.		
		(viii) Accommodation in hotels including five star hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of seven thousand and five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. <i>Explanation.</i> —“declared tariff ” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	14	-
		(ix) Accommodation, food and beverage services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	9	-
8	<b>Heading 9964</b> (Passenger transport services)	(i) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by rail in first class or air conditioned coach.	2.5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods used in supplying the service is not utilised for paying central tax or integrated tax on the supply of the service
		(ii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings by- (a) air conditioned contract carriage other than motorcab; (b) air conditioned stage carriage; (c) radio taxi. <i>Explanation.</i> - (a) “contract carriage” has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); (b) “stage carriage” has the meaning assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) ; (c) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS).	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iii) Transport of passengers, with or	2.5	Provided

		without accompanied belongings, by air in economy class.		that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iv) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating in a Regional Connectivity Scheme Airport, as notified by the Ministry of Civil Aviation.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(v) Transport of passengers by air, with or without accompanied belongings, in other than economy class.	6	-
		(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(vii) Passenger transport services other than (i), (ii) (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-
9	<b>Heading 9965</b> (Goods transport services)	(i) Transport of goods by rail (other than services specified at item no. (iv)).	2.5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods in supplying the service is not utilised for paying central tax or integrated tax on the supply of the service

		(ii) Transport of goods in a vessel.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.</i> - “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	6	-
		(v) Goods transport services other than (i), (ii), (iii) and (iv) above.	9	-
10	<b>Heading 9966</b> (Rental services of transport vehicles)	(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) above.	9	-
11	<b>Heading 9967</b> (Supporting services in transport)	(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use).	2.5	Provided that credit of input tax charged on



		<i>Explanation.</i> - “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.		goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Supporting services in transport other than (i) above.	9	-
12	<b>Heading 9968</b>	Postal and courier services.	9	-
13	<b>Heading 9969</b>	Electricity, gas, water and other distribution services.	9	-
14	<b>Section 7</b>	<b>Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services.</b>		
15	<b>Heading 9971</b> (Financial and related services)	(i) Services provided by a foreman of a chit fund in relation to chit. <i>Explanation.</i> - (a) "chit" means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, kuri, or by whatever name by or under which a person enters into an agreement with a specified number of persons that every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead) by way of periodical instalments over a definite period and that each subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to a prize amount; (b) “foreman of a chit fund” shall have the same meaning as is assigned to the expression “foreman” in clause (j) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982).	6	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of central tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iii) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of central tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iv) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.</i> - (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations;	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please

		(b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) “scheduled air cargo service” means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, not open to use by passengers.		refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(v) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), and (iv) above.	9	-
16	<b>Heading 9972</b>	Real estate services.	9	-
17	<b>Heading 9973</b> (Leasing or rental services, with or without operator)	(i) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software.	6	-
		(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of Information Technology software. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (v)]	9	-
		(iii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of central tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iv) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of central tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(v) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) “scheduled air cargo service” means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]

		time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, not open to use by passengers.		
		(vi) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
18	<b>Section 8</b>	<b>Business and Production Services</b>		
19	<b>Heading 9981</b>	Research and development services.	9	-
20	<b>Heading 9982</b>	Legal and accounting services.	9	-
21	<b>Heading 9983</b> (Other professional, technical and business services)	(i) Selling of space for advertisement in print media.	2.5	-
		(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above.	9	-
22	<b>Heading 9984</b>	Telecommunications, broadcasting and information supply services.	9	-
23	<b>Heading 9985</b> (Support services)	(i) Supply of tour operators services. <i>Explanation.-</i> "tour operator" means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours.	2.5	1. Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] 2. The bill issued for supply of this service indicates that it is inclusive of charges of accommodation and transportation required for such a tour and the amount charged in the bill is the gross amount charged for such a tour including the charges of accommodation and transportation required for such a tour.

		(ii) Support services other than (i) above	9	-
24	<b>Heading 9986</b>	<p>(i) Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry.</p> <p><i>Explanation.</i> – “Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry” mean -</p> <p>(i) Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of—</p> <p>(a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;</p> <p>(b) supply of farm labour;</p> <p>(c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;</p> <p>(d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;</p> <p>(e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;</p> <p>(f) agricultural extension services;</p> <p>(g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.</p> <p>(ii) Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables.</p> <p>(iii) Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce.</p>	Nil	-
		(ii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution.	9	-
25	<b>Heading 9987</b>	Maintenance, repair and installation (except construction) services.	9	-
26	<b>Heading 9988</b> (Manufacturing services on	(i) Services by way of job work in relation to-	2.5	-

	physical inputs (goods) owned by others)	<p>(a) Printing of newspapers;</p> <p>(b) Textile yarns (other than of man-made fibres) and textile fabrics;</p> <p>(c) Cut and polished diamonds; precious and semi-precious stones; or plain and studded jewellery of gold and other precious metals, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);</p> <p>(d) Printing of books (including Braille books), journals and periodicals;</p> <p>(e) Processing of hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975).</p> <p><i>Explanation.-</i> “man made fibres” means staple fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing processes either,-</p> <p>(a) by polymerisation of organic monomers to produce polymers such as polyamides, polyesters, polyolefins or polyurethanes, or by chemical modification of polymers produced by this process [for example, poly(vinyl alcohol) prepared by the hydrolysis of poly(vinyl acetate)]; or</p> <p>(b) by dissolution or chemical treatment of natural organic polymers (for example, cellulose) to produce polymers such as cuprammonium rayon (cupro) or viscose rayon, or by chemical modification of natural organic polymers (for example, cellulose, casein and other proteins, or alginic acid), to produce polymers such as cellulose acetate or alginates.</p>		
		(ii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) above.	9	-
27	<b>Heading 9989</b>	Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services.	9	-
28	<b>Section 9</b>	<b>Community, Social and Personal Services and other miscellaneous services</b>		
29	<b>Heading 9991</b>	Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services.	9	-
30	<b>Heading 9992</b>	Education services.	9	-
31	<b>Heading 9993</b>	Human health and social care services.	9	-
32	<b>Heading 9994</b>	Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services.	9	-
33	<b>Heading 9995</b>	Services of membership organisations.	9	-
	<b>Heading 9996</b>	(i) Services by way of admission or	9	-

34	(Recreational, cultural and sporting services)	access to circus, Indian classical dance including folk dance, theatrical performance, drama.		
		(ii) Services by way of admission exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is one hundred rupees or less.	9	-
		(iii) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting, casinos, race-course, ballet, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	-
		(iv) Services provided by a race club by way of totalisator or a license to bookmaker in such club.	14	-
		(v) Gambling.	14	-
		(vi) Recreational, cultural and sporting services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-
35	<b>Heading 9997</b>	Other services (washing, cleaning and dyeing services; beauty and physical well-being services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).	9	-
36	<b>Heading 9998</b>	Domestic services.	9	-
37	<b>Heading 9999</b>	Services provided by extraterritorial organisations and bodies.	9	-

2. In case of supply of service specified in column (3) of the entry at item (i) against serial no. 3 of the Table above, involving transfer of property in land or undivided share of land, as the case may be, the value of supply of service and goods portion in such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

*Explanation .-* For the purposes of paragraph 2, “total amount” means the sum total of,-

- (a) consideration charged for aforesaid service; and
- (b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be.

3. Value of supply of lottery shall be 100/112 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery run by State Government and 100/128 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery authorised by State Government.

4. *Explanation.-* For the purposes of this notification,-

- (i) Goods includes capital goods.
- (ii) Reference to “Chapter”, “Section” or “Heading”, wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as “Chapter”, “Section” and “Heading” in the annexed scheme of classification of services (Annexure).
- (iii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of heading 9988.
- (iv) Wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken, it shall mean that,-
  - (a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such service has not been taken; and
  - (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such service and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such service is an exempt supply and attracts

provisions of sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder.

(v) "information technology software" means any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code, recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of a computer or an automatic data processing machine or any other device or equipment.

(vi) "agricultural extension" means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training.

(vii) "agricultural produce" means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market.

(viii) "Agricultural Produce Marketing Committee or Board" means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce.

5. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Annexure: Scheme of Classification of Services**

S. No.	Chapter, Section, Heading or Group	Service Code (Tariff)	Service Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Chapter 99</b>		<b>All Services</b>
2	<b>Section 5</b>		<b>Construction Services</b>
3	<b>Heading 9954</b>		<b>Construction services</b>
4	<b>Group 99541</b>		<b>Construction services of buildings</b>
5		995411	Construction services of single dwelling or multi dwelling or multi-storied residential buildings
6		995412	Construction services of other residential buildings such as old age homes, homeless shelters, hostels and the like
7		995413	Construction services of industrial buildings such as buildings used for production activities (used for assembly line activities), workshops, storage buildings and other similar industrial buildings
8		995414	Construction services of commercial buildings such as office buildings, exhibition and marriage halls, malls, hotels, restaurants, airports, rail or road terminals, parking garages, petrol and service stations, theatres and other similar buildings
9		995415	Construction services of other non-residential buildings such as educational institutions, hospitals, clinics including veterinary clinics, religious establishments, courts, prisons, museums and other similar buildings
10		995416	Construction services of other buildings nowhere else classified
11		995419	Services involving repair, alterations, additions, replacements, renovation, maintenance or remodeling of the buildings covered above
12	<b>Group 99542</b>		<b>General construction services of civil engineering works</b>
13		995421	General construction services of highways, streets, roads, railways and airfield runways, bridges and tunnels
14		995422	General construction services of harbours, waterways, dams, water mains and lines, irrigation and other waterworks
15		995423	General construction services of long-distance underground/ overland/ submarine pipelines, communication and electric power lines (cables); pumping stations and related works; transformer stations and related works
16		995424	General construction services of local water and sewage pipelines, electricity and communication cables and related works
17		995425	General construction services of mines and industrial plants
18		995426	General Construction services of Power Plants and its related infrastructure
19		995427	General construction services of outdoor sport and recreation facilities

20		995428	General construction services of other civil engineering works nowhere else classified
21		995429	Services involving repair, alterations, additions, replacements, renovation, maintenance or remodeling of the constructions covered above
22	<b>Group 99543</b>		<b>Site preparation services</b>
23		995431	Demolition services
24		995432	Site formation and clearance services including preparation services to make sites ready for subsequent construction work, test drilling and boring and core extraction, digging of trenches
25		995433	Excavating and earthmoving services
26		995434	Water well drilling services and septic system installation services
27		995435	Other site preparation services nowhere else classified
28		995439	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
29	<b>Group 99544</b>		<b>Assembly and erection of prefabricated constructions</b>
30		995441	Installation, assembly and erection services of prefabricated buildings
31		995442	Installation, assembly and erection services of other prefabricated structures and constructions
32		995443	Installation services of all types of street furniture (such as bus shelters, benches, telephone booths, public toilets, and the like)
33		995444	Other assembly and erection services nowhere else classified
34		995449	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
35	<b>Group 99545</b>		<b>Special trade construction services</b>
36		995451	Pile driving and foundation services
37		995452	Building framing and roof framing services
38		995453	Roofing and waterproofing services
39		995454	Concrete services
40		995455	Structural steel erection services
41		995456	Masonry services
42		995457	Scaffolding services
43		995458	Other special trade construction services nowhere else classified
44		995459	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
45	<b>Group 99546</b>		<b>Installation services</b>
46		995461	Electrical installation services including Electrical wiring and fitting services, fire alarm installation services, burglar alarm system installation services
47		995462	Water plumbing and drain laying services
48		995463	Heating, ventilation and air conditioning equipment installation services
49		995464	Gas fitting installation services
50		995465	Insulation services
51		995466	Lift and escalator installation services
52		995468	Other installation services nowhere else classified
53		995469	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the installations covered above
54	<b>Group 99547</b>		<b>Building completion and finishing services</b>
55		995471	Glazing services
56		995472	Plastering services
57		995473	Painting services
58		995474	Floor and wall tiling services
59		995475	Other floor laying, wall covering and wall papering services
60		995476	Joinery and carpentry services
61		995477	Fencing and railing services
62		995478	Other building completion and finishing services nowhere else classified
63		995479	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the completion/finishing works covered above
64	<b>Section 6</b>		<b>Distributive Trade Services ; Accommodation, Food and Beverage Service; Transport Services; Gas and Electricity Distribution Services</b>
65	<b>Heading 9961</b>		<b>Services in wholesale trade</b>
66	<b>Group 99611</b>		



67		996111	Services provided for a fee or commission or on contract basis on wholesale trade
68	<b>Heading 9962</b>		<b>Services in retail trade</b>
69	<b>Group 99621</b>		
70		996211	Services provided for a fee or commission or on contract basis on retail trade
71	<b>Heading 9963</b>		<b>Accommodation, food and beverage services</b>
72	<b>Group 99631</b>		<b>Accommodation services</b>
73		996311	Room or unit accommodation services provided by Hotels, Inn, Guest House, Club and the like
74		996312	Camp site services
75		996313	Recreational and vacation camp services
76	<b>Group 99632</b>		<b>Other accommodation services</b>
77		996321	Room or unit accommodation services for students in student residences
78		996322	Room or unit accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest and the like
79		996329	Other room or unit accommodation services nowhere else classified
80	<b>Group 99633</b>		<b>Food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages serving services</b>
81		996331	Services provided by restaurants, cafes and similar eating facilities including takeaway services, room services and door delivery of food
82		996332	Services provided by Hotels, Inn, Guest House, Club and the like including room services, takeaway services and door delivery of food
83		996333	Services provided in canteen and other similar establishments
84		996334	Catering Services in exhibition halls, events, marriage halls and other outdoor/indoor functions
85		996335	Catering services in trains, flights and the like
86		996336	Preparation or supply services of food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages to airlines and other transportation operators
87		996337	Other contract food services
88		996339	Other food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages serving services nowhere else classified
89	<b>Heading 9964</b>		<b>Passenger transport services</b>
90	<b>Group 99641</b>		<b>Local transport and sightseeing transportation services of passengers</b>
91		996411	Local land transport services of passengers by railways, metro, monorail, bus, tramway, autos, three wheelers, scooters and other motor vehicles
92		996412	Taxi services including radio taxi and other similar services
93		996413	Non-scheduled local bus and coach charter services
94		996414	Other land transportation services of passengers
95		996415	Local water transport services of passengers by ferries, cruises and the like
96		996416	Sightseeing transportation services by rail, land, water and air
97		996419	Other local transportation services of passengers nowhere else classified
98	<b>Group 99642</b>		<b>Long-distance transport services of passengers</b>
99		996421	Long-distance transport services of passengers through rail network by railways, metro and the like
100		996422	Long-distance transport services of passengers through road by bus, car, non-scheduled long distance bus and coach services, stage carriage and the like
101		996423	Taxi services including radio taxi and other similar services
102		996424	Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of passengers by Ferries, Cruise Ships and the like
103		996425	Domestic/ international scheduled air transport services of passengers
104		996426	Domestic/ international non-scheduled air transport services of passengers
105		996427	Space transport services of passengers
106		996429	Other long-distance transportation services of passengers nowhere else classified
107	<b>Heading 9965</b>		<b>Goods Transport Services</b>
108	<b>Group 99651</b>		<b>Land transport services of Goods</b>
109		996511	Road transport services of Goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, containers and the like by refrigerator vehicles, trucks, trailers, man or animal drawn vehicles or any other vehicles
110		996512	Railway transport services of Goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, intermodal containers, bulk cargo and the like

111		996513	Transport services of petroleum and natural gas, water, sewerage and other goods via pipeline
112		996519	Other land transport services of goods nowhere else classified
113	<b>Group 99652</b>		<b>Water transport services of goods</b>
114		996521	Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of goods by refrigerator vessels, tankers, bulk cargo vessels, container ships and the like
115		996522	Inland water transport services of goods by refrigerator vessels, tankers and other vessels
116	<b>Group 99653</b>		<b>Air and space transport services of goods</b>
117		996531	Air transport services of letters and parcels and other goods
118		996532	Space transport services of freight
119	<b>Heading 9966</b>		<b>Rental services of transport vehicles with or without operators</b>
120	<b>Group 99660</b>		<b>Rental services of transport vehicles with or without operators</b>
121		996601	Rental services of road vehicles including buses, coaches, cars, trucks and other motor vehicles, with or without operator
122		996602	Rental services of water vessels including passenger vessels, freight vessels and the like with or without operator
123		996603	Rental services of aircraft including passenger aircrafts, freight aircrafts and the like with or without operator
124		996609	Rental services of other transport vehicles nowhere else classified with or without operator
125	<b>Heading 9967</b>		<b>Supporting services in transport</b>
126	<b>Group 99671</b>		<b>Cargo handling services</b>
127		996711	Container handling services
128		996712	Customs house agent services
129		996713	Clearing and forwarding services
130		996719	Other cargo and baggage handling services
131	<b>Group 99672</b>		<b>Storage and warehousing services</b>
132		996721	Refrigerated storage services
133		996722	Bulk liquid or gas storage services
134		996729	Other storage and warehousing services
135	<b>Group 99673</b>		<b>Supporting services for railway transport</b>
136		996731	Railway pushing or towing services
137		996739	Other supporting services for railway transport nowhere else classified
138	<b>Group 99674</b>		<b>Supporting services for road transport</b>
139		996741	Bus station services
140		996742	Operation services of national highways, state highways, expressways, roads and streets; bridges and tunnel operation services
141		996743	Parking lot services
142		996744	Towing services for commercial and private vehicles
143		996749	Other supporting services for road transport nowhere else classified
144	<b>Group 99675</b>		<b>Supporting services for water transport (coastal, transoceanic and inland waterways)</b>
145		996751	Port and waterway operation services (excluding cargo handling) such as operation services of ports, docks, light houses, light ships and the like
146		996752	Pilotage and berthing services
147		996753	Vessel salvage and refloating services
148		996759	Other supporting services for water transport nowhere else classified
149	<b>Group 99676</b>		<b>Supporting services for air or space transport</b>
150		996761	Airport operation services (excluding cargo handling)
151		996762	Air traffic control services
152		996763	Other supporting services for air transport
153		996764	Supporting services for space transport
154	<b>Group 99679</b>		<b>Other supporting transport services</b>
155		996791	Goods transport agency services for road transport
156		996792	Goods transport agency services for other modes of transport
157		996793	Other goods transport services
158		996799	Other supporting transport services nowhere else classified
159	<b>Heading 9968</b>		<b>Postal and courier services</b>
160	<b>Group 99681</b>		<b>Postal and courier services</b>
161		996811	Postal services including post office counter services, mail box rental services

162		996812	Courier services
163		996813	Local delivery services
164		996819	Other Delivery Services nowhere else classified
165	<b>Heading 9969</b>		<b>Electricity, gas, water and other distribution services</b>
166	<b>Group 99691</b>		<b>Electricity and gas distribution services</b>
167		996911	Electricity transmission services
168		996912	Electricity distribution services
169		996913	Gas distribution services
170	<b>Group 99692</b>		<b>Water distribution and other services</b>
171		996921	Water distribution services
172		996922	Services involving distribution of steam, hot water and air conditioning supply and the like
173		996929	Other similar services
174	<b>Section 7</b>		<b>Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services</b>
175	<b>Heading 9971</b>		<b>Financial and related services</b>
176	<b>Group 99711</b>		<b>Financial services (except investment banking, insurance services and pension services)</b>
177		997111	Central banking services
178		997112	Deposit services
179		997113	Credit-granting services including stand-by commitment, guarantees and securities
180		997114	Financial leasing services
181		997119	Other financial services (except investment banking, insurance services and pension services)
182	<b>Group 99712</b>		<b>Investment banking services</b>
183		997120	Investment banking services
184	<b>Group 99713</b>		<b>Insurance and pension services (excluding reinsurance services)</b>
185		997131	pension services
186		997132	Life insurance services (excluding reinsurance services)
187		997133	Accident and health insurance services
188		997134	Motor vehicle insurance services
189		997135	Marine, aviation, and other transport insurance services
190		997136	Freight insurance services and travel insurance services
191		997137	Other property insurance services
192		997139	Other non-life insurance services (excluding reinsurance services)
193	<b>Group 99714</b>		<b>Reinsurance services</b>
194		997141	Life reinsurance services
195		997142	Accident and health reinsurance services
196		997143	Motor vehicle reinsurance services
197		997144	Marine, aviation and other transport reinsurance services
198		997145	Freight reinsurance services
199		997146	Other property reinsurance services
200		997149	Other non-life reinsurance services
201	<b>Group 99715</b>		<b>Services auxiliary to financial services (other than to insurance and pensions)</b>
202		997151	Services related to investment banking such as mergers and acquisition services, corporate finance and venture capital services
203		997152	Brokerage and related securities and commodities services including commodity exchange services
204		997153	Portfolio management services except pension funds
205		997154	Trust and custody services
206		997155	Services related to the administration of financial markets
207		997156	Financial consultancy services
208		997157	Foreign exchange services
209		997158	Financial transactions processing and clearing house services
210		997159	Other services auxiliary to financial services
211	<b>Group 99716</b>		<b>Services auxiliary to insurance and pensions</b>
212		997161	<b>Services auxiliary to insurance and pensions</b>
213		997162	Insurance claims adjustment services
214		997163	Actuarial services

215		997164	Pension fund management services
216		997169	Other services auxiliary to insurance and pensions
217	<b>Group 99717</b>		<b>Services of holding financial assets</b>
218		997171	Services of holding equity of subsidiary companies
219		997172	Services of holding securities and other assets of trusts and funds and similar financial entities
220	<b>Heading 9972</b>		<b>Real estate services</b>
221	<b>Group 99721</b>		<b>Real estate services involving owned or leased property</b>
222		997211	Rental or leasing services involving own or leased residential property
223		997212	Rental or leasing services involving own or leased non-residential property
224		997213	Trade services of buildings
225		997214	Trade services of time-share properties
226		997215	Trade services of vacant and subdivided land
227	<b>Group 99722</b>		<b>Real estate services on a fee or commission basis or on contract basis</b>
228		997221	Property management services on a fee or commission basis or on contract basis
229		997222	Building sales on a fee or commission basis or on contract basis
230		997223	Land sales on a fee or commission basis or on contract basis
231		997224	Real estate appraisal services on a fee or commission basis or on contract basis
232	<b>Heading 9973</b>		<b>Leasing or rental services with or without operator</b>
233	<b>Group 99731</b>		<b>Leasing or rental services concerning machinery and equipment with or without operator</b>
234		997311	Leasing or rental services concerning transport equipments including containers, with or without operator
235		997312	Leasing or rental services concerning agricultural machinery and equipment with or without operator
236		997313	Leasing or rental services concerning construction machinery and equipment with or without operator
237		997314	Leasing or rental services concerning office machinery and equipment (except computers) with or without operator
238		997315	Leasing or rental services concerning computers with or without operators
239		997316	Leasing or rental services concerning telecommunications equipment with or without operator
240		997319	Leasing or rental services concerning other machinery and equipments with or without operator
241	<b>Group 99732</b>		<b>Leasing or rental services concerning other goods</b>
242		997321	Leasing or rental services concerning televisions, radios, video cassette recorders, projectors, audio systems and related equipment and accessories (home entertainment equipment )
243		997322	Leasing or rental services concerning video tapes and disks (home entertainment equipment )
244		997323	Leasing or rental services concerning furniture and other household appliances
245		997324	Leasing or rental services concerning pleasure and leisure equipment
246		997325	Leasing or rental services concerning household linen
247		997326	Leasing or rental services concerning textiles, clothing and footwear
248		997327	Leasing or rental services concerning do-it-yourself machinery and equipment
249		997329	Leasing or rental services concerning other goods
250	<b>Group 99733</b>		<b>Licensing services for the right to use intellectual property and similar products</b>
251		997331	Licensing services for the right to use computer software and databases
252		997332	Licensing services for the right to broadcast and show original films, sound recordings, radio and television programme and the like
253		997333	Licensing services for the right to reproduce original art works
254		997334	Licensing services for the right to reprint and copy manuscripts, books, journals and periodicals
255		997335	Licensing services for the right to use research and development products
256		997336	Licensing services for the right to use trademarks and franchises
257		997337	Licensing services for the right to use minerals including its exploration and evaluation
258		997338	Licensing services for right to use other natural resources including telecommunication spectrum

259		997339	Licensing services for the right to use other intellectual property products and other resources nowhere else classified
260	<b>Section 8</b>		<b>Business and Production Services</b>
261	<b>Heading 9981</b>		<b>Research and development services</b>
262	<b>Group 99811</b>		<b>Research and experimental development services in natural sciences and engineering</b>
263		998111	Research and experimental development services in natural sciences
264		998112	Research and experimental development services in engineering and technology
265		998113	Research and experimental development services in medical sciences and pharmacy
266		998114	Research and experimental development services in agricultural sciences
267	<b>Group 99812</b>		<b>Research and experimental development services in social sciences and humanities</b>
268		998121	Research and experimental development services in social sciences
269		998122	Research and experimental development services in humanities
270	<b>Group 99813</b>		<b>Interdisciplinary research services</b>
271		998130	Interdisciplinary research and experimental development services
272	<b>Group 99814</b>		<b>Research and development originals</b>
273		998141	Research and development originals in pharmaceuticals
274		998142	Research and development originals in agriculture
275		998143	Research and development originals in biotechnology
276		998144	Research and development originals in computer related sciences
277		998145	Research and development originals in other fields nowhere else classified
278	<b>Heading 9982</b>		<b>Legal and accounting services</b>
279	<b>Group 99821</b>		<b>Legal services</b>
280		998211	Legal advisory and representation services concerning criminal law
281		998212	Legal advisory and representation services concerning other fields of law
282		998213	Legal documentation and certification services concerning patents, copyrights and other intellectual property rights
283		998214	Legal documentation and certification services concerning other documents
284		998215	Arbitration and conciliation services
285		998216	Other legal services nowhere else classified
286	<b>Group 99822</b>		<b>Accounting, auditing and bookkeeping services</b>
287		998221	Financial auditing services
288		998222	Accounting and bookkeeping services
289		998223	Payroll services
290		998224	Other similar services nowhere else classified
291	<b>Group 99823</b>		<b>Tax consultancy and preparation services</b>
292		998231	Corporate tax consulting and preparation services
293		998232	Individual tax preparation and planning services
294	<b>Group 99824</b>		<b>Insolvency and receivership services</b>
295		998240	Insolvency and receivership services
296	<b>Heading 9983</b>		<b>Other professional, technical and business services</b>
297	<b>Group 99831</b>		<b>Management consulting and management services; information technology services</b>
298		998311	Management consulting and management services including financial, strategic, human resources, marketing, operations and supply chain management
299		998312	Business consulting services including public relations services
300		998313	Information technology consulting and support services
301		998314	Information technology design and development services
302		998315	Hosting and information technology infrastructure provisioning services
303		998316	Information technology infrastructure and network management services
304		998319	Other information technology services nowhere else classified
305	<b>Group 99832</b>		<b>Architectural services, urban and land planning and landscape architectural services</b>
306		998321	Architectural advisory services
307		998322	Architectural services for residential building projects
308		998323	Architectural services for non-residential building projects
309		998324	Historical restoration architectural services

310		998325	Urban planning services
311		998326	Rural land planning services
312		998327	Project site master planning services
313		998328	Landscape architectural services and advisory services
314	<b>Group 99833</b>		<b>Engineering services</b>
315		998331	Engineering advisory services
316		998332	Engineering services for building projects
317		998333	Engineering services for industrial and manufacturing projects
318		998334	Engineering services for transportation projects
319		998335	Engineering services for power projects
320		998336	Engineering services for telecommunications and broadcasting projects
321		998337	Engineering services for waste management projects (hazardous and non-hazardous), for water, sewerage and drainage projects
322		998338	Engineering services for other projects nowhere else classified
323		998339	Project management services for construction projects
324	<b>Group 99834</b>		<b>Scientific and other technical services</b>
325		998341	Geological and geophysical consulting services
326		998342	Subsurface surveying services
327		998343	Mineral exploration and evaluation
328		998344	Surface surveying and map-making services
329		998345	Weather forecasting and meteorological services
330		998346	Technical testing and analysis services
331		998347	Certification of ships, aircraft, dams, and the like
332		998348	Certification and authentication of works of art
333		998349	Other technical and scientific services nowhere else classified
334	<b>Group 99835</b>		<b>Veterinary services</b>
335		998351	Veterinary services for pet animals
336		998352	Veterinary services for livestock
337		998359	Other veterinary services nowhere else classified
338	<b>Group 99836</b>		<b>Advertising services and provision of advertising space or time</b>
339		998361	Advertising Services
340		998362	Purchase or sale of advertising space or time, on commission
341		998363	Sale of advertising space in print media (except on commission)
342		998364	Sale of television and radio advertising time
343		998365	Sale of internet advertising space
344		998366	Sale of other advertising space or time (except on commission)
345	<b>Group 99837</b>		<b>Market research and public opinion polling services</b>
346		998371	Market research services
347		998372	Public opinion polling services
348	<b>Group 99838</b>		<b>Photography and videography and their processing services</b>
349		998381	Portrait photography services
350		998382	Advertising and related photography services
351		998383	Event photography and event videography services
352		998384	Specialty photography services
353		998385	Restoration and retouching services of photography
354		998386	Photographic and videographic processing services
355		998387	Other photography and videography and their processing services nowhere else classified
356	<b>Group 99839</b>		<b>Other professional, technical and business services</b>
357		998391	Specialty design services including interior design, fashion design, industrial design and other specialty design services
358		998392	Design originals
359		998393	Scientific and technical consulting services
360		998394	Original compilations of facts or information
361		998395	Translation and interpretation services
362		998396	Trademarks and franchises
363		998397	Sponsorship services and brand promotion services
364		998399	Other professional, technical and business services nowhere else classified
365	<b>Heading 9984</b>		<b>Telecommunications, broadcasting and information supply services</b>
366	<b>Group 99841</b>		<b>Telephony and other telecommunications services</b>
367		998411	Carrier services

368		998412	Fixed telephony services
369		998413	Mobile telecommunications services
370		998414	Private network services
371		998415	Data transmission services
372		998419	Other telecommunications services including fax services, telex services nowhere else classified
373	<b>Group 99842</b>		<b>Internet telecommunications services</b>
374		998421	Internet backbone services
375		998422	Internet access services in wired and wireless mode
376		998423	Fax, telephony over the internet
377		998424	Audio conferencing and video conferencing over the internet
378		998429	Other internet telecommunications services nowhere else classified
379	<b>Group 99843</b>		<b>On-line content services</b>
380		998431	On-line text based information such as online books, newspapers, periodicals, directories and the like
381		998432	On-line audio content
382		998433	On-line video content
383		998434	Software downloads
384		998439	Other on-line contents nowhere else classified
385	<b>Group 99844</b>		<b>News agency services</b>
386		998441	News agency services to newspapers and periodicals
387		998442	Services of independent journalists and press photographers
388		998443	News agency services to audiovisual media
389	<b>Group 99845</b>		<b>Library and archive services</b>
390		998451	Library services
391		998452	Operation services of public archives including digital archives
392		998453	Operation services of historical archives including digital archives
393	<b>Group 99846</b>		<b>Broadcasting, programming and programme distribution services</b>
394		998461	Radio broadcast originals
395		998462	Television broadcast originals
396		998463	Radio channel programmes
397		998464	Television channel programmes
398		998465	Broadcasting services
399		998466	Home programme distribution services
400	<b>Heading 9985</b>		<b>Support services</b>
401	<b>Group 99851</b>		<b>Employment services including personnel search, referral service and labour supply service</b>
402		998511	Executive or retained personnel search services
403		998512	Permanent placement services, other than executive search services
404		998513	Contract staffing services
405		998514	Temporary staffing services
406		998515	Long-term staffing (pay rolling) services
407		998516	Temporary staffing-to-permanent placement services
408		998517	Co-employment staffing services
409		998519	Other employment and labour supply services nowhere else classified
410	<b>Group 99852</b>		<b>Investigation and security services</b>
411		998521	Investigation services
412		998522	Security consulting services
413		998523	Security systems services
414		998524	Armoured car services
415		998525	Guard services
416		998526	Training of guard dogs
417		998527	Polygraph services
418		998528	Fingerprinting services
419		998529	Other security services nowhere else classified
420	<b>Group 99853</b>		<b>Cleaning services</b>
421		998531	Disinfecting and exterminating services
422		998532	Window cleaning services
423		998533	General cleaning services
424		998534	Specialised cleaning services for reservoirs and tanks
425		998535	Sterilisation of objects or premises (operating rooms)

426		998536	Furnace and chimney cleaning services
427		998537	Exterior cleaning of buildings of all types
428		998538	Cleaning of transportation equipment
429		998539	Other cleaning services nowhere else classified
430	<b>Group 99854</b>		<b>Packaging services</b>
431		998540	Packaging services of goods for others
432		998541	Parcel packing and gift wrapping
433		998542	Coin and currency packing services
434		998549	Other packaging services nowhere else classified
435	<b>Group 99855</b>		<b>Travel arrangement, tour operator and related services</b>
436		998551	Reservation services for transportation
437		998552	Reservation services for accommodation, cruises and package tours
438		998553	Reservation services for convention centres, congress centres and exhibition halls
439		998554	Reservation services for event tickets, cinema halls, entertainment and recreational services and other reservation services
440		998555	Tour operator services
441		998556	Tourist guide services
442		998557	Tourism promotion and visitor information services
443		998559	Other travel arrangement and related services nowhere else classified
444	<b>Group 99859</b>		<b>Other support services</b>
445		998591	Credit reporting and rating services
446		998592	Collection agency services
447		998593	Telephone-based support services
448		998594	Combined office administrative services
449		998595	Specialised office support services such as duplicating services, mailing services, document preparation and the like
450		998596	Events, exhibitions, conventions and trade shows organisation and assistance services
451		998597	Landscape care and maintenance services
452		998598	Other information services nowhere else classified
453		998599	Other support services nowhere else classified
454	<b>Heading 9986</b>		<b>Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities</b>
455	<b>Group 99861</b>		<b>Support services to agriculture, hunting, forestry and fishing</b>
456		998611	Support services to crop production
457		998612	Animal husbandry services
458		998613	Support services to hunting
459		998614	Support services to forestry and logging
460		998615	Support services to fishing
461		998619	Other support services to agriculture, hunting, forestry and fishing
462	<b>Group 99862</b>		<b>Support services to mining</b>
463		998621	Support services to oil and gas extraction
464		998622	Support services to other mining nowhere else classified
465	<b>Group 99863</b>		<b>Support services to electricity, gas and water distribution</b>
466		998631	Support services to electricity transmission and distribution
467		998632	Support services to gas distribution
468		998633	Support services to water distribution
469		998634	Support services to distribution services of steam, hot water and air-conditioning supply
470	<b>Heading 9987</b>		<b>Maintenance, repair and installation (except construction) services</b>
471	<b>Group 99871</b>		<b>Maintenance and repair services of fabricated metal products, machinery and equipment</b>
472		998711	Maintenance and repair services of fabricated metal products, except machinery and equipment
473		998712	Maintenance and repair services of office and accounting machinery
474		998713	Maintenance and repair services of computers and peripheral equipment
475		998714	Maintenance and repair services of transport machinery and equipment
476		998715	Maintenance and repair services of electrical household appliances
477		998716	Maintenance and repair services of telecommunication equipments and apparatus



478		998717	Maintenance and repair services of commercial and industrial machinery
479		998718	Maintenance and repair services of elevators and escalators
480		998719	Maintenance and repair services of other machinery and equipments
481	<b>Group 99872</b>		<b>Repair services of other goods</b>
482		998721	Repair services of footwear and leather goods
483		998722	Repair services of watches, clocks and jewellery
484		998723	Repair services of garments and household textiles
485		998724	Repair services of furniture
486		998725	Repair services of bicycles
487		998726	Maintenance and repair services of musical instruments
488		998727	Repair services for photographic equipment and cameras
489		998729	Maintenance and repair services of other goods nowhere else classified
490	<b>Group 99873</b>		<b>Installation services (other than construction)</b>
491		998731	Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment
492		998732	Installation services of industrial, manufacturing and service industry machinery and equipment
493		998733	Installation services of office and accounting machinery and computers
494		998734	Installation services of radio, television and communications equipment and apparatus
495		998735	Installation services of professional medical machinery and equipment, and precision and optical instruments
496		998736	Installation services of electrical machinery and apparatus nowhere else classified
497		998739	Installation services of other goods nowhere else classified
498	<b>Heading 9988</b>		<b>Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others</b>
499	<b>Group 99881</b>		<b>Food, beverage and tobacco manufacturing services</b>
500		998811	Meat processing services
501		998812	Fish processing services
502		998813	Fruit and vegetables processing services
503		998814	Vegetable and animal oil and fat manufacturing services
504		998815	Dairy product manufacturing services
505		998816	Other food product manufacturing services
506		998817	Prepared animal feeds manufacturing services
507		998818	Beverage manufacturing services
508		998819	Tobacco manufacturing services nowhere else classified
509	<b>Group 99882</b>		<b>Textile, wearing apparel and leather manufacturing services</b>
510		998821	Textile manufacturing services
511		998822	Wearing apparel manufacturing services
512		998823	Leather and leather product manufacturing services
513	<b>Group 99883</b>		<b>Wood and paper manufacturing services</b>
514		998831	Wood and wood product manufacturing services
515		998832	Paper and paper product manufacturing services
516	<b>Group 99884</b>		<b>Petroleum, chemical and pharmaceutical product manufacturing services</b>
517		998841	Coke and refined petroleum product manufacturing services
518		998842	Chemical product manufacturing services
519		998843	Pharmaceutical product manufacturing services
520	<b>Group 99885</b>		<b>Rubber, plastic and other non-metallic mineral product manufacturing service</b>
521		998851	Rubber and plastic product manufacturing services
522		998852	Plastic product manufacturing services
523		998853	Other non-metallic mineral product manufacturing services
524	<b>Group 99886</b>		<b>Basic metal manufacturing services</b>
525		998860	Basic metal manufacturing services
526	<b>Group 99887</b>		<b>Fabricated metal product, machinery and equipment manufacturing services</b>
527		998871	Structural metal product, tank, reservoir and steam generator manufacturing services
528		998872	Weapon and ammunition manufacturing services
529		998873	Other fabricated metal product manufacturing and metal treatment services
530		998874	Computer, electronic and optical product manufacturing services

531		998875	Electrical equipment manufacturing services
532		998876	General-purpose machinery manufacturing services nowhere else classified
533		998877	Special-purpose machinery manufacturing services
534	<b>Group 99888</b>		<b>Transport equipment manufacturing services</b>
535		998881	Motor vehicle and trailer manufacturing services
536		998882	Other transport equipment manufacturing services
537	<b>Group 99889</b>		<b>Other manufacturing services</b>
538		998891	Furniture manufacturing services
539		998892	Jewellery manufacturing services
540		998893	Imitation jewellery manufacturing services
541		998894	Musical instrument manufacturing services
542		998895	Sports goods manufacturing services
543		998896	Game and toy manufacturing services
544		998897	Medical and dental instrument and supply manufacturing services
545		998898	Other manufacturing services nowhere else classified
546	<b>Heading 9989</b>		<b>Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services</b>
547	<b>Group 99891</b>		<b>Publishing, printing and reproduction services</b>
548		998911	Publishing, on a fee or contract basis
549		998912	Printing and reproduction services of recorded media, on a fee or contract basis
550	<b>Group 99892</b>		<b>Moulding, pressing, stamping, extruding and similar plastic manufacturing services</b>
551		998920	Moulding, pressing, stamping, extruding and similar plastic manufacturing services
552	<b>Group 99893</b>		<b>Casting, forging, stamping and similar metal manufacturing services</b>
553		998931	Iron and steel casting services
554		998932	Non-ferrous metal casting services
555		998933	Metal forging, pressing, stamping, roll forming and powder metallurgy services
556	<b>Group 99894</b>		<b>Materials recovery (recycling) services, on a fee or contract basis</b>
557		998941	Metal waste and scrap recovery (recycling) services, on a fee or contract basis
558		998942	Non-metal waste and scrap recovery (recycling) services, on a fee or contract basis
559	<b>Section 9</b>		<b>Community, social and personal services and other miscellaneous services</b>
560	<b>Heading 9991</b>		<b>Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services</b>
561	<b>Group 99911</b>		<b>Administrative services of the Government</b>
562		999111	Overall Government public services
563		999112	Public administrative services related to the provision of educational, health care, cultural and other social services, excluding social security service
564		999113	Public administrative services related to the more efficient operation of business
565		999119	Other administrative services of the government nowhere else classified
566	<b>Group 99912</b>		<b>Public administrative services provided to the community as a whole</b>
567		999121	Public administrative services related to External Affairs, Diplomatic and Consular services abroad
568		999122	Services related to foreign economic aid
569		999123	Services related to foreign military aid
570		999124	Military defence services
571		999125	Civil defence services
572		999126	Police and fire protection services
573		999127	Public administrative services related to law courts
574		999128	Administrative services related to the detention or rehabilitation of criminals
575		999129	Public administrative services related to other public order and safety affairs nowhere else classified
576	<b>Group 99913</b>		<b>Administrative services related to compulsory social security schemes</b>
577		999131	Administrative services related to sickness, maternity or temporary disablement benefit schemes

578		999132	Administrative services related to government employee pension schemes; old-age disability or survivors' benefit schemes, other than for government employees
579		999133	Administrative services related to unemployment compensation benefit schemes
580		999134	Administrative services related to family and child allowance programmes
581	<b>Heading 9992</b>		<b>Education services</b>
582	<b>Group 99921</b>		<b>Pre-primary education services</b>
583		999210	Pre-primary education services
584	<b>Group 99922</b>		<b>Primary education services</b>
585		999220	Primary education services
586	<b>Group 99923</b>		<b>Secondary Education Services</b>
587		999231	Secondary education services, general
588		999232	Secondary education services, technical and vocational
589	<b>Group 99924</b>		<b>Higher education services</b>
590		999241	Higher education services, general
591		999242	Higher education services, technical
592		999243	Higher education services, vocational
593		999249	Other higher education services
594	<b>Group 99925</b>		<b>Specialised education services</b>
595		999259	Specialised education services
596	<b>Group 99929</b>		<b>Other education and training services and educational support services</b>
597		999291	Cultural education services
598		999292	Sports and recreation education services
599		999293	Commercial training and coaching services
600		999294	Other education and training services nowhere else classified
601		999295	services involving conduct of examination for admission to educational institutions
602		999299	Other educational support services
603	<b>Heading 9993</b>		<b>Human health and social care services</b>
604	<b>Group 99931</b>		<b>Human health services</b>
605		999311	Inpatient services
606		999312	Medical and dental services
607		999313	Childbirth and related services
608		999314	Nursing and physiotherapeutic services
609		999315	Ambulance services
610		999316	Medical laboratory and diagnostic-imaging services
611		999317	Blood, sperm and organ bank services
612		999319	Other human health services including homeopathy, unani, ayurveda, naturopathy, acupuncture and the like
613	<b>Group 99932</b>		<b>Residential care services for the elderly and disabled</b>
614		999321	Residential health-care services other than by hospitals
615		999322	Residential care services for the elderly and persons with disabilities
616	<b>Group 99933</b>		<b>Other social services with accommodation</b>
617		999331	Residential care services for children suffering from mental retardation, mental health illnesses or substance abuse
618		999332	Other social services with accommodation for children
619		999333	Residential care services for adults suffering from mental retardation, mental health illnesses or substance abuse
620		999334	Other social services with accommodation for adults
621	<b>Group 99934</b>		<b>Social services without accommodation for the elderly and disabled</b>
622		999341	Vocational rehabilitation services
623		999349	Other social services without accommodation for the elderly and disabled nowhere else classified
624	<b>Group 99935</b>		<b>Other social services without accommodation</b>
625		999351	Child day-care services
626		999352	Guidance and counseling services nowhere else classified related to children
627		999353	Welfare services without accommodation
628		999359	Other social services without accommodation nowhere else classified
629	<b>Heading 9994</b>		<b>Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services</b>

630	<b>Group 99941</b>		<b>Sewerage, sewage treatment and septic tank cleaning services</b>
631		999411	Sewerage and sewage treatment services
632		999412	Septic tank emptying and cleaning services
633	<b>Group 99942</b>		<b>Waste collection services</b>
634		999421	Collection services of hazardous waste
635		999422	Collection services of non-hazardous recyclable materials
636		999423	General waste collection services, residential
637		999424	General waste collection services, other nowhere else classified
638	<b>Group 99943</b>		<b>Waste treatment and disposal services</b>
639		999431	Waste preparation, consolidation and storage services
640		999432	Hazardous waste treatment and disposal services
641		999433	Non-hazardous waste treatment and disposal services
642	<b>Group 99944</b>		<b>Remediation services</b>
643		999441	Site remediation and clean-up services
644		999442	Containment, control and monitoring services and other site remediation services
645		999443	Building remediation services
646		999449	Other remediation services nowhere else classified
647	<b>Group 99945</b>		<b>Sanitation and similar services</b>
648		999451	Sweeping and snow removal services
649		999459	Other sanitation services nowhere else classified
650	<b>Group 99949</b>		<b>Others</b>
651		999490	Other environmental protection services nowhere else classified
652	<b>Heading 9995</b>		<b>Services of membership organisations</b>
653	<b>Group 99951</b>		<b>Services furnished by business, employers and professional organisations</b>
654		999511	Services furnished by business and employers organisations
655		999512	Services furnished by professional organisations
656	<b>Group 99952</b>		<b>Services furnished by trade unions</b>
657		999520	Services furnished by trade unions
658	<b>Group 99959</b>		<b>Services furnished by other membership organisations</b>
659		999591	Religious services
660		999592	Services furnished by political organisations
661		999593	Services furnished by human rights organisations
662		999594	Cultural and recreational associations
663		999595	Services furnished by environmental advocacy groups
664		999596	Services provided by youth associations
665		999597	Other civic and social organisations
666		999598	Home owners associations
667		999599	Services provided by other membership organisations nowhere else classified
668	<b>Heading 9996</b>		<b>Recreational, cultural and sporting services</b>
669	<b>Group 99961</b>		<b>Audiovisual and related services</b>
670		999611	Sound recording services
671		999612	Motion picture, videotape, television and radio programme production services
672		999613	Audiovisual post-production services
673		999614	Motion picture, videotape and television programme distribution services
674		999615	Motion picture projection services
675	<b>Group 99962</b>		<b>Performing arts and other live entertainment event presentation and promotion services</b>
676		999621	Performing arts event promotion and organisation services
677		999622	Performing arts event production and presentation services
678		999623	Performing arts facility operation services
679		999629	Other performing arts and live entertainment services nowhere else classified
680	<b>Group 99963</b>		<b>Services of performing and other artists</b>
681		999631	Services of performing artists including actors, readers, musicians, singers, dancers, television personalities, independent models and the like
682		999632	Services of authors, composers, sculptors and other artists, except performing artists
683		999633	Original works of authors, composers and other artists except performing artists, painters and sculptors

684	<b>Group 99964</b>		<b>Museum and preservation services</b>
685		999641	Museum and preservation services of historical sites and buildings
686		999642	Botanical, zoological and nature reserve services
687	<b>Group 99965</b>		<b>Sports and recreational sports services</b>
688		999651	Sports and recreational sports event promotion and organisation services
689		999652	Sports and recreational sports facility operation services
690		999659	Other sports and recreational sports services nowhere else classified
691	<b>Group 99966</b>		<b>Services of athletes and related support services</b>
692		999661	Services of athletes
693		999662	Support services related to sports and recreation
694	<b>Group 99969</b>		<b>Other amusement and recreational services</b>
695		999691	Amusement park and similar attraction services
696		999692	Gambling and betting services including similar online services
697		999693	Coin-operated amusement machine services
698		999694	Lottery services
699		999699	Other recreation and amusement services nowhere else classified
700	<b>Heading 9997</b>		<b>Other services</b>
701	<b>Group 99971</b>		<b>Washing, cleaning and dyeing services</b>
702		999711	Coin-operated laundry services
703		999712	Dry-cleaning services (including fur product cleaning services)
704		999713	Other textile cleaning services
705		999714	Pressing services
706		999715	Dyeing and colouring services
707		999719	Other washing, cleaning and dyeing services nowhere else classified
708	<b>Group 99972</b>		<b>Beauty and physical well-being services</b>
709		999721	Hairdressing and barbers services
710		999722	Cosmetic treatment (including cosmetic or plastic surgery), manicuring and pedicuring services
711		999723	Physical well-being services including health club and fitness centre
712		999729	Other beauty treatment services nowhere else classified
713	<b>Group 99973</b>		<b>Funeral, cremation and undertaking services</b>
714		999731	Cemeteries and cremation services
715		999732	Undertaking services
716	<b>Group 99979</b>		<b>Other miscellaneous services</b>
717		999791	Services involving commercial use or exploitation of any event
718		999792	Agreeing to do an act
719		999793	Agreeing to refrain from doing an act
720		999794	Agreeing to tolerate an act
721		999795	Conduct of religious ceremonies or rituals by persons
722		999799	Other services nowhere else classified
723	<b>Heading 9998</b>		<b>Domestic services</b>
724	<b>Group 99980</b>		<b>Domestic services</b>
725		999800	Domestic services both part time and full time
726	<b>Heading 9999</b>		<b>Services provided by extraterritorial organisations and bodies</b>
727	<b>Group 99990</b>		<b>Services provided by extraterritorial organisations and bodies</b>
728		999900	Services provided by extraterritorial organisations and bodies

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 691(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 9 की

उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने केन्द्रीय माल और सेवाकर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित उक्त कर की रकम से अधिक है, अर्थात्:--

**सारणी**

क्र. सं.	अध्याय, खंड, शीर्ष, समूह और सेवा कोड (टैरिफ)	सेवा का वर्णन	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अध्याय 99	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा पूर्त कार्यकलापों के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	अध्याय 99	किसी चालू समुत्थान के, पूर्ण या उसके किसी स्वतंत्र भाग के अंतरण के द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	अध्याय 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में कोई कार्यकलाप या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए कृत्यों के संबंध में कोई कार्यकलाप के माध्यम से केवल मात्र सेवा (कार्य संविदा सेवा या अन्य समिश्र पूर्तियां, जिसमें किन्हीं मालों की पूर्ति अंतर्वलित है को छोड़कर)।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या शासकीय प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी क्रियाकलाप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	शीर्ष 99	सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाएं, निम्नलिखित सेवाओं को अपवर्जित करते हुए— (i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ; (ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; या (iv) किन्हीं कारबार अस्तित्वों को उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा, जो ऊपर खंड (i) से (iii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं से भिन्न है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए) तक था। <b>स्पष्टीकरण.-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		<p>कि इस प्रविष्टि के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे-</p> <p>(क) सेवाएं,--</p> <p>(i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ;</p> <p>(ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ;</p> <p>(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; और</p> <p>(ख) स्थावर संपत्ति को किराए पर दिए जाने संबंधी सेवाएं ।</p>		
8.	शीर्ष 99	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ;</p> <p>परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित सेवाओं को लागू नहीं होगी ;</p> <p>(i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ;</p> <p>(ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ;</p> <p>(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	शीर्ष 99	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं, जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रतिफल पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>परंतु निम्नलिखित कोई बात इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट लागू नहीं होगी—</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा डाक विभाग द्वारा सेवाएं ;</p> <p>(ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की परिसीमा के अंदर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ;</p> <p>(iii) माल और यात्रियों का परिवहन :</p> <p>परंतु यह और कि जहां केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (33) में यथा परिभाषित सेवाओं के निरंतर प्रदाय की दशा में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, छूट केवल तभी लागू होगी जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार्य प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं

10.	शीर्ष 9954	किसी सिविल ढांचे या फायदाग्राही व्यष्टिक के गृह संनिर्माण या सब के लिए घर या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन केवल किसी अन्य संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, प्रतिष्ठापन, पूरा करने, फिटिंग आउट, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या फेरफार के लिए केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	शीर्ष 9954	एकल आवासीय इकाई, जो अन्यथा किसी आवासीय परिसर का भाग नहीं है, से संबंधित संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने या मूल कार्य के प्रतिष्ठापन की केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972	आवासीय गृह को निवास के रूप में उपयोग के लिए किराए पर देने संबंधी सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972 या शीर्ष 9995 या धारा 9 के अधीन कोई अन्य शीर्ष	निम्नलिखित के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा सेवाएं- (क) किसी धार्मिक समारोह का संचालन ; (ख) साधारण पब्लिक के लिए आशयित किसी धार्मिक स्थान के परिसर को भाटक पर देना, जिसका स्वामित्व या प्रबंधन आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 12कक के अधीन पूर्त या धार्मिक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ग के उपखंड (v) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या उक्त आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23खखक के अधीन आने वाली इकाई या किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है : परंतु इस छूट के (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू होगी,- (i) कक्षों को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन एक हजार रुपए या अधिक है ; (ii) परिसरों, सामुदायिक हालों, कल्याणमंडपम या खुले स्थानों आदि को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार रुपए या अधिक है ; (iii) दुकानों या कारबार या वाणिज्य के लिए अन्य स्थानों को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार रुपए या अधिक है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14.	शीर्ष 9963	किसी होटल, सराय या अतिथिगृह, क्लब या कैंप स्थल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा निवास या आवास के प्रयोजनों के लिए सेवाएं देना, जिनका आवास की किसी इकाई का घोषित टैरिफ प्रतिदिन एक हजार रुपए से कम या समतुल्य है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
15.	शीर्ष 9964	निम्नलिखित द्वारा यात्रियों का परिवहन साथ के समान सहित या रहित- (क) वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य या पश्चिमी बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा विमानपत्तन से उड़ान भरने वाले या वहां पर उतरने वाले वायुयान द्वारा ; (ख) पर्यटन, आयोजित टूर, चार्टर या भाड़े पर के सिवाय यात्रियों के किसी गैर वातानुकूलित संविदा कैरिज, जो रेडियो टैक्सी से भिन्न है, में परिवहन हेतु ; या	कुछ नहीं	कुछ नहीं



		(ग) वातानुकूलित स्टैज कैरिज से भिन्न स्टैज कैरिज ।		
16.	शीर्ष 9964	केंद्रीय सरकार को वायुयान द्वारा यात्रियों की समान सहित या उसके बिना व्यवहार्यता दूरी वित्तपोषण के रूप में प्रतिफल के लिए परिवहन सेवाएं, जो प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन से प्रारंभ हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं, उपलब्ध कराना : परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन के प्रचालनों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर या पश्चात् लागू नहीं होगी ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
17.	शीर्ष 9964	यात्रियों की निम्नलिखित के माध्यम से माल असबाब सहित या उसके बिना परिवहन सेवा— (क) निम्नलिखित से भिन्न श्रेणी में रेल द्वारा— (i) प्रथम श्रेणी ; या (ii) वातानुकूलित कोच ; (ख) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे ; (ग) आंतरिक जलमार्ग ; (घ) प्रमुखतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न किसी जलयान में भारत में अवस्थित स्थानों के बीच लोक परिवहन ; और (ङ) मीटरीकृत कैब या आटोरिक्शा (जिसके अंतर्गत ई-रिक्शा हैं) ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
18.	शीर्ष 9965	माल के परिवहन के रूप में सेवाएं— (क) निम्नलिखित सेवाओं के सिवाय सड़क मार्ग द्वारा— (i) कोई माल परिवहन अभिकरण ; (ii) कोई कुरियर अभिकरण ; (ख) अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
19.	शीर्ष 9965	भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक किसी वायुयान द्वारा मालों के परिवहन संबंधी सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20.	शीर्ष 9965	भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान को निम्नलिखित मालों की रेल या जलयान के माध्यम से परिवहन सेवाएं— (क) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशयित राहत सामग्रियां ; (ख) रक्षा या सैनिक उपस्कर ; (ग) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन ; (घ) रेल उपस्कर या सामग्रियां ; (ङ) कृषि उत्पाद ; (च) दूध, नमक और खाद्यान्न, जिसके अंतर्गत आटा, दलहन और चावल हैं ; और (छ) जैविक खाद ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21.	शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967	माल परिवहन अभिकरण द्वारा निम्नलिखित माल वाहक में परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं,- (क) कृषि उत्पाद ; (ख) माल, जहां एकल वाहक में परिवहन किए गए परेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक हजार पांच सौ	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		<p>रूप से अधिक नहीं होता है ;</p> <p>(ग) माल, जहां एकल प्रेषिती को परिवहन किए गए परेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभारित प्रतिफल सात सौ पचास रूप से अधिक नहीं होता है ;</p> <p>(घ) दूध, नमक और खाद्यान्, जिसके अंतर्गत आटा, दलहन और चावल हैं ;</p> <p>(ङ) जैविक खाद ;</p> <p>(च) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन ;</p> <p>(छ) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशयित राहत सामग्रियां ; और</p> <p>(ज) रक्षा या सैनिक उपस्कर ।</p>		
22.	शीर्ष 9966 या 9973	<p>निम्नलिखित को भाड़े पर दिए जाने संबंधी सेवाएं—</p> <p>(क) किसी राज्य परिवहन उपक्रम को कोई ऐसा मोटर यान, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; या</p> <p>(ख) किसी माल परिवहन अभिकरण को, माल के परिवहन के लिए कोई साधन ।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं
23.	शीर्ष 9967	पथकर प्रभारों के संदाय पर किसी सड़क या किसी पुल तक पहुंच प्रदान करने संबंधी सेवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985	चावल की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागार के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
25.	शीर्ष 9969	किसी विद्युत प्रेषण या वितरण उपयोगिता द्वारा विद्युत का प्रेषण या वितरण ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
26.	शीर्ष 9971	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27.	शीर्ष 9971	<p>निम्नलिखित द्वारा सेवाएं—</p> <p>(i) निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को प्रदान करना, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में अंतर्बलित ब्याज से भिन्न) ;</p> <p>(ii) बैंकों या विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यौहारियों के बीच या बैंकों और ऐसे व्यौहारियों के बीच विदेशी मुद्रा का परस्पर विक्रय या क्रय</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं
28.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (23 of 2013) के अधीन भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन वार्षिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन बीमा कारबार संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
29.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को केंद्रीय सरकार के समूह बीमा स्कीमों के अधीन सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाए गए जीवन बीमा कारबार संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
30.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन शासित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31.	शीर्ष 9971	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		का 19) के अधीन शासित व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।		
32.	शीर्ष 9971	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
33.	शीर्ष 9971	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करके तथा प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और उसका विनियमन करके उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
34.	शीर्ष 9971	अर्जक बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य संदाय कार्ड सेवा द्वारा संव्यवहार किए गए एकल संव्यवहार में दो हजार रुपए तक की किसी रकम के निपटान के संबंध में किसी व्यक्ति को सेवाएं। स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए “अर्जक बैंक” से कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जो किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करता है, को संदाय करता है।		
35.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराई गई साधारण बीमा कारबार सेवाएं— (क) हट बीमा स्कीम ; (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वः रोजगार योजना (जो पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात थी) के अधीन पशु बीमा ; (ग) जनजातियों के बीमा की स्कीम ; (घ) जनता वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और ग्रामीण दुर्घटना पालिसी ; (ङ) स्वःनियोजित महिलाओं के लिए वैयक्तिक समूह दुर्घटना पालिसी ; (च) कृषि पंप सेट और सुखा कुंआ बीमा ; (छ) निर्यात क्रेडिट बीमा पर संग्रहित प्रीमियम ; (ज) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम ; (झ) जन-आरोग्य बीमा पालिसी ; (ञ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) ; (ट) बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम ; (ठ) पशु बीमा पर केंद्रीय सेक्टर स्कीम ; (ड) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम ; (ढ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ; (ण) कोकोनट पाम बीमा स्कीम ; (त) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ; (थ) राष्ट्रीय स्वःपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता,	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के उपबंधों के अधीन गठित न्यास द्वारा कार्यान्वित निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम।		
36.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराए गए जीवन बीमा कारबार की सेवाएं— (क) जनश्री बीमा योजना ; या (ख) आम आदमी बीमा योजना ; (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद, जिसकी अधिकतम कवर की राशि पचास हजार रुपए है ; (घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ; (ङ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ; (च) प्रधानमंत्री जन-धन योजना ; (छ) प्रधानमंत्री वया वंदन योजना।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
37.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	अटल पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
38.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
39.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9985	संबंधित क्षमताओं में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा सेवाएं— (क) किसी बैंककारी कंपनी को उसकी ग्रामीण क्षेत्र में शाखा में खातों के संबंध में कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेंट ; (ख) खंड (क) में वर्णित सेवाओं के संबंध में किसी कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेंट को मध्यवर्ती के रूप में कोई व्यक्ति ; या (ग) किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कंपनी को कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेंट।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
40.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	किसी बीमा स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जिसके लिए कुल प्रीमियम का संदाय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाता है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
41.	शीर्ष 9972	राज्य सरकार की औद्योगिक विकास निगमों या उपक्रमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक भू-खंडों के दीर्घावधि (तीस वर्ष या अधिक) पट्टे अनुदत्त करने के माध्यम से सेवा की बाबत उद्घाटनीय एकमुश्त अप्रेंट रकम (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार या किसी अन्य नाम से जाना जाता है)।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
42.	शीर्ष 9973 या 9991	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व अवधि की अवधि के दौरान किसी टेलीकॉम सेवा प्रदाता के रूप में प्रचालन के लिए या रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए किसी कारबार अस्तित्व को, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति फीस या स्पेक्ट्रम उपयोग के प्रभार के संदाय पर अनुज्ञात करने के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
43.	शीर्ष 9973	भारतीय रेल को भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा (चल स्टॉक आस्तियों, जिसके अंतर्गत वैगन, कोच, लोको भी है) आस्तियों के पट्टे पर देने की	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		सेवाएं।		
44.	शीर्ष 9981	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी वित्तीय वर्ष में कुल पचास लाख रुपए के आवर्त तक के किसी इनक्यूबेटी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, अर्थात् :- (क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था ; और (ख) इनक्यूबेटी के रूप में करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात् से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
45.	शीर्ष 9982, या शीर्ष 9991	निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निम्नलिखित को, - (i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या (ii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए) ; (ख) अधिवक्ताओं की किसी भागीदारी फर्म या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न किसी अधिवक्ता के रूप में किसी व्यष्टि को निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं के माध्यम से,- (i) विधिक सेवाएं उपलब्ध करने वाले किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी फर्म ; (ii) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या (iii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए) ; (ग) किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, निम्नलिखित को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराके,- (i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या (ii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए) ;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
46.	शीर्ष 9983	किसी पशु क्लीनिक द्वारा प्राणियों या पक्षियों की स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
47.	शीर्ष 9991, शीर्ष 9983	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा-- (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण ; (ख) कार्मिकों, उपभोक्ताओं या अधिकांशतः जनता की सुरक्षा से संबंधित परीक्षण, अशांकन, सुरक्षा जांच या प्रमाणन, जिसके अंतर्गत अग्नि अनुज्ञप्ति, जो तत्समय किसी विधि के अधीन अपेक्षित है, के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
48.	शीर्ष 9983 या अध्याय 99 का	विज्ञान और तकनीकी विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी उद्यम विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी प्रौद्योगिकी	कुछ नहीं	कुछ नहीं

	अन्य कोई शीर्ष	कारबार इन्क्यूबेटर या किसी विज्ञान और तकनीकी उद्यम पार्क या जैव तकनीकी विभाग, भारत सरकार के अधीन बायो तकनीकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् द्वारा अनुमोदित जैव इन्क्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली कराधेय सेवाएं ।		
49.	शीर्ष 9984	किसी स्वतंत्र पत्रकार या प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया द्वारा समाचारों को एकत्र या उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
50.	शीर्ष 9984 या शीर्ष 9991	पुस्तकों, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञानवर्धन अंतर्वस्तु या सामग्री को उधार देने संबंधी लोक पुस्तकालयों की सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
51.	शीर्ष 9984	माल और सेवाकर (जीएसटी) के अनुपालन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों को माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
52.	शीर्ष 9985	भारत के बाहर आयोजित किसी कारबार प्रदर्शनी की बाबत किसी आयोजक द्वारा किसी भी व्यक्ति को सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
53.	शीर्ष 9985	खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को प्रायोजित करने की सेवाएं— (क) किसी राष्ट्रीय खेल फेडरेशन या उसके किसी सहबद्ध फेडरेशन द्वारा, जहां भाग लेने वाली टीमों या व्यष्टि किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ; (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय विद्यालय खेल फेडरेशन, भारत के मूकों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद्, भारत की विकलांग पैरालम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत द्वारा ; (ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा ; (घ) भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के एक भाग के रूप में ; या (ङ) पंचायत युवा केंद्र और खेल अभियान स्कीम के अधीन ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
54.	शीर्ष 9986	निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पालन-पोषण से संबंधित सेवाएं— (क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, श्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ; (ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ; (ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं ; (घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		<p>या पट्टे पर देना ;</p> <p>(ड) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;</p> <p>(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।</p>		
55.	शीर्ष 9986	पादपों की बुआई और अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन-पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
56.	शीर्ष 9988	पशुओं के वध के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
57.	शीर्ष 9988 या अन्य कोई शीर्ष का खंड 8 और खंड 9	फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
58.	शीर्ष 9992, शीर्ष 9988	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रशीतन श्रृंखला विकास केंद्र द्वारा प्रशीतन श्रृंखला संबंधी ज्ञान का प्रसार करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
59.	शीर्ष 9999	भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
60.	शीर्ष 9991	किसी द्विपक्षीय समझौते के अधीन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट संगठन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
61.	शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट, वीजा, चालन-अनुज्ञप्ति, जन्म प्रमाणपत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
62.	शीर्ष 9991, शीर्ष 9997	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी गैर निष्पादनकारी संविदा, जिसके लिए जुमाने या परिसमापन नुकसानी के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण को उस संविदा के अधीन संदेय है, को वहन करने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
63.	शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पादपों की कृषि और अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित रूपों के पालन-पोषण के लिए किसी व्यष्टिक किसान को भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या उसी प्रकार के अन्य उत्पादों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
64.	शीर्ष 9991 या शीर्ष 9973	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जहां उपयोग के अधिकार को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व समनुदेशित किया गया है : परंतु यह छूट केवल पूर्ण एकमुश्त या किस्तों में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		के उपयोग के अधिकार को समनुदेशित करने के लिए प्रभार्य एक बार संदेय कर को लागू होगी।		
65.	शीर्ष 9991	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा वाणिज्य समयोपरि प्रभारों के संदाय पर आयात-निर्यात कार्गों से संबंधित निरीक्षण या आधान भरने या अन्य ऐसे कर्तव्यों के लिए कार्यालय समय के पश्चात् या अवकाश दिवस पर अधिकारियों को तैनात करने के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
66.	शीर्ष 9992	निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं, - (क) किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा उसके छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद को ; (ख) निम्नलिखित के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्था को,- (i) छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद का परिवहन ; (ii) कैटेरिंग, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रायोजित मिड डे मील स्कीम है ; (iii) ऐसी शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध कराई गई सुरक्षा या सफाई या हाऊस कीपिंग संबंधी सेवाएं ; (iv) ऐसी संस्था द्वारा उसमें प्रवेश या परीक्षा के आयोजन से संबंधित सेवाएं ; उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ; परंतु इस प्रविष्टि (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात पूर्व विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समतुल्य स्तर पर शिक्षा के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था को लागू नहीं होगी।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
67.	शीर्ष 9992	भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा, केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उनके छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम को छोड़कर निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं,- (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ; (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
68.	शीर्ष 9996, या शीर्ष 9992	किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ; (ख) किसी अन्य मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
69.	शीर्ष 9992 या शीर्ष 9991 या शीर्ष 9983	निम्नलिखित द्वारा प्रदाय कोई सेवाएं— (i) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ; (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई सेक्टर कौशल परिषद् ; (iii) सेक्टर कौशल परिषद् या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा	कुछ नहीं	कुछ नहीं



		<p>अनुमोदित कोई निर्धारण अभिकरण ;</p> <p>(iv) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या सेक्टर कौशल परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार, निम्नलिखित के संबंध में,—</p> <p>(क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम ; या</p> <p>(ख) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यवसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम ; या</p> <p>(ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य स्कीम ।</p>		
70.	शीर्ष 9992 या शीर्ष 9983 या शीर्ष 9985	कौशल विकास पहल स्कीम के अधीन निर्धारण के माध्यम द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सूचीबद्ध निर्धारण निकायों की सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
71.	शीर्ष 9992	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रमाणीकृत कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों के माध्यम द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
72.	शीर्ष 9992	किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके लिए कुल व्यय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया गया है, के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
73.	शीर्ष 9992	रज्जु रक्त बैंक द्वारा स्टेम कोशिकाओं के परिरक्षण के द्वारा या ऐसे परिरक्षण के संबंध में कोई अन्य सेवाएं द्वारा प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
74.	शीर्ष 9993	निम्नलिखित के माध्यम से सेवाएं— (i) किसी नैदानिक स्थापन, किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी या पैरा चिकित्सीय द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं ; (ii) किसी रोगी वाहन में किसी रोगी के परिवहन के रूप में पूर्वोक्त (i) में विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न प्रदत्त सेवाएं,	कुछ नहीं	कुछ नहीं
75.	शीर्ष 9994	किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालकों द्वारा, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
76.	शीर्ष 9994	लोक सुविधाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं जैसे कि स्नानागार, वाश रूम, शौच घर, मूत्रालय या शौचालयों का उपबंध किया जाना ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
77.	शीर्ष 9995	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी गैर-निगमित निकाय या रजिस्ट्रीकृत किसी गैर लाभकारी अस्तित्व द्वारा उसके स्वयं के सदस्यों को निम्नलिखित के रूप में प्रभारों की प्रतिपूर्ति या अभिदाय के शेषर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवा— (क) किसी व्यापार संघ के रूप में ; (ख) किसी ऐसे क्रियाकलाप को करने का उपबंध करने हेतु, जिसे माल और सेवाकर के उद्दहन से छूट प्राप्त है ; या	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		(ग) किसी हाऊसिंग सोसाइटी या आवासीय काम्पलेक्स में उसके सदस्यों के सामूहिक उपयोग के लिए किसी तृतीय व्यक्ति से प्राप्त किए जाने वाले माल या सेवाओं के लिए प्रति सदस्य प्रतिमास पांच हजार रुपए तक की रकम ।		
78.	शीर्ष 9996	किसी कलाकार द्वारा निम्नलिखित रूप के किसी लोक या शास्त्रीय कला रूप में प्रदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) थियेटर, यदि ऐसे कला प्रदर्शन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है : परंतु यह छूट ऐसे कलाकार द्वारा किसी ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के संबंध में लागू नहीं होगी ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
79.	शीर्ष 9996	किसी संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षिती या चिड़ियाघर में प्रवेश करने संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
80.	शीर्ष 9996	(i) कला या संस्कृति, या (ii) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल, के संबंध में किन्हीं आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों में प्रशिक्षण या कोचिंग द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
81.	शीर्ष 9996	(i) सर्कस, नृत्य, थियेटर अभिनय, जिसके अंतर्गत नाटक और नृत्य नाटक भी हैं ; (ii) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह, तमाशा, संगीत प्रदर्शनों या किसी मान्यताप्राप्त खेल आयोजन से भिन्न कोई खेल आयोजन ; (iii) मान्यताप्राप्त खेल आयोजन ; जहां उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिफल 250/- रुपए से अधिक नहीं है, के प्रवेश के अधिकार के माध्यम द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

**2. परिभाषाएँ-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विज्ञापन" से समाचार पत्र, टेलिविजन, रेडियो या किसी अन्य माध्यम से किसी घटना, विचार, स्थावर संपत्ति, व्यक्ति, सेवा, माल या अनुयोज्य दावे के विषय में संवर्धन के लिए प्रस्तुतिकरण का कोई रूप, या उनके विषय में जागरूकता लाना अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत वैयक्तिक रूप से कोई प्रस्तुतिकरण नहीं है;

(ख) "अधिवक्ता" का वही अर्थ है जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है;

(ग) "कृषि विस्तार" से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है;

(घ) "कृषि उत्पाद" से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन के, खाद्य के लिए, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्रियां या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत है, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है;

(ङ) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है;

- (च) "वायुयान" का वही अर्थ है जो उसका वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 2 के खंड (1) में है;
- (छ) "विमान पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 2 के खंड (ख) में है;
- (ज) "अनुमोदित व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-
- (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् या राज्य व्यवसायिक शिक्षा परिषद्, जो प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट व्यवसायों में पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करते हैं, से संबद्ध संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम अभिप्रेत है; या
- (ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल पाठ्यक्रम;
- (झ) "माध्यस्थम अधिकरण" का वही अर्थ है जो उसका माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 2 के खंड (घ) में है;
- (ञ) "प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में "प्राधिकृत व्यक्ति" का है;
- (ट) "प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी" से भारत में स्थापित या मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति की किसी भी मान्यताप्राप्त परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चिकित्सा पेशेवर सम्मिलित है जिसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित अर्हता है;
- (ठ) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में है;
- (ड) "ब्रांड अम्बेसडर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मालों के ब्रांड, सेवा, संपत्ति या अनुप्रोज्य दावा, घटना या नाम के पृष्ठांकन, जिसके अंतर्गत कोई व्यापार नाम, लोगो या किसी व्यक्ति का गृह चिह्न है, की प्रोन्नति या विपणन में लगा हुआ है;
- (ढ) "कारबार निकाय" से कारबार करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ण) "कारबार सुकरकर्ता या कारबार संवाददाता" से किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार सुकरकर्ता माडल या कारबार संवाददाता माडल के अधीन या किसी बीमा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन नियुक्त मध्यवर्ती अभिप्रेत है;
- (त) "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (थ) "केंद्रीय पारेषण उपयोगिता" का वही अर्थ है जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (10) में है;
- (द) "पूर्त कार्यकलाप" से निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत है-
- (i) निम्नलिखित के माध्यम से लोक स्वास्थ्य,-
- (क) निम्नलिखित की देखरेख या काउंसिलिंग,-
- (अ) असाध्य रूप से रुग्ण व्यक्ति या गंभीर शारीरिक या मानसिक निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति,
- (आ) एच आई वी या एड्स ग्रस्त व्यक्ति, या
- (इ) निर्भरता बनाने वाले पदार्थ जैसे मादक औसत या एल्कोहल के व्यसनी व्यक्ति; या
- (ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एच आई वी संदूषण का निवारण करने के लिए लोक जागरूकता;
- (ii) धर्म, आध्यात्मिकता या योग की प्रोन्नति;
- (iii) निम्नलिखित से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों या कौशल की प्रोन्नति,-
- (क) परित्यक्त, अनाथ या गृह-विहीन बालक;
- (ख) शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित और संघातग्रस्त व्यक्ति;
- (ग) बंदी; या
- (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति;

(iv) पर्यावरण संरक्षण जिसके अंतर्गत जलसंभर, वन और वन्य जीव हैं;

(ध) "नैदानिक प्रतिस्थापन" से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, सैनिटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जांच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;

(न) "कान्ट्रेक्ट कैरिज" का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है;

(प) "कुरियर अधिकरण" से समय संवेदनशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन में लगे हुए व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग या तो सीधे या अप्रत्यक्षतः ऐसे दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने या उनके साथ जाने के लिए करता है;

(फ) "सीमाशुल्क स्टेशन" का वही अर्थ है जो उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा (2) के खंड (13) में है;

(व) "घोषित टैरिफ" में आवास इकाई में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं जैसे फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुविधाओं के लिए प्रभार सम्मिलित है किंतु इसमें ऐसी इकाई के लिए प्रकाशित प्रभारों में प्रस्ताव किया गया बट्टा भी है;

(भ) "वितरक या विक्रय अभिकर्ता" से कोई व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय या कोई अन्य विधिक निकाय जिसे विधि के अधीन आयोजनकारी राज्य द्वारा आचोजनकारी राज्य की ओर से लाटरियों के विपणन और विक्रय के लिए किसी करार के माध्यम से उस प्रकार नियुक्त किया गया है;

(म) "शैक्षिक संस्था" से निम्नलिखित के माध्यम से,--

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समतुल्य तक शिक्षा;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा;

(iii) किसी अनुमोदित व्यवसायिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है,

अभिप्रेत है;

(य) "विद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता" से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; राज्य विद्युत बोर्ड, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन अधिसूचित राज्य पारेषण उपयोगिता; या उक्त अधिनियम के अधीन वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कोई इकाई जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं;

(यक) "ई-रिक्शा" से विशेष प्रयोजन 4000 वाट से अनधिक शक्ति से बैटरी शक्ति चालित यान अभिप्रेत है जिनके भाटक या प्रतिफल पर, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन के लिए तीन पहिए हैं, जिनका विनिर्माण, सन्निर्माण या अंगीकरण, सज्जा और अनुरक्षण ऐसी विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है जो इस निमित्त विहित की जाएं;

(यख) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 3 के खंड (छ) में है;

(यग) "साधारण जनता" से अधिकांशतः लोगों का निकाय अभिप्रेत है, जो लोगों की सामान्य क्वालिटी या अव्यक्तिक प्रकृति के कारण पर्याप्त रूप से परिभाषित है;

(यघ) "माल वाहक" का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (14) में है;

(यङ) "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(यच) "सरकारी प्राधिकरण" का वही अर्थ है जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड (16) के स्पष्टीकरण में है;

(यछ) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कास्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवांशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(यज) “इनक्यूबेटी” से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड (एन एस टी ई डी बी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी कारबार इंक्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के परिसरों में अवस्थित उद्यम अभिप्रेत है और जिसमें प्रौद्योगिकी कारबार इंक्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के साथ स्वयं को उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख और नूतन उत्पादों का विकास और उत्पादन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए करार किया है;

(यझ) “अंतर्देशीय जलमार्ग” से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित या किसी अंतर्देशीय जल में कोई अन्य जलमार्ग जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित है, अभिप्रेत है;

(यञ) “बीमा कंपनी” से जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार चलाने वाली कंपनी अभिप्रेत है;

(यट) “ब्याज” से उधार लिए गए किसी धन या उपगत ऋण (जिसके अंतर्गत कोई जमा, दावा या अन्य वैसे ही अधिकार या बाध्यता है) के संबंध में किसी रीति में संदेय ब्याज अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत उधार ली गई राशि या उपगत ऋण के संबंध में या किसी प्रत्यय सुविधा, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के संबंध में सेवा फीस या अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ;

(यठ) “मध्यवर्ती” का वही अर्थ है जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (13) में है ;

(यड) “विधिक सेवा” से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं ;

(यढ) “जीवन बीमा कारबार” का वही अर्थ है जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड 11 में है ;

(यण) “जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद” का वही अर्थ है जो उसका बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सुक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 के विनियम 2 के खंड (ड) में है ;

(यत) “मीटरित कैब” से कोई ठेकाकारी अभिप्रेत है, जिस पर एक स्वचालित युक्ति है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन अनुमोदित किस्म और मेक की है, लगी हुई है, जो किसी क्षण प्रभार्य भाटक और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी परमिट की शर्तों के अधीन तदनुसार प्रभार्य भाटक के पठन को उपदर्शित करती है, (किंतु इसके अंतर्गत रेडियो टैक्सी नहीं है) ;

(यथ) “राष्ट्रीय उद्यान” का वही अर्थ है जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड 21 में है ;

(यद) “आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं” का वही अर्थ होगा जो उनका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड 17 में है ;

(यध) “मूल संकर्म” से सभी नए संकर्म अभिप्रेत है ;

(i) भूमि पर परित्यक्त या क्षतिग्रस्त ढांचों पर सभी किस्म के वर्धन और फेरफार, जो उन्हें कार्य योग्य बनाने के लिए अपेक्षित हैं ;

(ii) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर या ढांचों का परिनिर्माण चालू करना या संस्थापन, चाहे प्री फेब्रिकेटेड या अन्यथा हो ;

(यन) “प्रिंट मीडिया” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित ‘पुस्तक’ किंतु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएं, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, सम्मिलित नहीं है ;

(ii) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित ‘समाचार-पत्र’ ;

(यप) “पत्तन” का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (थ) में या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड 4 में है ;

(यफ) "रेडियो टैक्सी" से रेडियो कैब सहित ऐसी टैक्सी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या साधारण पैकेट रेडियो सर्विस का प्रयोग करके पता लगाने में समर्थ है ;

(यब) "मान्यताप्राप्त खेलकूद आयोजन" से ऐसा कोई खेलकूद आयोजन अभिप्रेत है,-

- (i) जो किसी मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां भाग लेने वाली टीम या व्यष्टि, किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करता है ;
- (ii) जो निम्नलिखित के द्वारा आयोजित किया जाता है-
- (क) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ या उसके सहबद्ध परिसंघ, जहां भाग लेने वाली टीमों या व्यष्टि किसी जिले, राज्य या जोन का प्रतिनिधित्व करते हैं ;
- (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल परिसंघ, अखिल भारतीय बधिर खेलकूद परिषद, भारतीय पैरालिम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत ;
- (ग) केंद्रीय सिविल सेवा, सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड ;
- (घ) भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में ; या
- (ङ) पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान(पीवाईकेकेए) स्कीम के अधीन ;

(यभ) "मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय" से अभिप्रेत है- (i) भारतीय ओलंपिक संगम ; (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण ; (iii) केंद्रीय सरकार खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय तथा उसके सहबद्ध परिसंघों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ ; (iv) केंद्रीय सरकार के खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संवर्धन संगठन ; (v) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम द्वारा मान्यताप्राप्त परिसंघ ; या (vi) कोई ऐसा परिसंघ या निकाय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद को विनियमित करता है और भारत में खेल को विनियमित करने वाले सहबद्ध परिसंघ या निकाय ;

(यम) "धार्मिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जो मुख्यतः धर्म या ध्यान या आध्यात्मिकता से संबंधित प्रार्थनाओं या उपासना के लिए है ;

(यय) "स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना" से किसी स्थावर संपत्ति में उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण सहित या रहित ऐसी किसी पहुंच, प्रवेश, अधिभोग, उपयोग को अनुज्ञात करना या अनुमति देना या ऐसी कोई सुविधा प्रदान करना और जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना, अनुज्ञापन या अन्य वैसे ही ठहराव भी हैं ;

(ययक) "भारतीय रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित बैंक अभिप्रेत है ;

(ययख) "आवास या परिसर" से ऐसा कोई प्रक्षेत्र अभिप्रेत है, जो एकल आवासीय यूनिट से अधिक भवन या भवनों से मिलकर बना है ;

(ययग) "ग्रामीण क्षेत्र" से भू-राजस्व अभिलेखों में यथापरिभाषित किसी ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

किसी नगरपालिक समिति, नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति ; या कोई क्षेत्र, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाए ;

(ययघ) "ज्येष्ठ अधिवक्ता" का वही अर्थ है, जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 16 में है ;

(ययङ.) "एकल आवासीय यूनिट" से ऐसी स्वतःपूर्ण आवासीय यूनिट अभिप्रेत है, जो एक कुटुंब के लिए आवासीय प्रयोजनों हेतु पूर्णतः या मुख्य रूप से उपयोग के लिए डिजाइन की गई है ;

(ययच) "विशेष प्रवर्ग राज्य" से ऐसे राज्य अभिप्रेत होंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट हैं ;

(ययछ) "विनिर्दिष्ट संगठन" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,--

(क) कुमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का उपक्रम ; या

(ख) हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथापरिभाषित 'समिति' या 'राज्य समिति' ;

(ययज) "स्टेज कैरिज" का वही अर्थ होगा, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है ;

(ययझ) "राज्य विद्युत बोर्ड" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 44) की धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ययञ) "राज्य पारेषण यूटिलिटी" का वही अर्थ होगा, जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (67) में है ;

(ययट) "राज्य परिवहन उपक्रम" का वही अर्थ है, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में है ;

(ययठ) "बाघ रिजर्व" का वही अर्थ है, जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ट के खंड (ड.) में है ;

(ययड) "टूर आपरेटर" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो परिवहन के किसी ढंग द्वारा यात्रा की योजना बनाने, उनको तैयार करने, आयोजित करने, व्यवस्था करने (जिसमें आवास, दर्शनीय स्थलों के लिए या वैसी ही सेवाओं के लिए व्यवस्थाएं भी हो सकेंगी) में लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत टूरों को प्रचालित करने के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति भी है ।

(ययढ) "व्यापार संघ" का वही अर्थ है जो उसका व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(ययण) "जलयान" का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (य) में है ;

(ययत) "वन्यजीव अभ्यारण्य" का वही अर्थ है जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (26) में है ;

(ययथ) "प्राणी उद्यान" का वही अर्थ है जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (39) में है ।

3. स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(i) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमशः "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" का है ।

(ii) सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अध्याय, खंड, शीर्ष, समूह या सेवा कूट उपदर्शन के लिए हैं ।

4. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 को प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 12/2017-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 691(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below from so much of the central tax leviable thereon under sub-section (1) of section 9 of the said Act, as is in excess of the said tax calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, unless specified otherwise, subject to the relevant conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Chapter, Section, Heading, Group or Service Code (Tariff)	Description of Services	Rate (per cent.)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chapter 99	Services by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) by way of charitable activities.	Nil	Nil
2	Chapter 99	Services by way of transfer of a going concern, as a whole or an independent part thereof.	Nil	Nil
3	Chapter 99	Pure services (excluding works contract service or other composite supplies involving supply of any goods) provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil
4	Chapter 99	Services by Central Government, State Government, Union territory, local authority or governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article 243 W of the Constitution.	Nil	Nil
5	Chapter 99	Services by a governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution.	Nil	Nil
6	Chapter 99	Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority excluding the following services— (a) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory; (b) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (c) transport of goods or passengers; or (d) any service, other than services covered under entries (a) to (c) above, provided to business entities.	Nil	Nil
7	Chapter 99	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to a business entity with an aggregate turnover of up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year. <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, it is hereby clarified that the provisions of this entry shall not be applicable to- (a) services,- (i) by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory; (ii) in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (iii) of transport of goods or passengers; and (b) services by way of renting of immovable property.	Nil	Nil
8	Chapter 99	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to another Central Government, State Government, Union territory or local authority: Provided that nothing contained in this entry shall apply to services- (i) by the Department of Posts by way of speed	Nil	Nil



		<p>post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;</p> <p>(ii) in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;</p> <p>(iii) of transport of goods or passengers.</p>		
9	Chapter 99	<p>Services provided by Central Government, State Government, Union territory or a local authority where the consideration for such services does not exceed five thousand rupees:</p> <p>Provided that nothing contained in this entry shall apply to-</p> <p>(i) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;</p> <p>(ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;</p> <p>(iii) transport of goods or passengers:</p> <p>Provided further that in case where continuous supply of service, as defined in sub-section (33) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, is provided by the Central Government, State Government, Union territory or a local authority, the exemption shall apply only where the consideration charged for such service does not exceed five thousand rupees in a financial year.</p>	Nil	Nil
10	Heading 9954	Services provided by way of pure labour contracts of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of a civil structure or any other original works pertaining to the beneficiary-led individual house construction or enhancement under the Housing for All (Urban) Mission or Pradhan Mantri Awas Yojana.	Nil	Nil
11	Heading 9954	Services by way of pure labour contracts of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex.	Nil	Nil
12	Heading 9963 or Heading 9972	Services by way of renting of residential dwelling for use as residence.	Nil	Nil
13	Heading 9963 or Heading 9972 or Heading 9995 or any other Heading of Section 9	<p>Services by a person by way of-</p> <p>(a) conduct of any religious ceremony;</p> <p>(b) renting of precincts of a religious place meant for general public, owned or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the Income-tax Act) or a trust or an institution registered under sub clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act or a body or an authority covered under clause (23BBA) of section 10 of the said Income-tax Act:</p> <p>Provided that nothing contained in entry (b) of this exemption shall apply to,-</p> <p>(i) renting of rooms where charges are one thousand rupees or more per day;</p> <p>(ii) renting of premises, community halls, kalyanmandapam or open area, and the like where charges are ten thousand rupees or more per day;</p> <p>(iii) renting of shops or other spaces for business or commerce where charges are ten thousand rupees or more per month.</p>	Nil	Nil
14	Heading 9963	Services by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever name called, for residential or lodging	Nil	Nil

		purposes, having declared tariff of a unit of accommodation below one thousand rupees per day or equivalent.		
15	Heading 9964	Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by – (a) air, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal; (b) non-airconditioned contract carriage other than radio taxi, for transportation of passengers, excluding tourism, conducted tour, charter or hire; or (c) stage carriage other than air-conditioned stage carriage.	Nil	Nil
16	Heading 9964	Services provided to the Central Government, by way of transport of passengers with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport, against consideration in the form of viability gap funding: Provided that nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of one year from the date of commencement of operations of the regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Civil Aviation.	Nil	Nil
17	Heading 9964	Service of transportation of passengers, with or without accompanied belongings, by— (a) railways in a class other than— (i) first class; or (ii) an air-conditioned coach; (b) metro, monorail or tramway; (c) inland waterways; (d) public transport, other than predominantly for tourism purpose, in a vessel between places located in India; and (e) metered cabs or auto rickshaws (including e-rickshaws).	Nil	Nil
18	Heading 9965	Services by way of transportation of goods- (a) by road except the services of— (i) a goods transportation agency; (ii) a courier agency; (b) by inland waterways.	Nil	Nil
19	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India upto the customs station of clearance in India.	Nil	Nil
20	Heading 9965	Services by way of transportation by rail or a vessel from one place in India to another of the following goods – (a) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap; (b) defence or military equipments; (c) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers; (d) railway equipments or materials; (e) agricultural produce; (f) milk, salt and food grain including flours, pulses and rice; and (g) organic manure.	Nil	Nil
21	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport in a goods carriage of - (a) agricultural produce; (b) goods, where consideration charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed one thousand five hundred rupees; (c) goods, where consideration charged for transportation of all such goods for a single consignee	Nil	Nil

		does not exceed rupees seven hundred and fifty; (d) milk, salt and food grain including flour, pulses and rice; (e) organic manure; (f) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers; (g) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap; or (h) defence or military equipments.		
22	Heading 9966 or Heading 9973	Services by way of giving on hire – (a) to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than twelve passengers; or (b) to a goods transport agency, a means of transportation of goods.	Nil	Nil
23	Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of toll charges.	Nil	Nil
24	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of loading, unloading, packing, storage or warehousing of rice.	Nil	Nil
25	Heading 9969	Transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility.	Nil	Nil
26	Heading 9971	Services by the Reserve Bank of India.	Nil	Nil
27	Heading 9971	Services by way of— (a) extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount (other than interest involved in credit card services); (b) <i>inter se</i> sale or purchase of foreign currency amongst banks or authorised dealers of foreign exchange or amongst banks and such dealers.	Nil	Nil
28	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance business provided by way of annuity under the National Pension System regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).	Nil	Nil
29	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance business provided or agreed to be provided by the Army, Naval and Air Force Group Insurance Funds to members of the Army, Navy and Air Force, respectively, under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil
30	Heading 9971 or Heading 9991	Services by the Employees' State Insurance Corporation to persons governed under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).	Nil	Nil
31	Heading 9971	Services provided by the Employees Provident Fund Organisation to the persons governed under the Employees Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).	Nil	Nil
32	Heading 9971	Services provided by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to insurers under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 (41 of 1999).	Nil	Nil
33	Heading 9971	Services provided by the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) by way of protecting the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate, the securities market.	Nil	Nil
34	Heading 9971	Services by an acquiring bank, to any person in relation to settlement of an amount upto two thousand rupees in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card service. <i>Explanation.</i> — For the purposes of this entry, "acquiring bank" means any banking company, financial institution including non-banking financial company or any other person, who makes the payment	Nil	Nil

		to any person who accepts such card.		
35	Heading 9971 or Heading 9991	Services of general insurance business provided under following schemes – (a) Hut Insurance Scheme; (b) Cattle Insurance under Swarnajaynti Gram Swarozgar Yojna (earlier known as Integrated Rural Development Programme); (c) Scheme for Insurance of Tribals; (d) Janata Personal Accident Policy and Gramin Accident Policy; (e) Group Personal Accident Policy for Self-Employed Women; (f) Agricultural Pumpset and Failed Well Insurance; (g) premia collected on export credit insurance; (h) Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme, approved by the Government of India and implemented by the Ministry of Agriculture; (i) Jan Arogya Bima Policy; (j) National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana); (k) Pilot Scheme on Seed Crop Insurance; (l) Central Sector Scheme on Cattle Insurance; (m) Universal Health Insurance Scheme; (n) Rashtriya Swasthya Bima Yojana; (o) Coconut Palm Insurance Scheme; (p) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna; (q) Niramaya Health Insurance Scheme implemented by the Trust constituted under the provisions of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999).	Nil	Nil
36	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance business provided under following schemes- (a) Janashree Bima Yojana; (b) Aam Aadmi Bima Yojana; (c) Life micro-insurance product as approved by the Insurance Regulatory and Development Authority, having maximum amount of cover of fifty thousand rupees; (d) Varishtha Pension Bima Yojana; (e) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana; (f) Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana; (g) Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana.	Nil	Nil
37	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of collection of contribution under the Atal Pension Yojana.	Nil	Nil
38	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of collection of contribution under any pension scheme of the State Governments.	Nil	Nil
39	Heading 9971 or Heading 9985	Services by the following persons in respective capacities – (a) business facilitator or a business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch; (b) any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to services mentioned in entry (a); or (c) business facilitator or a business correspondent to an insurance company in a rural area.	Nil	Nil
40	Heading 9971 or Heading 9991	Services provided to the Central Government, State Government, Union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by the Central Government, State Government, Union territory.	Nil	Nil

41	Heading 9972	One time upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) leviable in respect of the service, by way of granting long term (thirty years, or more) lease of industrial plots, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings to industrial units.	Nil	Nil
42	Heading 9973 or Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use radio frequency spectrum during the period prior to the 1 <sup>st</sup> April, 2016, on payment of licence fee or spectrum user charges, as the case may be.	Nil	Nil
43	Heading 9973	Services of leasing of assets (rolling stock assets including wagons, coaches, locos) by the Indian Railways Finance Corporation to Indian Railways.	Nil	Nil
44	Heading 9981	Services provided by an incubatee up to a total turnover of fifty lakh rupees in a financial year subject to the following conditions, namely:- (a) the total turnover had not exceeded fifty lakh rupees during the preceding financial year; and (b) a period of three years has not elapsed from the date of entering into an agreement as an incubatee.	Nil	Nil
45	Heading 9982 or Heading 9991	Services provided by- (a) an arbitral tribunal to – (i) any person other than a business entity; or (ii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year; (b) a partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than a senior advocate, by way of legal services to- (i) an advocate or partnership firm of advocates providing legal services; (ii) any person other than a business entity; or (iii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year; (c) a senior advocate by way of legal services to- (i) any person other than a business entity; or (ii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year.	Nil	Nil
46	Heading 9983	Services by a veterinary clinic in relation to health care of animals or birds.	Nil	Nil
47	Heading 9983 or Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of- (a) registration required under any law for the time being in force; (b) testing, calibration, safety check or certification relating to protection or safety of workers, consumers or public at large, including fire license, required under any law for the time being in force.	Nil	Nil
48	Heading 9983 or any other Heading of Chapter 99	Taxable services, provided or to be provided, by a Technology Business Incubator or a Science and Technology Entrepreneurship Park recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India or bio-incubators recognised by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, under the Department of	Nil	Nil

		Biotechnology, Government of India.		
49	Heading 9984	Services by way of collecting or providing news by an independent journalist, Press Trust of India or United News of India.	Nil	Nil
50	Heading 9984	Services of public libraries by way of lending of books, publications or any other knowledge-enhancing content or material.	Nil	Nil
51	Heading 9984	Services provided by the Goods and Services Tax Network to the Central Government or State Governments or Union territories for implementation of Goods and Services Tax.	Nil	Nil
52	Heading 9985	Services by an organiser to any person in respect of a business exhibition held outside India.	Nil	Nil
53	Heading 9985	Services by way of sponsorship of sporting events organised - (a) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, State, zone or Country; (b) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat; (c) by the Central Civil Services Cultural and Sports Board; (d) as part of national games, by the Indian Olympic Association; or (e) under the Panchayat Yuva Kreedha Aur Khel Abhiyaan Scheme.	Nil	Nil
54	Heading 9986	Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of— (a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing; (b) supply of farm labour; (c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market; (d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use; (e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce; (f) agricultural extension services; (g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.	Nil	Nil
55	Heading 9986	Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce.	Nil	Nil
56	Heading 9988	Services by way of slaughtering of animals.	Nil	Nil
57	Heading 9988 or any other Heading of Section 8 and Section 9	Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables.	Nil	Nil

58	Heading 9988 or Heading 9992	Services provided by the National Centre for Cold Chain Development under the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare by way of cold chain knowledge dissemination.	Nil	Nil
59	Heading 9999	Services by a foreign diplomatic mission located in India.	Nil	Nil
60	Heading 9991	Services by a specified organisation in respect of a religious pilgrimage facilitated by the Ministry of External Affairs, the Government of India, under bilateral arrangement.	Nil	Nil
61	Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of issuance of passport, visa, driving licence, birth certificate or death certificate.	Nil	Nil
62	Heading 9991 or Heading 9997	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to the Central Government, State Government, Union territory or local authority under such contract.	Nil	Nil
63	Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products.	Nil	Nil
64	Heading 9991 or Heading 9973	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of assignment of right to use any natural resource where such right to use was assigned by the Central Government, State Government, Union territory or local authority before the 1 <sup>st</sup> April, 2016: Provided that the exemption shall apply only to tax payable on one time charge payable, in full upfront or in installments, for assignment of right to use such natural resource.	Nil	Nil
65	Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory by way of deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of Merchant Overtime charges.	Nil	Nil
66	Heading 9992	Services provided - (a) by an educational institution to its students, faculty and staff; (b) to an educational institution, by way of,- (i) transportation of students, faculty and staff; (ii) catering, including any mid-day meals scheme sponsored by the Central Government, State Government or Union territory; (iii) security or cleaning or house-keeping services performed in such educational institution; (iv) services relating to admission to, or conduct of examination by, such institution; upto higher secondary: Provided that nothing contained in entry (b) shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent.	Nil	Nil
67	Heading 9992	Services provided by the Indian Institutes of Management, as per the guidelines of the Central Government, to their students, by way of the following educational programmes, except Executive	Nil	Nil

		Development Programme: - (a) two year full time Post Graduate Programmes in Management for the Post Graduate Diploma in Management, to which admissions are made on the basis of Common Admission Test (CAT) conducted by the Indian Institute of Management; (b) fellow programme in Management; (c) five year integrated programme in Management.		
68	Heading 9992 or Heading 9996	Services provided to a recognised sports body by- (a) an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in a sporting event organised by a recognized sports body; (b) another recognised sports body.	Nil	Nil
69	Heading 9992 or Heading 9983 or Heading 9991	Any services provided by, - (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) a Sector Skill Council approved by the National Skill Development Corporation; (c) an assessment agency approved by the Sector Skill Council or the National Skill Development Corporation; (d) a training partner approved by the National Skill Development Corporation or the Sector Skill Council, in relation to- (i) the National Skill Development Programme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any other Scheme implemented by the National Skill Development Corporation.	Nil	Nil
70	Heading 9983 or Heading 9985 or Heading 9992	Services of assessing bodies empanelled centrally by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessments under the Skill Development Initiative Scheme.	Nil	Nil
71	Heading 9992	Services provided by training providers (Project implementation agencies) under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana implemented by the Ministry of Rural Development, Government of India by way of offering skill or vocational training courses certified by the National Council for Vocational Training.	Nil	Nil
72	Heading 9992	Services provided to the Central Government, State Government, Union territory administration under any training programme for which total expenditure is borne by the Central Government, State Government, Union territory administration.	Nil	Nil
73	Heading 9993	Services provided by the cord blood banks by way of preservation of stem cells or any other service in relation to such preservation.	Nil	Nil
74	Heading 9993	Services by way of- (a) health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para-medics; (b) services provided by way of transportation of a patient in an ambulance, other than those specified in (a) above.	Nil	Nil
75	Heading 9994	Services provided by operators of the common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment by way of treatment or disposal of bio-medical waste or the processes incidental thereto.	Nil	Nil
76	Heading 9994	Services by way of public conveniences such as	Nil	Nil



		provision of facilities of bathroom, washrooms, lavatories, urinal or toilets.		
77	Heading 9995	Service by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution – (a) as a trade union; (b) for the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of Goods and service Tax; or (c) up to an amount of five thousand rupees per month per member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its members in a housing society or a residential complex.	Nil	Nil
78	Heading 9996	Services by an artist by way of a performance in folk or classical art forms of- (a) music, or (b) dance, or (c) theatre, if the consideration charged for such performance is not more than one lakh and fifty thousand rupees: Provided that the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador.	Nil	Nil
79	Heading 9996	Services by way of admission to a museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve or zoo.	Nil	Nil
80	Heading 9996	Services by way of training or coaching in recreational activities relating to- (a) arts or culture, or (b) sports by charitable entities registered under section 12AA of the Income-tax Act.	Nil	Nil
81	Heading 9996	Services by way of right to admission to- (a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet; (b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event; (c) recognised sporting event, where the consideration for admission is not more than Rs 250 per person as referred to in (a), (b) and (c) above.	Nil	Nil

2. Definitions. - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, -

(a) “advertisement” means any form of presentation for promotion of, or bringing awareness about, any event, idea, immovable property, person, service, goods or actionable claim through newspaper, television, radio or any other means but does not include any presentation made in person;

(b) “advocate” has the same meaning as assigned to it in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(c) “agricultural extension” means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training;

(d) “agricultural produce” means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market;

(e) “Agricultural Produce Marketing Committee or Board” means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce;

(f) “aircraft” has the same meaning as assigned to it in clause (1) of section 2 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

(g) “airport” has the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994.);

(h) “approved vocational education course” means, -

- (i) a course run by an industrial training institute or an industrial training centre affiliated to the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades notified under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961); or
- (ii) a Modular Employable Skill Course, approved by the National Council of Vocational Training, run by a person registered with the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;
- (i) “arbitral tribunal” has the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 2 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);
- (j) “authorised dealer of foreign exchange” shall have the same meaning assigned to “Authorised person” in clause (c) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (k) “authorised medical practitioner” means a medical practitioner registered with any of the councils of the recognised system of medicines established or recognised by law in India and includes a medical professional having the requisite qualification to practice in any recognised system of medicines in India as per any law for the time being in force;
- (l) “banking company” has the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (m) “brand ambassador” means a person engaged for promotion or marketing of a brand of goods, service, property or actionable claim, event or endorsement of name, including a trade name, logo or house mark of any person;
- (n) “business entity” means any person carrying out business;
- (o) “business facilitator or business correspondent” means an intermediary appointed under the business facilitator model or the business correspondent model by a banking company or an insurance company under the guidelines issued by the Reserve Bank of India;
- (p) “Central Electricity Authority” means the authority constituted under section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);
- (q) “Central Transmission Utility” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (r) “charitable activities” means activities relating to -
- (i) public health by way of , -
    - (A) care or counseling of
      - (I) terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability;
      - (II) persons afflicted with HIV or AIDS;
      - (III) persons addicted to a dependence-forming substance such as narcotics drugs or alcohol; or
    - (B) public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection;
  - (ii) advancement of religion , spirituality or yoga;
  - (iii) advancement of educational programmes or skill development relating to,-
    - (A) abandoned, orphaned or homeless children;
    - (B) physically or mentally abused and traumatized persons;
    - (C) prisoners; or
    - (D) persons over the age of 65 years residing in a rural area;
  - (iv) preservation of environment including watershed, forests and wildlife;
- (s) “clinical establishment” means a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;
- (t) “contract carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (u) “courier agency” means any person engaged in the door-to-door transportation of time-sensitive documents, goods or articles utilising the services of a person, either directly or indirectly, to carry or accompany such documents, goods or articles;

- (v) “Customs station” shall have the same meaning as assigned to it in clause (13) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (w) “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air-conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit;
- (x) “distributor or selling agent” means an individual or a firm or a body corporate or other legal entity under law so appointed by the Organising State through an agreement to market and sell lotteries on behalf of the Organising State;
- (y) “educational institution” means an institution providing services by way of,-
- (i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent;
- (ii) education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognised by any law for the time being in force;
- (iii) education as a part of an approved vocational education course;
- (z) “electricity transmission or distribution utility” means the Central Electricity Authority; a State Electricity Board; the Central Transmission Utility or a State Transmission Utility notified under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); or a distribution or transmission licensee under the said Act, or any other entity entrusted with such function by the Central Government or, as the case may be, the State Government;
- (za) “e-rickshaw” means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf;
- (zb) “general insurance business” has the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);
- (zc) “general public” means the body of people at large sufficiently defined by some common quality of public or impersonal nature;
- (zd) “goods carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (ze) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called;
- (zf) “governmental authority” has the same meaning as assigned to it in the *Explanation* to clause (16) of section 2 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017);
- (zg) “health care services” means any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;
- (zh) “incubatee” means an entrepreneur located within the premises of a Technology Business Incubator or Science and Technology Entrepreneurship Park recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology, Government of India and who has entered into an agreement with the Technology Business Incubator or the Science and Technology Entrepreneurship Park to enable himself to develop and produce hi-tech and innovative products;
- (zi) “inland waterway” means national waterways as defined in clause (h) of section 2 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985) or other waterway on any inland water, as defined in clause (b) of section 2 of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917);
- (zj) “insurance company” means a company carrying on life insurance business or general insurance business;
- (zk) “interest” means interest payable in any manner in respect of any moneys borrowed or debt incurred (including a deposit, claim or other similar right or obligation) but does not include any service fee or other charge in respect of the moneys borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilised;
- (zl) “intermediary” has the same meaning as assigned to it in sub-section (13) of section 2 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;
- (zm) “legal service” means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority;
- (zn) “life insurance business” has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

- (zo) “life micro-insurance product” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Micro-insurance) Regulations, 2005;
- (zp) “metered cab” means any contract carriage on which an automatic device, of the type and make approved under the relevant rules by the State Transport Authority, is fitted which indicates reading of the fare chargeable at any moment and that is charged accordingly under the conditions of its permit issued under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder (but does not include radio taxi);
- (zq) “national park” has the same meaning as assigned to it in clause (21) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (zr) “online information and database access or retrieval services” shall have the same meaning as assigned to it in clause (17) of the section 2 of the Integrated goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017);
- (zs) “original works” means- all new constructions;
- (i) all types of additions and alterations to abandoned or damaged structures on land that are required to make them workable;
- (ii) erection, commissioning or installation of plant, machinery or equipment or structures, whether pre-fabricated or otherwise;
- (zt) “print media” means,—
- (i) ‘book’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;
- (ii) ‘newspaper’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);
- (zu) “port” has the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) or in clause (4) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);
- (zv) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using the Global Positioning System or General Packet Radio Service;
- (zw) “recognised sporting event” means any sporting event,-
- (i) organised by a recognised sports body where the participating team or individual represent any district, state, zone or country;
- (ii) organised -
- (A) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, state or zone;
- (B) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;
- (C) by Central Civil Services Cultural and Sports Board;
- (D) as part of national games, by Indian Olympic Association; or
- (E) under Panchayat Yuva Kreedha Aur Khel Abhiyaan (PYKKA) Scheme;
- (zx) “recognised sports body” means –
- (i) the Indian Olympic Association;
- (ii) Sports Authority of India;
- (iii) a national sports federation recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government, and its affiliate federations;
- (iv) national sports promotion organisations recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government;
- (v) the International Olympic Association or a federation recognised by the International Olympic Association; or
- (vi) a federation or a body which regulates a sport at international level and its affiliated federations or bodies regulating a sport in India;
- (zy) “religious place” means a place which is primarily meant for conduct of prayers or worship pertaining to a religion, meditation, or spirituality;

(zz) “renting in relation to immovable property” means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property;

(zza) “Reserve Bank of India” means the bank established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(zzb) “residential complex” means any complex comprising of a building or buildings, having more than one single residential unit;

(zzc) “rural area” means the area comprised in a village as defined in land revenue records, excluding-

the area under any municipal committee, municipal corporation, town area committee, cantonment board or notified area committee; or any area that may be notified as an urban area by the Central Government or a State Government;

(zzd) “senior advocate” has the same meaning as assigned to it in section 16 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(zze) “single residential unit” means a self-contained residential unit which is designed for use, wholly or principally, for residential purposes for one family;

(zzf) “special category States” shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution,

(zzg) “specified organisation” shall mean,-

(i) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or

(ii) ‘Committee’ or ‘State Committee’ as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002);

(zzh) “stage carriage” shall have the same meaning as assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(zzi) “State Electricity Board” means the Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);

(zzj) “State Transmission Utility” shall have the same meaning as assigned to it in clause (67) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(zzk) “state transport undertaking” has the same meaning as assigned to it in clause (42) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(zzl) “tiger reserve” has the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 38K of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zzm) “tour operator” means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours;

(zzn) “trade union” has the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);

(zzo) “vessel” has the same meaning as assigned to it in clause (z) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(zzp) “wildlife sanctuary” means a sanctuary as defined in the clause (26) of the section 2 of The Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zzq) “zoo” has the same meaning as assigned to it in the clause (39) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

3. *Explanation.*- For the purposes of this notification,-

(i) Reference to “Chapter”, “Section” or “Heading”, wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as “Chapter”, “Section” and “Heading” in the scheme of classification of services.

(ii) Chapter, Section, Heading, Group, or Service Code mentioned in Column (2) of the Table are only indicative.

4. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 692(अ).—** केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्बहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :--

#### सारणी

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति -</p> <p>(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या</p> <p>(ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या</p> <p>(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या</p> <p>(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या</p> <p>(ङ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या</p> <p>(च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या</p> <p>(छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ।</p>	<p>माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित,--</p> <p>(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या</p> <p>(ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या</p> <p>(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या</p> <p>(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या</p> <p>(ङ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या</p> <p>(च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या</p> <p>(छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति।</p>
2	<p>किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी</p>	<p>कोई व्यष्टिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म</p>	<p>कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।</p>

	न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।		
3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्णित सेवाएं।	कोई माध्यस्थम् अधिकरण	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व।
4	किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं।	कोई भी व्यक्ति	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म।
5	किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,- (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न किसी व्यक्ति को दी गई सेवाएं ; (ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन।	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व।
6	किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय के निदेशक द्वारा उक्त कंपनी या निगमित निकाय को पूर्णित सेवाएं।	किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय का कोई निदेशक	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कंपनी या निगमित निकाय।
7	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को पूर्णित सेवाएं।	कोई बीमा अभिकर्ता	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा है।
8	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को पूर्णित सेवाएं।	कोई वसूली अभिकर्ता	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी।
9	किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मूल साहित्यिक, नाट्य, संगीत संबंधी या कला संबंधी कार्यों से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार का किसी प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग का अंतरण करने या उसकी अनुज्ञा देने के रूप में सेवाओं की पूर्णित।	लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है।
- (ख) “निगमित निकाय” का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है।
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

#### No. 13/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 692(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of central tax leviable under section 9 of the said Central Goods and Services Tax Act, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Category of Supply of Services	Supplier of service	Recipient of Service
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supply of Services by a goods transport agency (GTA) in respect of transportation of goods by road to- (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or	Goods Transport Agency (GTA)	(a) Any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or (g) any casual taxable person; located in the taxable territory.



	(g) any casual taxable person.		
2	Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.	An individual advocate including a senior advocate or firm of advocates.	Any business entity located in the taxable territory.
3	Services supplied by an arbitral tribunal to a business entity.	An arbitral tribunal.	Any business entity located in the taxable territory.
4	Services provided by way of sponsorship to any body corporate or partnership firm.	Any person	Any body corporate or partnership firm located in the taxable territory.
5	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to a business entity excluding, - (1) renting of immovable property, and (2) services specified below- (i) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority; (ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; (iii) transport of goods or passengers.	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any business entity located in the taxable territory.
6	Services supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate.	A director of a company or a body corporate	The company or a body corporate located in the taxable territory.
7	Services supplied by an insurance agent to any person carrying on insurance business.	An insurance agent	Any person carrying on insurance business, located in the taxable territory.
8	Services supplied by a recovery agent to a banking company or a financial institution or a non-banking financial company.	A recovery agent	A banking company or a financial institution or a non-banking financial company, located in the taxable territory.
9	Supply of services by an author, music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer or the like.	Author or music composer, photographer, artist, or the like	Publisher, music company, producer or the like, located in the taxable territory.

Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.

(c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.

(d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 14/2017-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 693(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में नियोजित किया गया है, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

“संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा।”

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 14/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 693(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

“Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 15/2017- केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 694(अ).**— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के

प्रतिदाय को केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

### No. 15/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 694(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Central Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 16/2017- केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 695(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करती है :--

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,—

(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित केंद्रीय कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;

- (ii) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;
- (iii) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र पेश करेगा कि,-
- (I) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;
- (II) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा; और
- (III) खंड (I) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उनको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;
- (iv) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा ।
- (v) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त केंद्रीय कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलब्ध नहीं होगा ।

**स्पष्टीकरण--**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

#### No. 16/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 695(E).**— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby specifies, -

- (i) United Nations or a specified international organisation; and
- (ii) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein,

for the purposes of the said section subject to the following conditions:-

- (a) United Nations or a specified international organisation shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to a certificate from United Nations or that specified international organisation that the goods and services have been used or are intended to be used for official use of the United Nations or the specified international organisation.
- (b) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to, -

(i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to refund of central tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;

(ii) that in case of supply of services, the head of the foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post authorised by him, shall furnish an undertaking in original, signed by him or the authorised person, stating that the supply of services received are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family;

(iii) that in case of supply of goods, concerned diplomatic mission or consulate or an officer duly authorized by him will produce a certificate that,—

(I) the goods have been put to use, or are in the use, as the case may be, of the mission or consulate;

(II) the goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of three years from the date of receipt of the goods; and

(III) in the event of non-compliance of clause (I), the diplomatic or consular mission will pay back the refund amount paid to them;

(iv) in case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India, decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate to the foreign diplomatic mission or consular post;

(v) the refund of the whole of the central tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate.

*Explanation.* - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, “specified international organisation” means an international organisation declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities Act) 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 17/2017-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 696(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

- (i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;
- (ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।

**स्पष्टीकरण**--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “रेडियो टैक्सी” से टैक्सी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत रेडियो कैब है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संपर्क में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने के लिए समर्थ है ;

(ख) “मैक्सी कैब”, “मोटर कैब” और “मोटर साइकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

#### No. 17/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 696(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in case of the following categories of services, the tax on intra-State supplies shall be paid by the electronic commerce operator –

- (i) services by way of transportation of passengers by a radio-taxi, motorcab, maxicab and motor cycle;
- (ii) services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said **Central Goods and Services Tax Act**.

*Explanation.*- For the purposes of this notification,-

(a) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS);

(b) “maxicab”, “motorcab” and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.